खण्ड-327, अंक-10
मंगलवार, 12 आश्विन, शक संवत् 1899
(4 अक्टूबर, 1977 ई0)

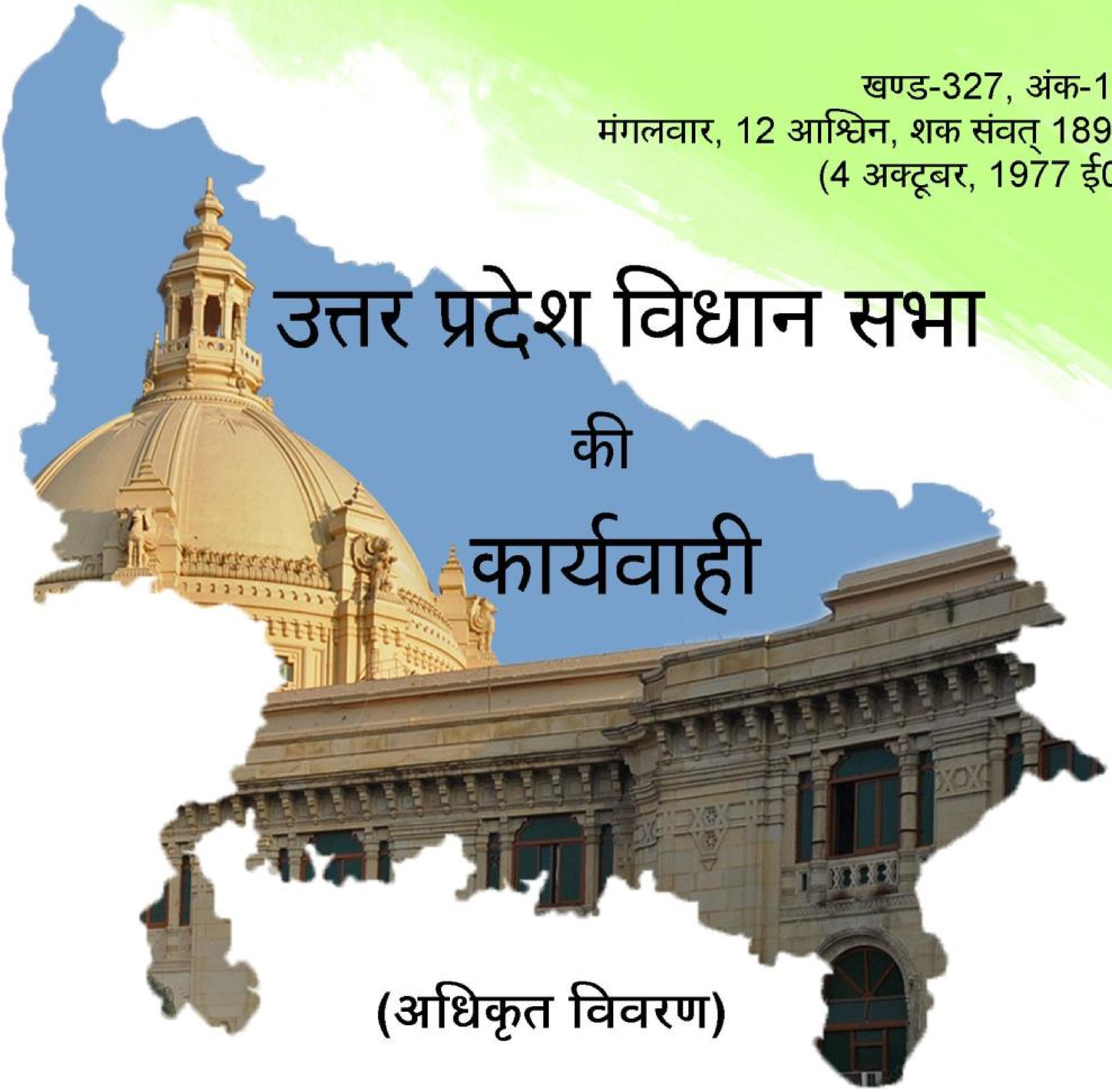

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 327 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1139–1142
भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन को प्रश्नों से पूर्व समय देने की मांग	1143–1146
प्रश्नोत्तर	1147–1194
कानपुर में इन्जेक्शन के लिए डिस्टिलड वाटर में चींटियां व फफूदी पाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1195
प्रदेश में फ्लू तथा ज्वर की बीमारी के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1195–1196
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1975-76 (सदन के पटल पर रखा गया)	1196
दि इन्डियन टरपेन्टाइन एन्ड रोगिन कम्पनी लिमिटेड की बावनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1975-76 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	1196
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे, 1975-76 व भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1196
उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1196
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	1197
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलटी, नोटी फाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	1197
श्री श्याम धर मिश्र द्वारा सदन में किए प्रदर्शन के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न	1197–1198
सदन के पटल पर रखी गयी रिपोर्टों पर चर्चा के लिए समय की मांग ..	1199
श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी की सूचना ..	1199
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1199–1200
सदन की विभिन्न समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा ..	1200–1201
श्री मोहन सिंह (देवरिया) द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1202
दिनांक 13 सितम्बर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न 3 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	1202

विषय पृष्ठ संख्या

एटा तथा फर्रुखाबाद के अलीगंज व कायमगंज क्षेत्र में डकैती, हत्या व लूट-पाट का आतंक तथा एक भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक के प्रभाव के कारण बदमाशों को न पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य : 1202–1204

वाराणसी जनपद के तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सुधवे (वहदानगर) में गरीबों के साथ अन्याय व अत्याचार के सम्बन्ध में याचिका को उपस्थापन का स्थगन 1204–1205

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 1205–1208

जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहरौली, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं को नियम 301 के अन्तर्गत सदन की जानकारी में लाया जाना 1208–1209

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 28––शिक्षा तथा अनुदान संख्या 90––ऋण और अग्रिम शिक्षा (जारी) 1209–1261

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) 1261

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान–संख्या 28––शिक्षा तथा अनुदान संख्या 90––ऋण और अग्रिम–शिक्षा (जारी) 1261–1268

श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना .. 1268

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 28––शिक्षा तथा अनुदान संख्या 90––ऋण और अग्रिम शिक्षा (स्वीकृत) 1268–1277

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 1277

आगरा जनपद के टीकम चन्द फर्म पर छापा मार कर दस लाख रुपए का अवैध रेपसीड जब्त किए जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन 1277

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति तथा उप सचिव के बीच चल रही गुटबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन 1278

नत्थियां 1279–1282

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 4 अक्तूबर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य–265

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री

छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल, निर्भय
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी०पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराय, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
प्रताप सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी उर्फ बन्ने भाई, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंडा "अरविंद", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ला, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृजलाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रहम दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री

भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मकबूल हुसेनी खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री

लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंशगोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री (जिला उन्नाव)
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट---मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन को प्रश्नों से पूर्व समय देने की मांग

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्त रहिए। अभी प्रश्नों का समय है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आज देश में जो विशेष परिस्थिति लागू हुई है

(व्यवधान)

जो काले कानून के काले ढंग से श्रीमती इन्दिरा गांधी को दिल्ली में पकड़ा गया है वह सचमुच एक दर्दनाक बात है।

(इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे विरोधी पक्ष से लगाए गए।)

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्नों का समय है।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह बहुत जरूरी है। प्रश्नोत्तर तो बाद में आ जायगा, लेकिन ये दो-दो नेता, हमारे सदन के विरोधी दल के नेता, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस समय जेल में हैं तो यह सदन कैसे चलेगा, और हमारे देश की नेता इन्दिरा गांधी को अकारण बनावटी कारणों से जेल में डाल दिया गया है। इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। आपको 311 और 313 दफा में अधिकार प्राप्त है कि तमाम चीजें स्थगित करके इस पर विचार करें। आज यह सरकार अपने कलंकों को, बेरोजगारी की दशा को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, श्रीमती इन्दिरा गांधी की लोकप्रियता से बचने के लिए उनको पकड़ा है...

(घोर व्यवधान)

आज रायबरेली में 2 लाख आदमी आए, कानपुर में लाखों आदमी आए। उनकी लोकप्रियता बढ़ी। इससे डर कर यह सरकार यह कार्य कर रही है। आज पाकिस्तान की हालत जो है क्या उससे बेहतर हालत भारत की है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री श्यामधर जी आप यह....

(व्यवधान)

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

इसलिए मैं चाहता हूं, श्रीमन् . . .

श्री अध्यक्ष—

आप उनकी बात सुन लेने दीजिए क्या कहना चाहते हैं। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नेम सिंह चौहान—

माननीय अध्यक्ष जी, शून्य प्रहर जो प्रारम्भ हुआ था मैं नहीं समझता कि उसमें कहीं भी माननीय मिश्रा जी के भाषण का है।

श्री श्यामधर मिश्र—

वह तो आप कह चुके हैं। इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है। आज देश के लिए विशेष बात है। आज इतनी अशान्ति है, बेरोजगारी है उसको छिपाने के लिए सरकार देश के नेताओं को पकड़ रही है। इमरजेन्सी लागू नहीं हुई लेकिन बिना लागू किए ही लोगों को पकड़ा जा रहा है। माननीय नारायण दत्त तिवारी को इसलिए पकड़ा गया कि वह कांग्रेस का झंडा ले कर आगे जा रहे थे . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्यामधर मिश्र जी आप बैठिए। आप सुनिए तो सही। आप सभी लोग बैठिए। आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। तो कार्य-क्रम के अनुसार जब कार्य-स्थगन प्रस्ताव का नम्बर आए तब इस प्रश्न को आप उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त तो प्रश्नों का समय है।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया कि नियम 311 और 313 में अध्यक्ष को अधिकार प्राप्त है कि नियमों को निलम्बित कर के इस पर विचार कर सकते हैं। यह साधारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है कि मैं नियम 56 में लाऊं। मैं 311 में . . .

(घोर व्यवधान)

(श्री श्यामधर मिश्र तथा कांग्रेस पक्ष के सभी सदस्य एक साथ सदन में खड़े हो गए और बराबर यह नारा लगाते रहे,—"देश की नेता इन्दिरा गांधी इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद"।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए। (व्यवधान)

(कांग्रेस पक्ष के सदस्य नारे लगाते रहे तानाशाही नहीं चलेगी, "तानाशाही नहीं चलेगी।)"

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए। (व्यवधान)

आप लोग नियमों के अनुसार.... (व्यवधान)

(कांग्रेस पक्ष के सभी सदस्यों ने खड़े होकर नारे लगाए—"चौधरी तेरी तानाशाही—नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।" (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय श्यामधर मिश्र को सदन छोड़ाइए।

(मार्शल श्री श्यामधर मिश्र को सदन से बाहर ले गए।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय देवबहादुर सिंह को सदन छोड़ाइए।

(मार्शल श्री देवबहादुर सिंह को सदन से बाहर ले गए।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय अरुण कुमार को सदन छोड़ाइए।

(मार्शल श्री अरुण कुमार को सदन से बाहर ले गए।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, श्री गंगा प्रसाद (गोंडा) को सदन छोड़ाइए।

(मार्शल श्री गंगा प्रसाद को सदन से बाहर ले गए।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, श्री यशपाल सिंह को सदन छोड़ाइए।

(मार्शल श्री यशपाल सिंह को सदन से बाहर ले गए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, श्री लक्ष्मी शंकर यादव को सदन छोड़ाइए।

(मार्शल श्री लक्ष्मी शंकर यादव को सदन से बाहर ले गए।) (व्यवधान)

(श्री मन्नूलाल द्विवेदी तथा अन्य कांग्रेस दल के सदस्यगणों ने नारे लगाए—"चौधरी तेरी तानाशाही—नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।" "चौधरी चरण सिंह, मुर्दाबाद।"

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, माननीय मन्नूलाल द्विवेदी को सदन छोड़ाइए।

(मार्शल ने डिप्टी मार्शल की सहायता से श्री मन्नूलाल द्विवेदी को सदन से बाहर ले गए।) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहिए या सदन छोड़िए।

(व्यवधान)

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष जी, शाह आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आयी है .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सदन छोड़िए।

(व्यवधान)

सुनीता जी, आप कृपया सदन छोड़िए। मार्शल इनको सदन छुड़ायें। (शोर)

(मार्शल के श्रीमती सुनीता चौहान के पास जाने पर श्रीमती सुनीता चौहान स्वतः सदन के बाहर चली गयीं।)

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

यह जो किया गया ....

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र सिंह जी, आप सदन छोड़िए। मार्शल, इनको सदन छुड़ायें।

(मार्शल श्री राजेन्द्र सिंह को सदन से बाहर ले गए।)

एक सदस्य—

इन सबको जेल भेजा जाय।

श्री राम दुलारे (जिला रायबरेली)—

जनता का रुख बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है ...

श्री अध्यक्ष—

राम दुलारे जी, कृपया आप सदन छोड़िए। मार्शल, इनको सदन छुड़ायें।

(मार्शल श्री राम दुलारे को सदन से बाहर ले गए।)

श्री अध्यक्ष—

अब आप शान्त रहें।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 4 अक्तूबर, 1977

तारांकित प्रश्न

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री हर प्रताप सिंह—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मलिहाबाद थाने के उपनिरीक्षक एवं कान्सटेबिल के विरुद्ध आरोपों की जांच

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, एम0 पी0 के पत्र, दिनाँक 21 जून, 1977 के साथ संलग्न श्री शिव कुमार सिंह का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मलिहाबाद थाने के उप निरीक्षक (श्री प्रेमी) एवं (राम प्रचलित सिंह) कॉंस्टेबिल द्वारा किए घृणित एवं अशोभनीय व्यवहार के आरोप थे? यदि हाँ, तो उपरोक्त पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राजनैतिक पेन्शन उप मन्त्री (श्री सत्य देव त्रिपाठी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, एम0 पी0 के पत्र, दिनाँक 21 जून, 1977 के साथ श्री शिव कुमार सिंह का शिकायती-पत्र मलिहाबाद थाने के उप निरीक्षक, श्री तेज राम प्रेमी तथा कॉंस्टेबिल राम प्रचलित सिंह के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुआ था। जिसे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को जाँच हेतु भेज दिया गया था।

उक्त शिकायती-पत्र की जाँच पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र), लखनऊ द्वारा कराई गई। जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप सही नहीं पाए गए। अत: उक्त उपनिरीक्षक तथा कॉंस्टेबिल को थाना मलिहाबाद से स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध धारा 7 पुलिस ऐक्ट की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक सेकेन्ड सुन लीजिए। प्रश्नोत्तर काल के बाद मैं इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार की सूचना देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आपने लिखा है कि सही नहीं पाए गए।

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

'नहीं' लिखा है तो मान्यवर, वह गलत है। श्रीमन्, सही पाए गए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध यह जो स्थानान्तरण आदेश जारी हुआ तो कब जारी हुआ और उनका स्थानान्तरण कहां के लिए किया जा रहा है, वहां वह पहुंच गए अथवा नहीं ?

(कुछ समय उपरान्त)

मान्यवर, इसका तात्पर्य पूरा हो गया है। उनको दन्ड मिल चुका है। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही जल्दी पूरी हो जाएगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, जो सप्लीमेन्टरी प्रश्न किया गया है उसका उत्तर आना चाहिए।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठ जायं।

एक सदस्य--

यह सदन की सम्पत्ति हो गयी।

श्री ऊदल--

मैं कहना चाहता हूं कि सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन किया था। उसका उत्तर तो आ जाना चाहिए। मंशा पूरी हो गयी हो या न हो।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी, कृपया उत्तर दें।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

माननीय सदस्य को इसकी सूचना द दी जायगी।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य को नहीं।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

माननीय सदन को दे दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष--

यह कहिए कि इसमें नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया, सूचना की आवश्यकता है। इसकी सूचना सदन को दे दी जायगी।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मैं एक सप्लीमन्टरी पूछना चाहता हूं। जो घृणित एवं अशोभनीय व्यवहार किया था, वह क्या-क्या थे और इसकी जांच किसके द्वारा कराई गयी ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मान्यवर, जांच कराई गई एस० पी०, रूरल से और मैं पत्र पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। वह पूछ रहे हैं कि अशोभनीय बातें क्या हैं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, वही पढ़ रहा हूं। श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, एम0 पी0 ने पत्र लिखा था--प्रिय श्री टंडन जी,

मैं बहुत ही दुख के साथ मलिहाबाद थाना (लखनऊ) के नायब दरोगा श्री प्रेमी एवं कांस्टेबिल श्री राम प्रचलित सिंह के अशोभनीय एवं घृणित व्यवहार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस पत्र के साथ मेरे भूतपूर्व स्टेनों श्री शिव कुमार सिंह का प्रार्थना पत्र संग्लन है। इसमें दिए हुए तथ्यों के बारे में उचित जांच कराने के लिए मैंने एक पत्र कु0 कंचन चौधरी, सहायक पुलिस अधीक्षिका, मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ को लिखा, जिसे उन्होंने मलिहाबाद थाने में भेज दिया क्योंकि मामला वहीं विचाराधीन था, उसमें मैंने न्यायोचित कार्यवाही की मांग की थी, उस पत्र को पाते ही नायब दरोगा जी आग-बबूला हो गए और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपना होश खो करके मेरे लिए और अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जो मुझे कहने में शर्म आती है।

ऐसा सोचने का मुझे कोई कारण नहीं है कि श्री शिव कुमार सिंह जिनको कि मैं बहुत दिनों से जानता हूं, छूठ बोलेंगे। मुझे यह सोचकर दुख होता है कि क्या पुलिस के अधिकारी ऐसे ही जन प्रतिनिधियों के साथ घृणित व्यवहार करेंगे जैसा कि संलग्न प्रार्थना पत्र के पेज न0 2 पर है।

श्री अध्यक्ष--

यह लम्बा पत्र है इसलिए संक्षेप में जैसे कि अभद्र व्यवहार किया है और क्या शिकायतें हैं उनको पढ़ दें।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

दो प्रमुख आरोप हैं। एक तो जनप्रतिनिधियों के लिए अशोभनीय बातों का इस्तेमाल किया गया और दूसरे उनके स्टेनों श्री शिव कुमार सिंह के साथ मार-पीट करना।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि श्री शिवकुमार सिंह को मारपीट करने का आरोप भी है तो इसके आधार पर मुकदमा न दायर करने का क्या कारण है? एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं लिखी गयी?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, श्री शिवकुमार सिंह ने एफ0 आई0 आर0 नहीं लिखाया है। उन्होंने महानिरीक्षक को शिकायत किया है और उसके जरिए उनका ट्रान्सफर किया गया और उनके खिलाफ दफा 7 की कार्यवाही की गयी।

श्री रियासत हुसैन--

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब एक एम0 पी0 के पत्र के ऊपर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रूरल से जांच करायी गयी और उन्होंने जाँच में आरोप सिद्ध पाये। उनमें यह भी आरोप पाया कि मारपीट की जो शिकायत है वह सही है। तो जब एडीशनल एस0 पी0 ने सिद्ध पा लिया तो एफ0 आई0 आर0 न लिखाए जाने की वजह क्या है और मुकदमा क्यों नहीं दायर किया गया?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

मारपीट पर 323 का आरोप बनता है जो काग्नेजिबुल अफेन्स नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी प्रश्न यह है कि जब जांच करके पाया गया कि इसमें मारपीट हुई तो पुलिस अधिकारी को स्वयं चाहियें कि मुकदमा दायर करे।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, इसमें दफा 7 की कार्यवाही की गयी है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, दफा 7 की कार्यवाही पुलिस की कार्यवाही है।

श्री अध्यक्ष--

मारपीट के विरुद्ध उनको कार्यवाही करने का अधिकार था। तो वह सूचना दें कि मारपीट की जांच को सत्य पाने पर उन्होंने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया और यह कोई बहस की बात नहीं है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, श्री शिवकुमार सिंह, जिन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप था। एम० पी० के पत्र के अनुसार जांच की गयी। उसके दौरान दोनों अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों को हटा दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ दफा 7 पुलिस ऐक्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया है। जैसी कि मारपीट की बातचीत कर रहे हैं। वह बहुत मामूली मारपीट थी। शिवकुमार सिंह जिनको मारा गया था वह 323 का जुर्म बनता है।

श्री रियासत हुसैन--

पुलिस ऐक्ट की दफा सात में मुकदमा कायम नहीं होता है।

आपात काल के मध्य थानों एवं जिला पुलिस मुख्यालयों को दिए गए आदेश

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि आपात कालीन स्थिति के दौरान कोई इस आशय के आदेश प्रदेश के थानों एवं जिला पुलिस मुख्यालयों को दिए गए थे कि कुछ विशेष व्यक्तियों एवं एक राजनीतिक दल विशेष से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस कोई भी कार्यवाही करने के पूर्व शासन से पूर्व अनुमति प्राप्त करे ? यदि हां, तो आदेश क्या थे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रदेश के थानों को इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई आदेश नहीं जारी किए गए थे। जिला पुलिस अधीक्षकों को (जिलाधिकारियों के साथ-साथ) निम्नलिखित आशय के निर्देश भेज गए थे :--

(क) यदि लोक सभा या विधान मण्डल के वर्तमान अथवा भूतपूर्व सदस्यों, जिला परिषद् के अध्यक्षों या इसी प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों को जिनमें प्रतिबन्धित पार्टियों के

सदस्य नहीं सम्मिलित है, गिरफ्तार करना आवश्यक समझा जाय तो शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय ।

(ख) कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को शासन की पूर्वानुमति के बिना गिरफ्तार न किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपात्कालीन स्थिति की घोषणा के बाद मीसा और डी0आई0आर0 के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि उसके बाद फिर क्यों सरकार को आदेश जारी करने की आवश्यकता पड़ी कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को विशिष्ट जन के नाम पर गिरफ्तार न किया जाय, चाहे वह असामाजिक कार्य करते रहें, तो यह संरक्षण प्रदान करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

भूतपूर्व शासन ने अपने एक विशिष्ट ग्रुप को बचाने के लिए यह सब किया ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार यह पता लगाएगी कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी हजारों व्यक्ति मीसा और डी0आई0आर0 में पकड़े गए और लोक सभा के चुनाव के बाद छोड़े गए ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं मन्त्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या शासन ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को गिरफ्तार करने के पूर्व शासन की अनुमति लेने का प्रतिबन्ध लगाया गया था और इसके लगाने का कोई कारण भी दिया था, फाइल पर ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

पूर्व शासन की अपनी नीति थी. . .

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न है उसका केवल हां या नहीं में उत्तर दीजिए। जितना प्रश्न है उतना ही उत्तर दें ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

पत्रावली में ऐसा कोई कारण नहीं है ।

श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)--

यह बात बिलकुल कही गयी है। मैं खुद सदस्य था। मीसा के अन्दर गिरफ्तार किया गया था। मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया शासन यह बतलाने का कष्ट करे ?

श्री सत्य देव त्रिपाटी--

इसमें सूचना की आवश्यकता है। इसमें केवल इतना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को शासन की पूर्व अनुमति के बिना गिरफ्तार न किया जाय ।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में 36 कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मीसा और डी0आई0आर0 में पकड़े गए, क्या यह शासन के आदेश से पकड़े गए थे ?

श्री अध्यक्ष--

यह नया प्रश्न है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कांग्रेस सरकार ने आपातकालीन स्थिति में कोई इस किस्म का सर्कुलर जारी किया था कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को बगैर शासन से पूर्व अनुमति के गिरफ्तार न किया जाय ? यदि कोई ऐसा सर्कुलर था, तो वह कब जारी किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर लिखित दिया जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस शासन ने उस समय कर्मचारियों को कुछ ऐसे आदेश दिए थे कि जहां-जहां इन्दिरा गांधी पहुंचे, ये कर्मचारीगण वहां उपस्थित रहें ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी इमरजेंसी के दौरान केवल तभी की गयी जब उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी का विरोध किया ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस किस्म के आदेश जारी किए गए थे, वे क्या-क्या थे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, इस प्रकार के दो आदेश जुलाई, 1975 तथा जनवरी, 1977 में जारी किए गए थे जो सीधे जिलाधिकारियों को सम्बोधित किए गए थे और उनमें से पहले आदेश में जिलाधिकारियों से यह अनुरोध किया गया था कि अपने जिला पुलिस अधीक्षकों को भी उन आदेशों की सूचना दे दें। दूसरे आदेश की प्रतिलिपि सीधे ही शासन स्तर से जिला पुलिस अधीक्षकों को भेज दी गयी थी। इसके अलावा कुछ एसे आदेश भी जारी किए गए थे जिनकी प्रतिलिपि न तो जिला पुलिस अधीक्षकों को भेजी गयी थी और न ही जिलाधिकारियों

से ऐसा अनुरोध किया गया था। ये आदेश केवल जिलाधिकारियों को सम्बोधित किए गए थे। इन आदेशों का सारांश इस प्रकार है :—

कोड टेलीग्राम दिनांक 2 दिसम्बर, 1976

इस आदेश द्वारा जिलाधिकारियों से यह अनुरोध किया गया था कि जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा कांग्रेस के सदस्य, ब्लाक प्रमुख तथा ब्लाक कांग्रेस कमेटी के सदस्य, यूथ कांग्रेस कमेटी के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा सिटी कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को मीसा के अन्तर्गत निरुद्धि शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना न की जाय।

कोड टेलीग्राम दिनांक 11 अक्तूबर, 1976

इसके अन्दर था कि सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मीसा के अन्तर्गत कार्यवाही शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही की जाय।

कोड टेलीग्राम दिनांक 7 दिसम्बर, 1976

इसमें था कि सभी सम्प्रदायों के धर्मिक नेताओं, जिनमें पेश इमाम सम्मिलित हैं, की परिवार नियोजन का विरोध करने के कारण, शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना गिरफ्तार न किया जाय।

कोटद्वार जिला गढ़वाल की गोदाम्बरी अपहरण कांड से गढ़वाल बन्द तथा तत्सम्बन्धी कार्यवाही

5—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल) तथा श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार, जिला गढ़वाल की गोदाम्बरी अपहरण काण्ड के फलस्वरूप दिनांक 26 जून, 1977 को समस्त गढ़वाल में यातायात ठप्प रहा और अनक व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए? क्या यह सही है कि दिनांक 15 जुलाई, 1977 को भी गढ़वाल बन्द रहा? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हां, दिनांक 26 जून, 1977 को कोटद्वार, जिला गढ़वाल की श्रीमती गोदाम्बरी के तथाकथित अपहरण के सम्बन्ध में जी0एम0ओ0यू0 वर्कर्स की भ्रष्टाचार समिति के "गढ़वाल बन्द" आवाहन पर बाजार तथा यातायात बन्द रहा। दिनांक 15 जुलाई, 1977 को उक्त समिति ने पुनः "गढ़वाल बन्द" का आवाहन किया था परन्तु इस बार उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली और केवल कोटद्वार में ही यातायात बन्द रहा। इसका एक कारण उसी तिथि को कोटद्वार से 5 कि0मी0 दूरी पर कोटद्वार गढ़वाल मार्ग पर हुआ भारी भू-स्खलन भी था। कोटद्वार में धारा 144 तोड़ने के अपराध में दिनांक 22 जून, 1977 को 6, दिनांक 23 जून, 1977 को 8, दिनांक 24 जून, 1977 को 6 तथा दिनांक 25 जून, 1977 को 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इन सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को व्यक्तिगत मुचलके लेकर रिहा कर दिया गया है।

मामला जांच हेतु अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दिया गया है।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि पूर्ण गढ़वाल बन्द नहीं रहा जब कि मेरी निश्चित जानकारी है कि गढ़वाल बन्द रहा और सरकार ने गढ़वाल के अनेक जगहों पर ऐसे काम करने वाले लोगों को बन्द ही नहीं किया बल्कि उन पर मुकदमा भी चलाया गया। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26 जून, 1977 को गढ़वाल में कितने ऐसे मुकदमें सरकार द्वारा चलाए गए ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

जून के महीने में कहा है कि कितने मुकदमें चलाए गए। 26 जून को जब बन्द हुई, मुकम्मल हड़ताल रही, कितने आदमी गिरफ्तार किए गए ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, दिनांक 22 जून, 1977 को 6, दिनांक 23 जून, 1977 को 8, दिनांक 24 जून, 1977 को 6 तथा दिनांक 25 जून, 1977 को 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था उसका उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया। आपने अपने उत्तर में यह कहा कि गढ़वाल बन्द नहीं रहा। मेरा यह प्रश्न था कि सम्पूर्ण गढ़वाल बन्द रहा और यह मेरा मूल प्रश्न भी है।

श्री अध्यक्ष--

नौटियाल जी जून के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि गढ़वाल बन्द रहा लेकिन जो जुलाई में हुआ है उसके बारे में कहा है कि केवल कोटद्वार में रहा. . .

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मेरा प्रश्न दूसरा है। प्रश्न गिरफ्तारियों के बारे में है। गढ़वाल मण्डल में जो गिरफ्तारियां की गयीं और उनके ऊपर सरकार ने मुकदमें चलाए तो वे मुकदमें कहां और किन-किन लोगों पर चलाए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक विस्तृत प्रश्न है। संक्षेप में पूछिए। इतना पूछिए कि कितने मुकदमें चलाए गए, तो पर्याप्त होगा ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, गिरफ्तारी की तिथि 22 जून, 1977, गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम सर्वश्री आनन्द स्वरूप ध्यानी, राजेन्द्र प्रसाद नैथानी, जग मोहन भारद्वाज. . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी इसमें समय ज्यादा लगेगा। आप नम्बर बता दीजिए।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

टोटल 28।, सभी 188 के हैं।

श्री भारत सिंह--

मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कितने सरकारी कर्मचारियों के नाम एफ0आई0आर0 में सम्मिलित हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, श्री बचन सिंह की यह तृतीय पत्नी हैं। उन्होंने एक एफ0आई0आर0 लिखाई थी जिसमें इन्होंने काशीनाथ आबकारी सिपाही, दिनेशचन्द्र पन्त तथा महावीर लिपिक जी0एम0ओ0यू0 कार्यालय तथा राजू कण्डक्टर पर उक्त महिला को भगाने का सन्देह व्यक्त किया था और धारा 498 भारतीय दण्ड विधान के अधीन एक रिपोर्ट लिखाई गयी थी जो नान-काग्निजेबिल आफेन्स है ।

श्री भगवती चरण 'निर्मोही'--

माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि 144 भी लगी, लोग गिरफ्तार हुए आन्दोलन चला और जांच सी0आई0डी0 को भी दे दी गयी लेकिन अभी तक इतने दिनों के बाद भी कोई पता गोदाम्बरी का नहीं चला उसपर इतनी ढील क्यों दी जा रही है और शासन इस पर जल्दी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

वहाँ के एस0 ओ0 तथा एस0 डी0 एम0 को ट्रांसफर कर दिया गयाहै और शासन पता लगाने का प्रयास कर रहा है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

वहाँ की जनता ने जिलाधीश के विरुद्ध पक्षपात का आरोप लगाया था और यह मांग की थी कि जब तक इस काण्ड की जाँच पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए जिलाधीश का ट्रांसफर कर दिया जाय तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

दिनाँक 26 जून, 1977 को जिलाधिकारी, गढ़वाल स्वयं कोटद्वार गए थे और उनके सम्मुख निम्नलिखित माँगें रखी गयी थीं :--

(1) धारा 144 को वापस लिया जाय ।

(2) 144 का उल्लंघन करने पर जिन व्यक्तियों को बन्द किया गया था उनको रिहा कर दिया जाय ।

(3) कोटद्वार से लड़कियों को भगाने के षडयन्त्र के सम्बन्ध में एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी कराई जाय ।

(4) गोदाम्बरी को ढूंढ कर तुरन्त बरामद किया जाय ।

उपरोक्त माँगों में से पहली तीन माँगों को जिलाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और उसकी मैजिस्टीरियल जाँच चल रही थी लेकिन भ्रष्टाचार मिटाऊ समिति ने इस जाँच का बहिष्कार किया इसलिए वह जाँच नहीं हो पाई ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

गोदाम्बरी अपहरण काण्ड में कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

अभी तक किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया ।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अध्ययन हेतु भ्रमण के लिए पर्वतीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत योजना पर व्यय

*6—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976–77 में पर्वतीय विकास विभाग द्वारा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के भ्रमण करने के लिए कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हाँ, तो उसके लिए कितनी धनराशि का प्राविधान था, उसमें से कितना और किन-किन मदों पर व्यय किया गया ?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

जी हां, वित्तीय वर्ष 1976–77 में पर्वतीय विकास विभाग द्वारा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के विकास कार्य अध्ययन हेतु विदेश भ्रमण की एक योजना बनाई गयी थी। इसके लिए एक लाख रुपए की व्यवस्था की गयी थी। इसमें से रु0 55,731.85 जन-प्रतिनिधियों के भ्रमण पर व्यय हुआ है। रु0 38,732 एक्टिनी फ्रांस व इन्ट्राड नामक कम्पनी के प्रतिनिधियों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु भारत आने-जाने की यात्रा पर व्यय हुआ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जैसा मन्त्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया कि 1 लाख रुपये की धनराशि स्थानीय पर्वतीय जन-प्रतिनिधियों के लिए इधर-उधर जाने के लिए रखी गयी थी तो फ्रांस से जो एक दल आया है इस पर 35 हजार क्यों खर्च कर दिया गया ?

श्री शोबन सिंह जीना—

1 लाख रुपया इस भ्रमण के लिए लिया गया था जिसमें से 55,731 रु0 85 पैसे व्यय हुआ और लगभग 40 हजार रुपया बाकी रह गया था और विभाग को वह दे दिया गया था। एक फ्रांस स्वीटजरलैण्ड की कम्पनी से फूड प्रोसेसिंग के लिए बात-चीत चल रही थी कि पर्वतीय प्रदेश में फलों के उपयोग के सम्बन्ध में कुछ इस तरह का काम किया जाय जिससे यहां के फल उत्पादकों को कुछ लाभ हो सके। इस कम्पनी के तीन विशेषज्ञ थे जो भारत आए और उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की। उनके भारत आने जाने का खर्चा और रहने का खर्च 1 लाख रुपया से अधिक आया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो उन्होंने तैयार की उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं लिया। इस 1 लाख से अधिक रुपए में से कुछ तो उनको दे दिया गया था कुमायूं विकास निगम द्वारा, बाकी 38,732 रु0 उनको देना था और कहीं से रुपया नहीं था इसलिए इसी में से दे दिया गया जो यह 40 हजार रु0 था उसमें से दे दिया गया।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने लोग बाहर गए थे प्रतिनिधि लोगों को यह रुपया कैश दिया गया था या चेक द्वारा दिया गया था ?

श्री शोबन सिंह जीना—

मान्यवर, इसकी तो सूचना की जरूरत पड़ेगी।

श्री भारत सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर में बताया कि यह रुपया जन-प्रतिनिधियों को इधर-उधर जाने के लिए दिया और यह रुपया पर्वतीय विकास का था तो यह क्यों कम्पनी को दिया गया क्या इसको अवैध समझा जायेगा और उनसे वसूल किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो पुनरावृत्ति है। प्रासेसिंग यूनिट के लिए दिया गया और रुपया था नहीं इसलिए दिया गया। अब मन्त्री जी आप इतना बता दें कि यह रुपया इस मद में से जो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए दिया गया उसे वापस इस मद में करेंगे चूंकि यह प्रवास के लिए था ?

श्री शोबन सिंह जीना--

यह रुपया उस वक्त शासन के पास न होने की वजह से दिया गया। अब हमारी कम्पनी के साथ बातचीत चल रही है और उसमें यह रुपया एडजस्ट हो जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रतिनिधियों में से कौन-कौन किस-किस देश में गए थे और जाने के बाद उन्होंने कौन-कौन सी रिपोर्ट शासन को या पर्वतीय विकास निगम को दी और उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री शोबन सिंह जीना--

मान्यवर, जन-प्रतिनिधियों में से श्री बालकृष्ण सनवाल, भूतपूर्व एम0एल0ए0 और श्री सुल्तान सिंह भंडारी, एम0एल0सी0 थे। उनके साथ दो अधिकारी भी गए थे एक तो उस समय के पर्वतीय विकास विभाग के सचिव, श्री भगवती शरण सिंह और दूसरे वन विभाग के श्री लोहनी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी है, वन विभाग के सम्बन्ध में, वहाँ के बनीकरण के विषय में है और उस पर कार्यवाही हो रही है और मिस्ट चेम्बर बनाये जा रहे हैं जिसमें पौधों को तेजी से लगाया जाता है और फिर उद्यान में लगाया जाता है। एक तो भुवाली में बनाया है और एक ताड़ीखेत में भी लगाया जा रहा है। इसी प्रकार तीन और कुमायूं विकास निगम तथा तीन गढ़वाल विकास निगम बनायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आपने इतना उत्तर और नहीं दिया कि किन-किन देशों में गए ?

श्री शोबन सिंह जीना--

यह गए हैं इटली, जर्मनी, इंग्लैण्ड, अमेरिका, हवाई आई लैण्ड और जापान।

श्री ऊदल--

कम्पनी को आपने रुपया दिया और उनके प्रतिनिधि यहां आए उन्होंने दौरा किया और कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की होगी ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शोबन सिंह जीना--

जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है उस पर कार्यवाही हो रही है उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वह यहाँ कितने उपयोगी हैं और वह भोजन के योग्य होंगे या नहीं ? इन सब बातों पर हमारी बंगलौर में जो लेबोरेटरी है उसमें जाँच हो रही है। उसके बाद ही रिपोर्ट आयेगी और तभी कांट्रैक्ट फाइनल होगा।

श्री राम अवार (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो विभिन्न देशों में गए थे तो आने के बाद इन्होंने कोई हिसाब खर्चे का दिया या नहीं ? क्योंकि नियम यह है कि जो रुपया दिया जाता है, वह कहाँ और कितना खर्च किया गया, उसका ब्योरा देना आवश्यक होता है ? और दूसरे क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि विदेशी दूतावासों का उनके ऊपर कुछ रुपया बकाया है ? यदि हां, तो उसकी नोटिस आपको मिली है या नहीं ?

श्री शोबन सिंह जीना—

उसमें से 1 लाख रुपए की धनराशि दी गयी थी और उसमें से 30 हजार की राशि विधायकों को अग्रिम दी गयी थी। श्री मण्डारी ने 25,731 रुपए का अपने खर्च का हिसाब दिया है, बाकी रुपया जमा कर दिया है किन्तु बाल कृष्ण जी ने अभी बिल नहीं दिया है, उनका कोई हिसाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

इनका प्रश्न यह है कि क्या किसी दूतावास ने आपके पास बिल भेजा है कि यह रुपया आप को अदा करना है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

जहाँ-जहाँ वह गए वहाँ उनके ठहरने और भोजन का खर्च दूतावासों ने दिया है। दूतावासों ने अभी हमसे वह खर्चा नहीं माँगा है।

राज्य योजना आयोग हेतु स्वीकृत पद एवं आयोग के बजट से वितरित की गई धनराशि

*7—श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोण्डा)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि सचिवालय के नियोजन विभाग में राज्य योजना आयोग के लिए स्वीकृत पदों को आयोग के कार्यालय के स्थापित होने के पूर्व वर्ष 1973 व 1974 में एवं उसके उपरान्त समय-समय पर भर लिया गया है और उनमें से अधिकांश पदों का उपयोग योजना आयोग के कार्य से अलग-अन्य अनुभागों में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

जी नहीं।

*8—श्री विष्णु प्रताप सिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि राज्य योजना आयोग के बजट से हजारों रुपए की धनराशि योजना आयोग में कार्य करने वाले एवं नियोजन विभाग के अन्य कर्मचारियों को "कान्टेन्जेन्सी" एवं "मानदेय" के रूप में गत वर्षों में बांटी गयी है ? यदि हां, तो दिनांक 31 जुलाई, 1977 तक उक्त मदों पर कितना-कितना रुपया किस-किस कार्य के लिए खर्च किया गया तथा क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में इंगित है।

(देखिए नत्थी 'क' आग पृष्ठ 1279 पर)

श्री विष्णु प्रताप सिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन पदों पर जो नियुक्तियां की गयी हैं, उन लोगों से दूसरे विभागों का काम क्यों लिया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में सब पढ़ा है, जो सवाल दोहराया गया है, उससे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को इसके तफसील की जानकारी नहीं है। इसमें पांच विभाग हैं, छठवां विभाग राज्य योजना आयोग के बनने से हुआ, यह 72 में स्थापित किया गया। इसका सचिवालय नियोजन विभाग में है। इसके 4 कर्मचारियों को नियोजन विभाग के विभिन्न अनुभागों में राज्य योजना आयोग के कार्य के लिए ले लिया गया है वह सम्बन्धित काम है। यह कहना कि उनको दूसरे काम में लगाया गया है, सही नहीं है।

जिले की समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु विधायकों की नियमित बैठक

*9--श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिलाधिकारियों को इस आशय के शासनादेश दिए गए हैं कि वे जिले के विभिन्न विभागों की समस्याओं का विचार विमर्श करने के लिए जिले के विधायकों की नियमित बैठकें बुलाया करें ? यदि हां, तो क्या मुख्य मन्त्री उन आदेशों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और गत 1 वर्ष में मेरठ तथा गाजियाबाद के जिलाधिकारियों ने उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में इस प्रकार की कितनी बैठकें इस सम्बन्ध में आयोजित की ?

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)--

जी नहीं। इस आशय के कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि इससे पहले जो सरकार थी उसने ऐसे आदेश पारित किए थे, उनके अनुसार कितने जिलों में ऐसी बैठकें बुलाई गयीं ?

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे पहले ही मैंने बता दिया इस तरह से कोई 'स्पेसिफिक आदेश' नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य उस आदेश के बारे में ध्यान दिला दें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

वैसे बड़ी दुखपूर्ण स्थिति है। सूचना तो मन्त्री जी को देनी चाहिए। मैंने निश्चित रूप से बता दिया कि इससे पहले की सरकार के निश्चित रूप से आदेश थ, लेकिन कोई जानकारी नहीं है। क्या मन्त्री जी ऐसे आदेश प्रसारित करेंगे, क्योंकि अधिकतर घटनाएं जिला स्तर की होती हैं, उनका पी0 डब्लू0 डी0, इर्रीगेशन, शासन से सम्बद्ध होता है, क्या माननीय मन्त्री जी जिला अधिकारियों को ऐसे आदेश देने की कृपा करेंगे कि जिले के विधायकों को निश्चित समय पर इकट्ठा करके, उन समस्याओं के बारे में जानकारी करा कर, निर्णय के लिया करें ?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

जिला स्तर पर कुछ समितियां हैं, जिनके सदस्य माननीय विधान सभा के सदस्य, विधान परिषद् और संसद के सदस्य होते हैं । उनकी बैठकों की जिलों में जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शासन की तरफ से यह निर्देश जायेंगे कि विकास सम्बन्धी सारे कार्यों पर विचार करने के लिए हमारे सम्मानित सदस्यों की बैठकें जरूर होनी चाहिए और किया करें।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे समितियां कौन-कौन सी हैं जिनके माननीय विधायक सदस्य हैं और उनकी बैठकें कब-कब हुईं ?

श्री अध्यक्ष--

पहला प्रश्न तो सही है। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में जिलों से सूचना मंगानी पड़ेगी। ऐसी कौन-कौन समितियां हैं जिनके सदन के माननीय सदस्य, सदस्य हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह सूचना, जब जिक्र किया था, तो साथ होनी चाहिए ।

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि कुछ दिन पूर्व, पूर्व शासन द्वारा इस तरह का आदेश जारी हुआ था कि वह समितियां भंग कर दी जायं, क्या उन समितियों को पुनर्गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं? यदि हां, तो क्या इसकी जानकारी है कि कमेटियां बन गयी हैं या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष जी, इसके बारे में सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी का यह उत्तर है कि इस के बारे में सूचना की आवश्यकता है। यह असन्तोषजनक लगता है। इसको आप को देखना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों पर ।

श्री रामचरन शाह (जिला खीरी)--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि जिला परिषद् की जितनी इकाइयां और समितियां थीं वह सब खत्म कर दी गयी हैं ? अब वहां पर कुछ स्कूल खोलने की बात है। तो किन्हीं समितियों का निर्माण करेंगे जिससे सब विधायक लोग बैठ कर स्कूल जो खुलने वाले हैं, उन पर विचार कर सकें ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न बिल्कुल नया है। परिषद् भंग हो चुकी । यह तो नया प्रश्न है ।

श्री रामचरन शाह--

अब डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, वही करेंगे या हम लोगों से कोई राय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष --

यह आपका सुझाव हो सकता है। इस प्रश्न से नहीं उठता।

*10--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम हरिगुरैय्या, थाना जलालाबाद, शाहजहांपुर के श्री गिरवर लाल की बहू को विपक्षियों द्वारा गायब कराने का आरोप

*11--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 25 अप्रैल, 1977 को श्री गिरवर लाल, पुत्र श्री झाऊ लाल किसान, निवासी ग्राम हरिगुरैय्या, थाना जलालाबाद ने जिलाधीश, शाहजहांपुर को इस आशय की शिकायत की थी कि कुछ व्यक्ति उसकी बहू को भगा ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या यह भी सही है कि मुखालिफान ने पुलिस की मदद से गत असाढ़ के महीने में श्री गिरवर लाल की बहू को गायब करा दिया ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब जांच के आदेश देगी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। इस पत्र की एक प्रति शासन को दिनांक 26 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुई थी, जिसमें अंकित शिकायतों की जांच कराई गयी। जांच से श्री गिरवर लाल की बहू को विपक्षियों द्वारा पुलिस की मदद से गायब करा देने का आरोप सही नहीं पाया गया। जांच से ज्ञात हुआ कि गिरवर लाल की पुत्र बधू श्रीमती ज्वाला देवी अपने ससुराल वालों के दुर्व्यवहार के कारण अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती थीं। वह वयस्क हैं तथा स्वेच्छा से माह जुलाई, 1977 में अपने भाई के साथ गयी हैं तथा उन्हीं के पास रह रही हैं।

*12--श्री मुहम्मद रफी खां--

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित।]

*13--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[6ठे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज, ग्राम कीरतपुर में पुलिस की गोली से श्री मौजी लाल की मृत्यु

*14--श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद, कन्नौज तहसील के अन्तर्गत ग्राम कीरतपुर में 26/27 जून, 1974 को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर एक मनुष्य (मौजी लाल) की मृत्यु हो गयी थी, जिसकी रिपोर्ट थाना कन्नौज में घटना के बाद कराई गयी थी? यदि हां, तो पुलिस के लोगों के प्रति क्या कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज के अन्तर्गत ग्राम कीरतपुर में दिनांक 26/27 जून, 1974 की रात में एक मुठभेड़ में पुलिस की गोली से श्री मौजी लाल के मारे जाने की सूचना घटना के बाद थाना कन्नौज पर दी गयी। सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 399/402/307 भारतीय दण्ड विधान तथा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत दर्ज करके विवेचना की गयी।

इसी घटना के सम्बन्ध में पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर एक मुकदमा धारा 147/148/149/193/302/342 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज करके विवेचना की गयी।

उक्त मुकदमों की विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त की गयी जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं।

उक्त घटना की जांच मैजिस्ट्रेट द्वारा भी की गयी। मैजिस्ट्रेट जांच के अनुसार पुलिस दोषी नहीं पायी गयी।

ग्राम हरदेवपुरवा, जनपद फर्रुखाबाद के कृषक श्री द्वारिका की गोली लगने से मृत्यु

*15--श्री झाम लाल अहेरवार (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद, तहसील कन्नौज, थाना गुरसहायगंज के अन्तर्गत ग्राम हरदेवपुरवा के एक कृषक (श्री द्वारका प्रसाद पुत्र मैका) 6 नवम्बर सन् 1976 को पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप अपने खेत में कार्य करते समय मारा गया था जिसकी रिपोर्ट उसी थाने में घटना के तुरन्त बाद लिखाई गयी? यदि हाँ, तो पुलिस के लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 6 नवम्बर, 1976 को थाना गुरसहायगंज पर उसी थाने के एक सब-इन्सपेक्टर द्वारा इस आशय की सूचना दर्ज कराई गई कि वे, उस दिन मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर कि ग्राम जलालाबाद के अमुक व्यक्ति के यहाँ डकैती डालने की नीयत से डकैतों का गिरोह एकत्र हुआ है, मय पुलिस फोर्स व गवाहान के वहाँ गए, परन्तु आहट पाकर बदमाश उन लोगों पर फायर करते हुए भागने लगे। एक डकैत पुन्ना उर्फ पूरन का पीछा किया गया। उसे भागते हुए देखकर अपने खेत में पानी लगा रहे श्री द्वारिका ने भी ललकारा और उसे पकड़ने के लिए लपका। पुन्ना उर्फ पूरन ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी।

उक्त सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 307/302 भारतीय दण्ड विधान का कायम करके विवेचना की गयी। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। अतः अन्य कोई सूचना देना न्यायोचित न होगा।

पैट्रोल पम्प, चारबाग, लखनऊ में बदमाशों द्वारा गोली चलाने से मृत्यु

*16--श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर) (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि लखनऊ शहर में चारबाग स्टेशन के पास एक पैट्रोल पम्प पर दिनांक 7 अगस्त, 1977 को लगभग 11 बजे रात्रि को कुछ बदमाशों ने जो एक फिएट टैक्सी पर

सवार थे, अचानक रिवाल्वर से तीन व्यक्तियों के ऊपर गोली चला दी जिनमें से एक की मृत्यु हो गयी और दो गम्भीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराये गये ? यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 7 अगस्त, 1977 को रात में 10 बजकर 20 मिनट पर मोटर सेल्स लि0 पेट्रोल पम्प, चारबाग, लखनऊ पर पेट्रोल लेने हेतु टैक्सी नं0 यू0टी0डी0, 8804 में बैठे 4 व्यक्तियों से टैक्सी हटाने के लिए कहने के कारण डा0 एस0 कुमार शर्मा, निवासी ऐशबाग, लखनऊ के चाचा और भाई तथा पेट्रोल पम्प के चौकीदार पर टैक्सी में बैठे एक व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई, जिसके फलस्वरूप डा0 शर्मा के चाचा की अस्पताल में 8 अगस्त, 1977 को मृत्यु हो गयी। डा0 शर्मा की रिपोर्ट पर धारा 307 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया जो उनके चाचा की मृत्यु के बाद धारा 307/302 भारतीय दण्ड विधान में परिवर्तित किया गया। इस मुकदमें में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तथा एक अन्य ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। शेष दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

मुन्सिफ परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति

*17—श्री राम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित) तथा श्री नेत राम सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1975–76 में जो मुन्सिफ परीक्षा हुई थी उसमें 54 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया था ? तदुपरान्त विभागीय माँग की सम्पूर्ति के लिए उक्त परीक्षा की प्रतीक्षा सूची के 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए स्वीकृति माँगी गयी थी ? यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हुए ?

श्री राम नरेश यादव—

जून, 1975 में हुई मुन्सिफ की परीक्षा जिसका परीक्षाफल जून, 1976 में प्राप्त हुआ, के आधार पर 53.6 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। उसके पश्चात 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के लिए उच्च न्यायालय से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उच्च न्यायालय ने मुन्सिफों के पदों की रिक्तियों के शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता की ओर अवश्य ध्यान दिलाया है। उस पर शासन विचार कर रहा है।

गाजीपुर कोषागार के लिपिक, श्री बनारसी राम की गिरफ्तारी

*18—श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर के कोषागार के लिपिक (श्री बनारसी राम) को दिनाँक 23 दिसम्बर, 1976 को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हाँ, तो उसकी गिरफ्तारी किस आरोप में, कब, कहाँ और किस समय हुई ? गिरफ्तारी किस अधिकारी द्वारा, किसके आदेश पर हुई ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली गाजीपुर पर कायम अभियोग अपराध संख्या 637/76, धारा 420/468/471 भारतीय दण्ड विधान की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर श्री बनारसी राम, लिपिक, कोषागार, गाजीपुर को दिनाँक 24 दिसम्बर, 1976 को पुलिस आफिस, गाजीपुर में उपाधीक्षक पुलिस, गाजीपुर द्वारा गिरफ्तार करके 12-45 बजे दिन में कोतवाली गाजीपुर में बन्दी बनाया गया था ? श्री बनारसी राम पर आरोप है कि इनके अपराधिक सहयोग से प्राथमिक चिकित्सा केन्द, बिरनी, जनपद गाजीपुर के कुछ बिलों का भुगतान जाने आलम नामक धोखेबाज व्यक्ति ने दिनाँक 4 दिसम्बर, 1976 को स्टेट बैंक आफ इण्डिया, गाजीपुर से प्राप्त कर लिया।

मामला अपराध अनुसन्धान विभाग के विचाराधीन है ।

श्री अवधेश नरायन--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी ने मामले के प्रकाश में आने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरनी का निरीक्षण किया ? यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी में अंकित है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का कोई कर्मचारी सभी फाइलों के साथ फरार है, उसका नाम क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मान्यवर, इस पूरे मामले की जांच अनुसन्धान विभाग कर रहा है। 24 दिसम्बर, 1976 को विवेचना पुलिस अधीक्षक, श्री सत्य पाल कंसल द्वारा गिरफ्तार किया गया था, बनारसी राम नाम का व्यक्ति। बाकी अनुसन्धान विभाग जांच कर रहा है।

श्री अवधेश नरायन--

क्या वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी, जब यह मसला प्रकाश में आया तो निरीक्षण के लिए गए, वहां जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण टिप्पणी में स्पष्ट लिखा है कि वहां का एक एकाउन्टेन्ट सभी कागजातों के साथ फरार है, वह मौके पर नहीं पाया गया है और यह भी लिखा है कि बनारसी राम की साजिश से, इन दोनों की साजिश से रुपए का गोलमाल हुआ है और बिल गायब किया गया है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह टिप्पणी सही है तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

सी0 एम0 ओ0 की जांच के बारे में जानकारी की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

आपका तो प्रश्न यह है कि सी0 एम0 ओ0 ने जाकर जांच की। उसने पाया कि एकाउन्टेन्ट बिल को लेकर गायब है, और इसमें बनारसी राम की साजिश थी। तो उनका प्रश्न है कि उस एकाउन्टेन्ट के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

सी0 एम0 ओ0 की जांच रिपोर्ट, जो अनुसन्धान विभाग जांच कर रहा है, उसको भेज दी गयी है।

श्री अवधेश नरायन--

जिस जाने आलम व्यक्ति की चर्चा आयी है वह जो एकाउन्टेन्ट था और चूंकि जाने आलम बनारस का रहने वाला है। जाने आलम का सम्बन्ध ट्रेजरी और बैंक्स से बहुत से फर्जी बिलों का भुगतान लेने से है, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे मामले की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, इस पूरे मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग कर रहा है।

श्री अवधेश नरायन--

मान्यवर, न्याय की दृष्टि से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि श्री बनारसी राम, जो एक गरीब क्लर्क है, को सस्पेन्ड कर देने के बाद आज तक कोई चार्ज-शीट तक नहीं दी जा सकी है, कोई मुकदमा नहीं चलाया गया तो क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उसे छः माह के अन्दर पुनः बहाल करके पूरे मामले की जांच करायेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

श्रीमन्, जैसे ही अपराध अनुसन्धान विभाग की रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर तुरन्त ही कार्यवाही हो जाएगी।

*19--श्री दीप नरायन--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद प्रतापगढ़ थाना कंधई-ग्राम रामपुर कांपा में प्रधानाध्यापक की मत्यु

*20--श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)-

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के कंधई थान के रामपुर कांपा ग्राम में दिनांक 14 फरवरी, 1977 ई0 को मनीराम हरिजन, प्रधानाध्यापक को कुछ विपक्षी हरिजनों ने मार कर बुरी तरह घायल कर दिया और उसी दिन जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गई ? किन धाराओं में रिपोर्ट हुई हैं, कितने अभियुक्त गिरफ्तार एवं कितने फरार हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच भी चल रही है ? यदि हां, तो कब तक चलती रहेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 फरवरी, 1977 को प्रतापगढ़ जनपद के कंधई थाने के रामपुर कांपा ग्राम के मनीराम हरिजन, प्रधानाध्यापक को कुछ हरिजनों द्वारा मारकर चोटें पहुंचाई गई जिसके फलस्वरूप उसी दिन जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ में मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में अपराध संख्या 32, धारा 147/323/325/336/307 भा0 द0 वि0 थाने पर पंजीकृत किया गया। मनी राम की अस्पताल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उपरोक्त मुकदमा अन्तर्गत धारा 302 भा0 द0 वि0 में परिवर्तित किया गया।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विवेचना के मध्य स्थानीय पुलिस द्वारा कोई भी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया जा सका सभी आठ अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण कर दिया जो कि न्यायालय के आदेश से जमानत पर हैं। इस सम्बन्ध में सी0 आई0 डी0 जांच प्रचलित है जिसे शीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

जिलाधीश आगरा का कथित निलम्बन

*21--श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधीश, आगरा को अभी हाल ही में निलम्बित किया गया? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या आरोप थे तथा जांच किसने की थी?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रतनमई, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ में श्री बृजनारायण सिंह के घर पड़ी डकैती

*22--श्री राम देव दुबे--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के रानीगंज थाने के रतनमई ग्राम में दिनांक 12/13 जून, 1977 की रात में एक सम्भ्रान्त परिवार को डकैतों ने लूट लिया? क्या यह भी सही है कि लुटा हुआ गृहस्वामी जब थाने में रिपोर्ट करने गया तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया गया जिसकी उसने शिकायत मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, आई0 जी0, डी0 आई0 जी0 आदि को प्रेषित की? यदि हां, तो उसमें नामांकित क्या सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं? यदि हां, तो किन धाराओं में गिरफ्तार किए गए हैं? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12/13 जून, 1977 की रात में ग्राम रतनमई थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ में श्री बृज नारायण सिंह के यहां डकैती पड़ी? इस सम्बन्ध में थाना रानीगंज में दिनांक 13 अगस्त, 1977 को धारा 395/397 भा0 द0 वि0 का मुकदमा दर्ज किया गया जिसकी विवेचना की जा रही है।

2--श्री बृज नारायण सिंह का एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र शासन तथा उच्चाधिकारियों को प्राप्त हुआ था जिसमें शिकायत की गई थी कि उक्त डकैती के सम्बन्ध में उनके एक रिश्तेदार थाना रानीगंज में रिपोर्ट लिखवाने गए किन्तु उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उन्हें डांट कर भगा दिया। प्रार्थना-पत्र में एक अभियुक्त गोपाल सिंह को नामजद किया गया तथा 15 अन्य के नाम पते अज्ञात बताए गए हैं।

3--उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच क्षत्राधिकारी द्वारा कराई गई जिसमें थाना रानीगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रार्थी के रिश्तेदार की सूचना पर मामले की रिपोर्ट न लिखने का आरोप सही पाया गया। अतः उनको पुलिस लाइन में स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

नामजद अभियुक्त गोपाल सिंह के घर की तलाशी में लूटा हुआ माल बरामद नहीं हुआ अत: उसे इस अभियोग में गिरफ्तार नहीं किया गया। किन्तु एक बल्लम बरामद होन के सम्बन्ध में धारा 25 शस्त्र अधिनियम में उसकी गिरफ्तारी की गई।

खदान व्यवस्थापक पद पर प्रोन्नति तथा उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता

***23—श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—**

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क डाला सीमेन्ट फैक्टरी, जिला मिर्जापुर में एक डिप्लोमा योग्यता वाले अतिरिक्त खदान व्यवस्थापक की पदोन्नति खदान व्यवस्थापक पद पर हाल ही में की गई है ? क्या यह सही है कि खदान व्यवस्थापक पद के लिए माइनिंग इन्जीनियरिंग की डिग्री मूल न्यूनतम योग्यता है और इन सीमेंट फैक्टरियों में किसी भी यांत्रिक एवं बड़ी खदान का व्यवस्थापक डिप्लोमा होल्डर को नहीं बनाया गया ? यदि हाँ, तो अब ऐसा क्यों ? क्या उपरोक्त के अतिरिक्त खदान व्यस्थापक भूतकाल में लगे आरोपों से मुक्त हो चुके हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश)—

यह सही नहीं है कि जिस अतिरिक्त खदान व्यवस्थापक की पदोन्नति खदान व्यवस्थापक के पद पर हाल में की गई है वह केवल डिप्लोमा योग्यता प्राप्त है।

यह सही नहीं है कि खदान व्यवस्थापक पद के लिए केवल माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री मूल न्यूनतम योग्यता है। उक्त पद के लिए निर्धारित मूल न्यूनतम योग्यता माइनिंग इन्जीनियरिंग की डिग्री अथवा माइनिंग डिप्लोमा तथा फर्स्ट क्लास मैनेजर्स सर्टीफिकेट आफ काम्पीटेन्सी है।

प्रश्नगत सीमेंट फैक्ट्रियों में केवल डिप्लोमा होल्डर को किसी यांत्रिक एवं बड़ी खदान का व्यस्थापक नहीं बनाया गया है।

उपरोक्त खदान व्यवस्थापक के विरुद्ध कभी भी सी० आई० डी०/सतर्कता विभाग द्वारा जाँच कराने के आदेश नहीं दिए गए। अत: उनके विरुद्ध आरोप लगने तथा आरोपों से मुक्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

***24—श्री कल्पनाथ सिंह—**

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

ग्राम खडेसरी, थाना बरहलगंज, जिला गोरखपुर में जमुना प्रसाद हरिजन की हत्या

***25—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री मन्नू राम (जिला बलिया)—**

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि ग्राम खडेसरी, थाना बरहलगंज, जिला गोरखपुर में जमुना प्रसाद हरिजन को दिनाँक 3 जून, 1977 को ग्राम खडेसरी के प्रधान, सूर्यनाथ तिवारी तथा उनके सहयोगियों ने आबंटित भूमि से हटाने के लिए गोली मार दी जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र मुख्य मन्त्री को दिनाँक 25 अगस्त, 1977 को दिया गया ? यदि हाँ, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं और मुल्जिमों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम खड़ेसरी, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर में ब्राह्मणों की दो पार्टियाँ हैं तथा गाँव के हरिजन दोनों पार्टियों में विभक्त हैं। उक्त ग्राम के जमुना प्रसाद हरिजन की दिनाँक 3 जून, 1977 को श्री सूर्यनाथ तिवारी, ग्राम प्रधान सहित 15 नामजद तथा 2-3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पार्टीबन्दी के कारण हत्या किए जाने के सम्बन्ध में श्री मेघा हरिजन ने उसी दिन थाना बड़हलगंज में धारा 147/148/149/307/323/302/201 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज मुकदमें की विवेचना के दौरान दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए तथा 12 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। ये सभी अभियुक्त न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गए। विवेचना से एक नामजद अभियुक्त इस अपराध में शामिल नहीं पाया गया। दिनाँक 19 अगस्त, 1977 को 14 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

अभियुक्तों द्वारा ग्राम चौकीदार की उपस्थिति में मृतक के घर वालों तथा गवाहों को डराए, धमकाए जाने तथा थाना बड़हलगंज की पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र दिनाँक 24 अगस्त, 1977 शासन को प्राप्त हुआ है। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही कर दी गई है तथा उनकी जमानतें रद्द कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है। चौकीदार को निलम्बित कराने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय पुलिस तथा गाँव में तैनात आर्म्स पुलिस गार्ड को आदेश दे दिए गए हैं कि हरिजनों की सुरक्षा के लिए सतर्क दृष्टि रखे जिससे कोई अप्रिय घटना न होने पाए।

जिला बिजनौर थाना मंडावर, ग्राम गैवालीपुर में हरिजन महिला की मृत्यु

*26—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा मन्नू राम—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बिजनौर जिले के मंडावर थाना के अन्तर्गत ग्राम गैवालीपुर में एक हरिजन महिला को दिनाँक 5 अगस्त, 1977 को उस समय मार डाला गया जब कि वह अपने खेत में जो उसे आबंटन में मिला था काम कर रही थी? यदि हाँ, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

श्रीमती खिलिया नामक एक रवा राजपूत विधवा, निवासी ग्राम गैवालीपुर, थाना मंडवार, जिला बिजनौर की 18 बीघा भूमि सीलिंग में आ जाने के कारण 3 हरिजनों को आबंटित की गई थी। इस भूमि पर हरिजनों का कब्जा था। इससे उक्त विधवा महिला का दामाद गनेशी उक्त हरिजनों से रंजिश मानने लगा तथा भूमि पर कब्जा करने का प्रयत्न करने लगा। हरिजनों की शिकायत पर उक्त गनेशी के विरुद्ध धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिनाँक 28 जून, 1977 को कार्यवाही की गई थी जो विचाराधीन न्यायालय है। दिनांक 5 अगस्त, 1977 को जब उक्त हरिजन अपनी स्त्रियों के साथ आबंटित भूमि में कार्य कर रहे थे तब गनेशी एवं दो अन्य व्यक्तियों द्वारा एक हरिजन महिला पर सशस्त्र आक्रमण किया गया जो घटनास्थल पर मर गई। इस सम्बन्ध में थाना

मंडावर पर दिनाँक 5 अगस्त, 1977 को एक अभियोग अन्तर्गत धारा 302 भा0दं0वि0 तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। इस घटना में षडयन्त्र करने के सम्बन्ध में दो अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए। तीनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 302 भा0द0वि0 तथा प्रकाश में आए दो अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 120-बी भा0दं0वि0 के अन्तर्गत विवेचना के उपरान्त दिनाँक 22 अगस्त, 1977 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

*27—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

[6ठें बुधवार में ताराँकित प्रश्न संख्या 57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*28—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण निरस्त।]

*29—श्री मन्जूर अहमद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में इन्डस्ट्रियल कालोनी हेतु स्वीकृत धनराशि

*30—श्री हर प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री को ज्ञात है कि सन् 1965 में फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में एक इन्डस्ट्रियल कालोनी चलाने के लिए सरकार द्वारा, कम ब्याज पर धन दिया गया था ? यदि हाँ, तो इसमें कितनी इन्डस्ट्रीज चलाई गयीं और उससे ऋण का कितना रुपया वापस वसूल हुआ ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष 1965 में फूलपुर, जनपद इलाहाबाद में इन्डस्ट्रियल कालोनी चलाने के लिए कोई धन नहीं दिया गया था। ग्रामीण उद्योग परियोजना, जो वर्ष 1962 में प्रारम्भ हुई थी, के अन्तर्गत फूलपुर में एक औद्योगिक संस्थान की स्थापना की गयी थी जिसके अन्तर्गत उद्योग चलाने हेतु वर्ष 1965-66 में 2 व्यक्तियों को ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत कम ब्याज की दर पर 25,000 रु0 का ऋण दिया गया था जिस में से 6,190.72 रु0 की वसूली की जा चुकी है। शेष धनराशि की वसूली हेतु एक मामले में मुकदमा चल रहा है तथा दूसरे मामले में रिकवरी सार्टिफिकेट जारी कर दिया गया है।

गांव बरना, तहसील फूलपुर, जिला इलाहबाद में हड्डी की खाद बनाने के कारखाने हेतु दिया गया ऋण

*31—श्री हर प्रताप सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् 1965 में इलाहाबाद की तहसील फूलपुर के गाँव बरना में जानवर की हड्डी से खाद बनाने का कारखाना लगाने हेतु 2 लाख रुपया सरकारी ऋण एक सरकारी अधिकारी ने अपनी बीबी के नाम से लिया था और इसके लिए फर्जी जमानत पश किया था ? यदि हाँ, तो क्या उससे वह कारखाना खोला गया या नहीं तथा उस ऋण की वापसी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष 1965 में तहसील फूलपुर के गांव बरना में जानवर की हड्डी से खाद बनाने का कारखाना स्थापित करने हेतु कोई ऋण नहीं दिया गया। बल्कि वर्ष 1966-67 में श्रीमती अख्तर फातिमा, धर्म पत्नी, श्री ए0 डब्ल्यू0 काजमी (सहायक सेवायोजन अधिकारी, जिला बरेली) को उक्त स्थान में हड्डी का कारखाना लगाने हेतु 25,000 रु0 का ऋण सम्पत्ति बन्धक के रूप में लेकर ग्रामीण उद्योग परियोजना के अन्तर्गत दिया गया था। इस ऋण से कारखाना नहीं खोला गया। उक्त धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। वसूली नहीं हो पायी है।

*32—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री भीषम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

विजिलेन्स विभाग, मेरठ में कार्यरत डी० वाई० एस० पी०

*33—श्री काजी मुहम्मद मुहीउद्दीन (जिला सहारनपुर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में पुलिस के विजिलेन्स विभाग में कितने डी0 वाई0, एस0 पी0 ऐसे हैं, जो लगातार 13 वर्षों से वहीं कार्यरत हैं और वे मेरठ मन्डल के ही निवासी भी हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

इस प्रकार का एक अधिकारी है।

ग्राम औरंगाबाद, थाना मिसरिख, जिला सीतापुर में गोकशी की घटना

*34—श्री गोरकन प्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम औरंगाबाद, थाना मिश्रिख, सीतापुर में दिनांक 9/10 जुलाई, 1977 की रात में दुधारू पशुओं को बिना सरकारी आज्ञा के काट दिया गया जिससे गोवंश की हानि हुई एवं क्षेत्र का वातावरण दूषित हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम औरंगाबाद थाना मिश्रिख, जिला सीतापुर निवासी हुसैन बक्स उर्फ बड़ेकऊ व मकदूम बक्स उर्फ छोटकऊ के मकान पर इमाम जाफर के त्योहार के सिलसिले में गोकशी करने की तैयारी होने ही सूचना दिनांक 10 जुलाई, 1977 की प्रातः सवा चार बजे चौकी नीमसार पर मिलने पर चौकी इन्चार्ज नीमसार कुछ सिपाहियों तथा सूचनाकर्ताओं सहित तुरन्त घटनास्थल पर रवाना हुए और पाया कि उक्त मकान के अन्दर 20-21 आदमी व औरतें दो-तीन गाय व बैलों को कुल्हाड़ी व छुरियों से सभी मुल्जिमान मिलकर गोश्त व चमड़ा गाय-बैलों का काट रहे हैं तथा कुछ औरतें गोश्त के टुकड़ों को उठाकर झउवों में रख रही है कि सभी पुलिस कर्मचारीगण ने गवाहान के साथ घर में घुसकर दस अभियुक्तों को रंगे हाथों घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया। शेष अभियुक्त भागने में सफल हो गए। घटनास्थल पर एक कटी हुई गाय एक कटा हुआ बछड़ा व एक कटा हुआ बैल तथा दो जिन्दा बैल बरामद हुए।

इस घटना के सम्बन्ध में थाना मिश्रिख पर 22 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 379/411 भारतीय दन्ड विधान व 3/8 गोवध ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। फरार अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। विवेचना उपरान्त इस अभियोग में दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

इस घटना का प्रभाव हिन्दू वर्ग पर अधिक पड़ा किन्तु स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप व पुलिस द्वारा अविलम्ब कार्यवाही के फलस्वरूप कोई अप्रिय घटना घटित नहीं होने पायी। स्थिति सामान्य है फिर भी शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक सशस्त्र गार्ड की व्यवस्था कर दी गई है और पुलिस को सतर्क कर दिया गया है।

छेदीलाल, निवासी अम्बिया मन्डी को थाना कोतवाली, जिला वाराणसी में आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तारी

*35—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि छेदीलाल, अम्बिया मन्डी विश्वेसर गंज, थाना कोतवाली, जिला वाराणसी को दिनांक 28 जुलाई, 1977 को कोतवाली थाने के इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर तथा सिपाहियों ने पकड़ कर फर्जी आर्म ऐक्ट में बन्द करके चालान किया और मारकर उसका हाथ तोड़ दिया? आज भी वह शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल, वाराणसी में भर्ती है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28 जुलाई, 1977 को शाम को थाना कोतवाली, वाराणसी की पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से यह सूचना मिलने पर कि क्षेत्र का एक कुख्यात गुन्डा हिस्ट्रीशीटर श्री छेदी अहीर निवासी अम्बिया मन्डी अवैध पिस्तौल व कारतूस के साथ एक मकान में छिपा हुआ है, पुलिस ने मकान को घेर कर उसे पकड़ने का प्रयास किया। श्री छेदी अहीर जब मकान से निकलकर भागना चाहा तब उसे घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गयी और विवेचना के पश्चात् पुलिस ने अभियोजन हेतु जिला मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति के लिए अनुरोध किया है। दौरान गिरफ्तारी श्री छेदी अहीर को कुछ चोटें आईं। श्री छेदी अहीर को अस्पताल से अवमुक्त किया जा चुका है।

*36—श्री राम दत्त जोशी—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

मुहल्ला चौबयाना, कस्बा तालबेहट, जिला ललितपुर के चमारों द्वारा शराब पीकर झगड़ा एवं घायल हुए सिपाही

*37—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कस्बा तालबेहट जिला ललितपुर में 23-24 अगस्त, 1977 की रात को मुहल्ला चौबयाना में चमारों (हरिजनों) ने शराब पीकर झगड़ा किया उसमें से कुछ चमार भाई थाना तालबेहट गए और उक्त झगड़े की सूचना

दी, उक्त सूचना पर 2-3-सिपाही मौके पर चमारों के मुहल्ला में पहुंचे तो दूसरे चमारों के दल ने उक्त सिपाहियों पर लाठियों से हमला बोल दिया ? एक सिपाही के सर में 8 टांके लगे और दूसरे सिपाही भी बुरी तरह घायल हुए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

प्राप्त सूचना के अनुसार मोहल्ला चौबयाना 'कस्बा तालबेहट' जिला ललितपुर के कुछ चमारों (हरिजनों) के विरुद्ध दिनांक 26 अगस्त, 1977 को रात में शराब पीकर झगड़ा करने की सूचना थाना तालबेहट में दिनांक 26 अगस्त, 1977 को ही उक्त मुहल्ले के लक्ष्मण तथा शिव दयाल हरिजन द्वारा दी गई थी। उक्त सूचना पर थाने से तीन सिपाही तत्काल मौके पर गए जहां दूसरी पार्टी के 7 हरिजनों ने जो शराब के नशे में थे, जो सिपाहियों को लाठी व थप्पड़ों से चोटें पहुंचाईं। इस सम्बन्ध में सातों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवेचना की गई तथा विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 22 सितम्बर, 1977 को आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

सेना द्वारा मारे गए पी० ए० सी० व पुलिस के मृतक कर्मचारी

*38—श्री गोकरन प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश पी0 ए0 सी0 व पुलिस ने दिनांक 22 मई, 1973 को अपनी मांगों के सिलसिले में आन्दोलन किया था जिसमें से बहुत से पी0ए0सी0 व पुलिस के जवान सेना द्वारा मारे गए थे ? यदि हां, तो उन मारे जाने वालों की संख्या क्या थी तथा क्या मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी थी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। पुलिस/पी0ए0 सी0 के 23 अधिकारी/कर्मचारी मारे गए थे। इनमें से 22 मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। एक कर्मचारी घटना के डेढ़ महीने बाद मरा था। उसके परिवार को भी समान सहायता देने के आदेश पारित कर दिए हैं।

बलरामपुर नगर, जनपद गोन्डा के डी० ए० वी० इन्टर कालेज में छुरा भोंकने से हत्या

*39—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री मंगल देव (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दिनांक 6 अगस्त, 1977 को जनपद गोंडा के बलरामपुर नगर में डी0ए0वी0 इण्टर कालेज के हाते में 10 बजे दिन दहाड़े दो नवयुवकों को छुरा भोंक कर हत्या कर दी गयी और प्रधानाचार्य सहित अन्य व्यक्तियों के भी चोटें लगी हैं ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार 6 अगस्त, 1977 को जनपद गोंडा के बलरामपुर नगर में डी0ए0वी0 इण्टर कालेज के हाते में दिन को 9-30 बजे दो युवकों को छुरा भोंक कर हत्या

कर दी गयी। बीच बचाव करते समय कालेज के प्रधानाचार्य को साधारण चोट आई ; किसी अन्य व्यक्ति को चोटें नहीं आई हैं। इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 266 धारा 302 भारतीय दण्ड विधान थाना बलरामपुर नगर, जनपद गोंडा दिनांक 6 अगस्त, 1977 को अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गयी। इस हत्या के चार अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार किया गया और अन्य तीन अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। विवेचना पूरी कर सभी चार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनाँक 21 सितम्बर, 1977 को प्रेषित किया गया ?

क्षेत्रीय गांधी आश्रम, कार्यालय, इलाहाबाद में चोरी तथा दर्ज रिपोर्ट

*40—श्री अवधेश नरायन —

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 पी0 कक्कड़ रोड, इलाहाबाद में स्थित क्षेत्रीय गांधी आश्रम कार्यालय में चोरी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट श्री राम अवध सिंह, कार्यवाहक मन्त्री, क्षेत्रीय गांधी आश्रम, इलाहाबाद द्वारा कोतवाली में 1 नवम्बर, 1974 को की गयी जो 25 अप्रैल, 1975 को दर्ज की गयी ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट दर्ज होने में इतने विलम्ब का कारण क्या था और उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 1 नवम्बर, 1974 की दरख्वास्त की नकल के साथ वादी श्री राम अवध सिंह द्वारा 25 अप्रैल, 1975 को थाना कोतवाली, इलाहाबाद में एक रिपोर्ट लिखाई गई जिसके आधार पर धारा 408 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया था।

किन परिस्थितियों में अभियोग विलम्ब से पंजीकृत हुआ था तथा किन परिस्थितियों में इसे अविवेचित रखा गया इसकी विस्तृत जाँच क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है।

ग्राम बरवासाही, थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया के एक मकान में पुलिस द्वारा छापा व डकैतों की गिरफ्तारी

*41—श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के हाटा तहसील के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने ग्राम बरवा में 1 जून, 1977 से लगातार 1 अगस्त, 1977 के बीच किसी मकान पर छापा मार कर किसी अपराधी दल को गिरफ्तार किया ? यदि हाँ, तो उपर्युक्त मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगदीश, निवासी ग्राम बरवा साही, थाना कप्तानगंज, जिला देवरिया के मकान व बैठकों में दिनाँक 21 जून, 1977 को छापा मार कर पुलिस ने डकैत राणा प्रताप सिंह व उसके तीन साथियों को घेर लिया। डकैतों द्वारा विरोध किए जाने और गोली चलाए जाने पर आत्म रक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई। गोली से एक डकैत

घटनास्थल पर ही मारा गया। मृतक तथा उसके तीनों साथी थाना कप्तानगंज की तीन डकैतियों में तथा देवरिया जिलेके अन्य स्थानों एवं गोरखपुर जिले की डकैतियों में भी वांछित थे।

दिनांक 21 जून, 1977 की घटना के सम्बन्ध में पुलिस की रिपोर्ट पर धारा 147/148/149/307/332/224/216-ए भारतीय दण्ड विधान एवं 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किए गए। विवेचना के उपरान्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

जनपद फैजाबाद, कस्बा जलालपुर के बालक राधेश्याम की सांप काटने से मृत्यु

*42—श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, कस्बा जलालपुर के अन्तर्गत 10 वर्ष के बालक राधेश्याम पुत्र मुन्नी लाल हरिजन की मृत्यु टूरिस्ट सिनेमा के बुकिंग आफिस में 15 अगस्त, 1977 को हुई? यदि हाँ, तो मृत्यु का कारण क्या था और उसके परिवार को तत्काल कोई सहायता प्रदान की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद फैजाबाद, कस्बा जलालपुर के अन्तर्गत 10 वर्ष के बालक राधेश्याम पुत्र श्री मुन्नी लाल हरिजन की मृत्यु 15 अगस्त, 1977 को नावेल्टी टूरिस्ट सिनेमा के बुकिंग आफिस के पास साँप काटने के फलस्वरूप हुई।

आर्थिक सहायता नहीं दी गयी क्योंकि ऐसे मामलों में साधारणतया कोई सहायता नहीं दी जाती।

तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर के श्री सूरज प्रसाद गुप्ता के घर पड़ी डकैती

*43—श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले की तहसील पुवायां में दिनांक 24 अगस्त, 1977 को दिन में 3 बजे नगर के बीचों-बीच श्री सूरज प्रसाद गुप्ता के घर में भीषण डकैती पड़ी और एक महिला की हत्या कर दी गयी? यदि हां, तो उपरोक्त डकैती के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सूरज प्रसाद के घर में कोई घटना नहीं घटी वरन् दिनांक 24 अगस्त, 1977 को उनके मामा, श्री मुन्नालाल, निवासी मोहल्ला कसभरा, पुवायां, जिला शाहजहांपुर ने थाना पुवायां पर एक लिखित रिपोर्ट दी कि उन्होंने लगभग 15.30 बजे एक श्री दाताराम को अपने घर बिजली का मीटर देखने भेजा तो उसने तुरन्त लौट कर बताया कि वादी की पत्नी मृत पड़ी है। वादी भाग कर घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी चारपाई पर मृत पड़ी थी तथा घर से जेवर व नकदी गायब थे। इस सूचना पर धारा 302/394 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर गए। बरेली से वैज्ञानिक उपकरणों की यूनिट को बुलाकर घटनास्थल तथा अन्य सम्भावित प्रदर्शों के फोटो लिए गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामजद नहीं था। विवेचना से दो संदिग्ध अभियुक्त प्रकाश में आए जिन्होंने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया। मुकदमा विवेचनाधीन है।

सूर्यबली त्रिपाठी, ग्राम चन्द्रीपुर, थाना कल्यानपुर, फतेहपुर का डकैती की घटना सम्बन्धी शिकायती पत्र

*44—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ श्री सूर्यबली त्रिपाठी, ग्राम चन्द्रीपुर (पचखरा), थाना कल्यानपुर, जिला फतेहपुर का प्रार्थना-पत्र जिसमें उनके ऊपर पड़ी डकैती का विवरण अंकित है, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

शासन को प्रश्न में उल्लिखित आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच कराई गई। जांच से पाया गया कि डकैती की घटना के सम्बन्ध में धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान का एक मुकदमा थाना कल्यानपुर पर दिनांक 8 अगस्त, 1977 को दर्ज हुआ था जिसे बाद में धारा 396 भारतीय दण्ड विधान में तरमीम किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामांकित नहीं किया गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए सात अभियुक्तों में से तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयत्नशील है। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस गश्त का प्रबन्ध भी किया गया।

मिनिस्ट्रियल पुलिस फोर्स को स्वीकृत देय मकान भत्ता एवं विशेष सेवा भत्ता

*45—श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब शासनादेश संख्या 7252/आठ-ए-94-66 होम डिपार्टमेन्ट (पुलिस-ए) दिनांक 9 जून, 1966 के पैरा 3 के अनुसार लिपिक पुलिस वर्ग सी0आई0डी0 (पुलिस मिनिस्ट्रियल फोर्स) को भी वह सभी सुविधाएं देय हैं जो इक्जीक्यूटिव पुलिस फोर्स को देय होगी परन्तु फिर भी लिपिक पुलिस वर्ग सी0आई0डी0 (पुलिस मिनिस्ट्रियल फोर्स) को मकान भत्ता एवं विशेष सेवा भत्ता शासनादेश संख्या 1870/आठ 1-150 (103)/75/गृह (पुलिस) अनुभाग-1, दिनांक 20 मई, 1970 के अनुसार नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

शासनादेश संख्या 7252/आठ-ए-94-66, दिनांक 6 सितम्बर, 1966 (न कि 9 जून, 1966) द्वारा "मिनिस्ट्रियल पुलिस फोर्स" का गठन किया गया परन्तु इनकी परिलब्धियां पुलिस एक्जीक्यूटिव फोर्स से कम रखी गयी शासनादेश संख्या 1870/आठ-1-150(103)-75, दिनांक 20 मई, 1976 (न कि 1970) द्वारा अधिसूचना विभाग अपराध अनुसन्धान विभाग तथा सतर्कता अधिष्ठान के एक्जीक्यूटिव फोर्स के सदस्यों को विशेष सेवा भत्ता तथा नियत मकान भत्ता स्वीकृत किया गया है। ये सुविधाएं उक्त विभागों के लिपिक वर्गीय स्टाफ के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई क्योंकि इनके कार्य तथा एक्जीक्यूटिव फोर्स के कार्य की तुलना नहीं की जा सकती।

इलाहाबाद शहर में कत्ल की घटनायें व रोक-थाम हेतु उपाय

*46—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि इलाहाबाद शहर में अगस्त, 1977 के प्रथम सप्ताह में लगभग 10 कत्ल की घटनाएं हुयीं ? यदि हाँ, तो मृतकों के नाम क्या हैं तथा इस बढ़ती हुई असुरक्षा का कारण क्या है तथा सरकार इसकी रोक-थाम के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद शहर में अगस्त, 1977 के प्रथम सप्ताह में कत्ल की दस घटनाएं नहीं वरन् केवल एक घटना घटित हुई। दिनांक 5 अगस्त, 1977 को हुई उक्त हत्या श्री गोविन्द मिश्र की है।

अगस्त, 1977 के प्रथम सप्ताह में इलाहाबाद शहर में अन्य हत्या की कोई घटना घटित नहीं हुई जिससे यह कहा जाय कि जन-साधारण में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रयोग में लाई जा रही विधियाँ निम्नवत हैं :

1—विवादित मामले में सूचना मिलते ही तत्परता से जाँच की जाती है एवं यथा-सम्भव समय पर निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है।

2—दिन तथा रात्रि में व्यापक गश्त का प्रबन्ध किया जाता है तथा थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण भी स्वयं अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में घूमते हैं।

3—नगर क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण तथा थानाध्यक्ष रात्रि के एक-दो बजे तक अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं ताकि गश्त भलीभांति चेक की जा सके। रात्रि के 12 बजे के बाद भी फोर्स की उपलब्धता को देखते हुए गश्त पार्टियाँ भेजी जाती हैं। किसी भी सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण तथा थानाध्यक्ष बिना किसी विलम्ब के घटना स्थल पर पहुंचते हैं और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं।

4—नगर में विभिन्न स्थानों पर जो संवेदनशील हैं या अपराध से अधिक प्रभावित हैं या जहाँ लोगों का अधिक आवागमन रहता है वहाँ पर आवश्यकतानुसार सशस्त्र एवं डण्डों के साथ कलस्टर प्वाइंट, वाच पाइंट तथा स्थायी पिकेट्स का भी प्रबन्ध किया गया है।

5—कुछ विशेष कलस्टर पाइंट में वायरलेस सेट्स भी दिए गए हैं ताकि वे किसी प्रकार की घटना की सूचना तुरन्त नियन्त्रण कक्ष तथा सम्बन्धित अधिकारियों को दे सकें एवं पुलिस के पहुंचने में कोई विलम्ब न हो।

6—पैट्रोल कार द्वारा भी समुचित रूप से गश्त किया जाता है।

7—आवश्यकतानुसार घुड़सवार पुलिस द्वारा गश्त कराया जाता है।

8—अवैध शस्त्रों व शराब की अन्य प्रकार की अवैध वस्तुओं के बनाने वालों, बेचने वालों तथा रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

9—असामाजिक तत्वों, गुण्डों, बदमाशों की सख्ती से निगरानी की जाती है तथा किसी भी शिकायत पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाती है।

10—पुलिस के अधिकारियों द्वारा व्यापक पैमाने पर जन-सम्पर्क स्थापित किया जाता है।

मोहल्ला हरतीरथ, थाना कोतवाली, जिला वाराणसी के श्री राजेश कुमार का अपहरण

*47—श्री ऊदल तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 2 सितम्बर, 1975 को राजेश कुमार, मकान नं0 के–46/14 हरतीरथ पोखरा, थाना कोतवाली, जिला वाराणसी का अपहरण कर लिया गया जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली, वाराणसी में की गयी और एस0 एस0 पी0, एस0 पी0 सिटी और दिनांक 16 नवम्बर, 1975 को श्रीमान् चीफ सेक्रेट्री, उत्तर प्रदेश को राजेश कुमार की माता लल्ली देवी ने प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 3 सितम्बर, 1975 को श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, निवासी के0 46/14, मोहल्ला हरतीरथ, थाना कोतवाली, वाराणसी ने थाना कोतवाली पर अपने पुत्र श्री राजेश कुमार के दिनांक 2 सितम्बर, 1975 की शाम से घर से चले जाने की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर एक मुकदमा धारा 363 भारतीय दण्ड विधान के अधीन कायम कर विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गयी। बाद में इस मामले की जाँच अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंप दी गयी। विलुप्त की माता के कुछ प्रार्थना-पत्र उक्त मामले के बारे में प्राप्त हुए थे। इनमें भी उल्लिखित बातों की जाँच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री राम दुलारे, निवासी ग्राम नदारा, जिला फर्रुखाबाद की पुलिस की गोली से मृत्यु

*48—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 दिसम्बर, 1976 को राम दुलारे, निवासी ग्राम नदारा, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद को अपने नलकूप से रात्रि में थानेदार, थाना नवाबगंज ने पकड़ कर गोली से मार दिया और इन काउन्टर दिखा दिया ? क्या इसकी शिकायत मृतक के पुत्र ने दूसरे दिन उच्च अधिकारियों से की थी ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का शिकायती-पत्र मृतक श्री राम दुलारे के पुत्र द्वारा उच्चाधिकारियों को दिया गया था। श्री राम दुलारे की मृत्यु के सम्बन्ध में एक मैजिस्ट्रेट द्वारा जाँच कराई गई। मैजिस्ट्रेट की जाँच रिपोर्ट के अनुसार श्री राम दुलारे की मृत्यु पुलिस की गोली से एक वास्तविक इनकाउण्टर में हुई।

जिला फर्रुखाबाद में सुरक्षा हेतु तैनात पुलिस आर्मड गार्ड

*49—श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी सुरक्षा हेतु उनके घरों पर पुलिस आर्म्ड गार्ड वर्षों से लगे हैं ? यदि हाँ, तो वह कितने-कितने समय से हैं और उनको कब तक हटाने का विचार है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ, जिला फर्रुखाबाद के सर्वश्री चन्द्र सेन, हरी सिंह, मलखान सिंह व देवी दयाल के यहाँ क्रमशः 24 दिसम्बर, 1974, 13 मई, 1977, 21 अगस्त, 1977 व 8 जून, 1977 से उनकी जान-माल की सुरक्षार्थ गार्ड तैनात हैं।

स्थानीय परिस्थितियों एवं शान्ति व्यवस्था में सुधार होने के पश्चात् ही गार्ड हटाई जा सकती है।

*50—श्री रियासत हुसैन—

[पुनरावृत्ति के कारण हटाया गया।]

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड में अलग-अलग वेतन-क्रम में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारी

*51—डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 में अनुसूचित जातियों का सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 65-3-69 रा0एकी0 दिनांक 9 जून, 1969 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 1971-72 के 1976-77 तक कुल कितने अनुसूचित जाति व जनजाति के अलग-अलग वेतन-क्रम में आरक्षण की पूर्ति हेतु कर्मचारियों को नियुक्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष 1971-72 से वर्ष 1976-77 तक उत्तर प्रदेश निर्यात निगम में कुल 9 केवल अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को निम्नलिखित वेतन-क्रम में नियुक्त किया गया :—

(1) 3 कर्मचारी 300 रु0 प्रति माह संकलित वेतन पर।

(2) 4 कर्मचारी रु0 165-215 के वेतनमान में।

(3) 1 कर्मचारी रु0 175 प्रति माह संकलित वेतन पर।

(4) 1 कर्मचारी रु0 8 दैनिक वेतन पर।

निगम की रिक्तियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में उनकी नियुक्ति की सदैव चेष्टा की गयी। परन्तु निगम के व्यवसायिक कार्य हेतु उक्त जातियों के वाँछित क्षमता के योग्य अभ्यर्थी न मिल सके।

आगरा के निकट बदमाशों द्वारा लूटी गई राजकीय बस

*52—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि राजकीय बस जिसका नं0 यू0टी0 डब्ल्यू0 9186 महोबा डिपो (कानपुर रीजन) को तारीख 26 अगस्त, 1977 के 8 बजे रात्रि को आगरा के निकट बदमाशों ने लूट लिया? यदि हाँ, तो इस लूट में कितनी सम्पत्ति लूटी गयी और कितने यात्री घायल हुए? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 26 अगस्त, 1977 को रात्रि लगभग 8.15 बजे रोडवेज बस नं0 यू0टी0डब्ल्यू0 9186 महोबा डिपो (हमीरपुर) को आगरा के निकट कुछ

बदमाशों द्वारा लूटा गया। इस घटना में 16,172 रु0 नकद व घड़ियाँ, कपड़े एवं जेवरात आदि लूटे गए। कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना एत-मादपुर, जिला आगरा पर 6 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 395 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग की विवेचना प्रचलित है एवं अप-राधियों की खोज तथा लूटे गए माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं।

जिला इलाहाबाद, थाना फूलपुर के श्री रामहरख की हत्या

*53--श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के थाना फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम कनोजाकलां से 6/7 अगस्त, 1977 की रात्रि को श्री राम हरख पुत्र शुक्रू की हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बसन्त लाल पुत्र श्री रामहरख, निवासी ग्राम कनौजा कलां थाना फूलपुर, जिला इलाहाबाद ने अपने पिता श्री रामहरख की हत्या कर दिए जाने सम्बन्धी सूचना दिनांक 7अगस्त, 1977 की प्रातः थाना फूलपुर पर दी। इस सम्बन्ध में धारा 302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया अभियोग विवेचनाधीन है।

प्रदेश के बंटवारे से सम्बन्धित विधायकों द्वारा दिया गया कथित ज्ञापन

*54--श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्या सरकार बताएगी कि सन् 1973 में एक ज्ञापन जो कि 50 विधायकों के हस्ताक्षर द्वारा सरकार को दिया गया था जिसमें प्रदेश को तीन या चार भागों में विभक्त करने की मांग की गयी थी उस पर सरकार ने क्या कोई निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्तमान सरकार उपरोक्त विचारों से सहमत है ? अगर नहीं है, तो क्यों ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं।

सेकेन्ड फायर आफिसर पदों की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत

*55--डाक्टर जवाहर लाल तथा श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 18 अगस्त, 1977 को गृह सचिव को उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में हुए हाल के सेकेण्ड फायर आफिसर पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बरती गयी अनियमितता के विषय में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां, एक शिकायती-पत्र दिनांकित 19 अगस्त, 1977 प्राप्त हुआ था, इस पत्र पर अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक को जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है।

आपात्काल के मध्य अनिवार्य सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने की मांग

*56—श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत) तथा श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलाने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन अवधि में जिन कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायर कर दिया था क्या उन्हें पुनः सेवा में लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं ।

आपातकालीन अवधि में भी अनिवार्य सेवा निवृत्तियां उन्हीं प्रविधानों के अन्तर्गत की गयीं जो पहले से विद्यमान थे। अतः ऐसे प्रसंगों के लिए कोई नए आदेश निकालने का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना सिरसिया, जिला बहराइच में कलकत्ता से भगाई गई दो लड़कियों की बरामदी

*57—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या गृह मन्त्री को यह जानकारी है कि जुलाई, 1977 के प्रथम सप्ताह में बहराइच जिले के थाना सिरसिया में कलकत्ता से भगाई गई दो लड़कियां (शारदा एवं काजल) ग्राम बैरिया कुण्डी, थाना सिरसिया में अवैध कब्जे से बरामद की गयीं जिन्हें स्थानीय पुलिस रुपया लेकर बेच रही थी ? यदि हां, तो उक्त घटना का पूर्ण विवरण क्या है और दोषी पुलिस के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बहराइच के ग्राम सेमरा बैरिया कुंडी, थाना सिरसिया में कलकत्ता से भगाई हुई दो लड़कियों (शारदा एवं काजल) पुलिस द्वारा बरामद की गयीं। दोनों लड़कियों का बयान 164 जा0 फौजदारी में दर्ज करके डाक्टरी मुआयने के बाद अनाथालय, लखनऊ भेज दिया गया यह सत्य नहीं है कि पुलिस रुपया लेकर लड़कियों को बेच रही थी। इसलिए पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*58—श्री बेचू राम—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद सुल्तानपुर के विकास हेतु उठाए गए कदम

*59—श्री उदय प्रताप सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सुल्तानपुर जनपद के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए ? अगर नहीं, तो क्यों ? और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आगे उसके विकास के लिए क्या-क्या योजनाएं हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

सुल्तानपुर जनपद के विकास के लिए सामान्य कार्यक्रमों के अलावा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :--

(1) जनपद में 1250 टन दैनिक पेरन क्षमता की चीनी मिल की स्थापना की जा रही है।

(2) सुल्तानपुर तथा रायबरेली की सीमा पर जगदीशपुर के निकट एक सामान्य औद्योगिक केन्द्र को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है।

(3) जनपद औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा घोषित किया गया है जिसके कारण उद्योग के लिए जिले को विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(4) जनपद के अमेठी, गौरीगंज, चौदर और बेंदुआ विकास खण्डों में सीमान्त एवं लघु कृषक योजना चलाई जा रही है।

(5) छठी पंचवर्षीय योजना में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों का अपेक्षित ध्यान रखा जाएगा।

*60--श्री बांके लाल तथा श्री बसन्त--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

डिस्ट्रिक्ट जेल गोरखपुर में कृषि फार्म का उत्पादन

*61--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जेल, गोरखपुर में कोई कृषि फार्म है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1975-76 में उक्त फार्म का उत्पादन क्या रहा?

कारागार मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जी हां, डिस्ट्रिक्ट जेल, गोरखपुर में 35.148 एकड़ का एक फार्म है।

कृषि वर्ष 1975-76 में उक्त फार्म का उत्पादन निम्न प्रकार था :--

सब्जी	..	..	357.98 क्विंटल
खाद्यान्न	..	..	131.68 ,,
चारा	..	..	316.22 ,,

62--श्री रामजी--

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

ग्राम दिवबट में तैनात पी० ए० सी० के सिपाहियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*63--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बंशीडेरा, मजरा नरी, थाना पैलानी, जिला बांदा के गढ़वा पुत्र गन्नी ने मुख्य मन्त्री तथा आई०जी० पुलिस को दिनांक 5 जुलाई, 1977 को एक तार और गढ़वा के भाई दर्शन ने दिनांक 15 जुलाई, 1977 को एक रजिस्टर्ड प्रार्थना-

पत्र स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को तथा आई0 जी0 पुलिस को भेजा था ? यदि हां, तो वह क्या था ? उन तार व प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बंशी डेरा मजरा नरी, थाना पैलानी, जिला बांदा निवासी श्री गढ़वा का तार, दिनांक 5 जुलाई, 1977 तथा उनके भाई दर्शन का प्रार्थना-पत्र, दिनांक 15 जुलाई, 1977 प्राप्त हुए थे। उक्त तार व प्रार्थना-पत्र में ग्राम दिघवट में तैनात पी0ए0सी0 के कुछ सिपाहियों के विरुद्ध दर्शन को दिनांक 3 जुलाई, 1977 को गांव से एक जांच कहानी करके पकड़ ले जाने, दो अन्य व्यक्तियों से हथगोले व तमंचे की बरामदगी की गवाही देना स्वीकार न करने पर दर्शन को मारने-पीटने व हथगोले की बरामदगी के झूठे मुकदमें में फंसाने की शिकायत की गयी थी। इस शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी से कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि दर्शन तथा दो अन्य व्यक्तियों को हथगोले व तमंचे व कारतूसों सहित पी0ए0सी0 के सिपाहियों द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 1977 को गिरफ्तार किया गया था और इस सम्बन्ध में थाना पैलानी में तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध तीन मुकदमें दर्ज किए गए थे। दर्शन के विरुद्ध मुकदमा नं0 91, अन्तर्गत 5 एक्सप्लोसिव्स ऐक्ट दर्ज किया गया था जिसकी विवेचना के उपरान्त चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

जिला बलिया, थाना उभाव की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*64---श्री रफी उल्लाह (जिला बलिया)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21/22 जुलाई, 1977 की रात में बेल्थरा बाजार, जिला बलिया के थाना उभाव की पुलिस ने स्थानीय हरिजनों को बुरी तरीके से मारा और हवालात में बन्द कर दिया जिसकी शिकायत तुरन्त बाद जिला अधिकारियों एवं मुख्य मन्त्री को भी दी गयी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बलिया के थाना उभाव की पुलिस के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित आशय का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांच से प्रतीत हुआ कि दिनांक 21/22 जुलाई, 1977 की रात्रि 13 हरिजनों और 5 सवर्णों को धारा 151, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में धारा 107/116, जा0फौ0 के अन्तर्गत 13 हरिजनों और 12 सवर्णों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है।

जांच से पुलिस के विरुद्ध हरिजनों को मारने-पीटने एवं हवालात में खाना न देने आदि के आरोप अप्रमाणित रहे।

*65---श्री नरेश चन्द्र---

[विधेयक पारित हो जाने के कारण निरस्त।]

कैवनेटगंज (विक्रमादित्यमार्ग), लखनऊ में पानी व बिजली की आपूर्ति

*66—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैवनेटगंज, बन्दरिया बाग (लखनऊ) चतुर्थ श्रेणी के प्रत्येक सरकारी क्वार्टरों में पानी व बिजली की सुविधा देने की योजना के अन्तर्गत 1973-74 में पाइप लाइन आदि लगा दिए गए थे परन्तु अब तक पानी व बिजली न देने का क्या कारण है ? और सरकार उक्त सुविधायें कब तक प्रदान कर देगी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

कैबनेटगंज (विक्रमादित्य मार्ग), लखनऊ में नगर महापालिका की पाइप लाइन में पानी का दबाव कम होने के कारण नगरमहापालिका ने यहां स्थित क्वार्टरों के लिए पानी का कनेक्शन नहीं दिया है। नगरमहापालिका द्वारा इस स्थान पर एक नलकूप बनाया जाना है जिसके पश्चात् इन क्वार्टरों में पानी की व्यवस्था हो जाएगी।

इन क्वार्टरों में बिजली की फिटिंग का कार्य पूर्ण हो गया है और क्वार्टरों के समीप बिजली की लाइन उपलब्ध है और बिजली का कनेक्शन क्वार्टरों के अध्यासियों द्वारा स्वयं लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम में बिजली के मीटर की सिक्योरिटी आदि जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है।

*67—श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री मोहन सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

पर्वतीय क्षेत्र के निर्माणाधीन मार्गों का निर्माण कार्य रोकने के लिए शासनादेश

*68—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टहरी-गढ़वाल)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में निर्माणाधीन मार्गों पर निर्माण कार्य को रोक देने के लिए हाल में सरकार की ओर से आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शोबन सिंह जीना—

पर्वतीय क्षेत्र के निर्माणाधीन मार्गों का निर्माण कार्य रोकने के लिए शासन के कोई आदेश नहीं थे। कुछ भ्रमवश मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों पर इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए थे जो उनके द्वारा स्वयं ही निरस्त कर दिए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में निर्माणाधीन मार्गों के निर्माण पर अब कोई रोक नहीं है ?

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति हेतु न्यूनतम प्राप्तांक

*69—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह जानकारी है कि प्रदेश की न्यायिक सेवा में वर्ष 1970, 1972 एवं 1975 में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का न्यूनतम प्रप्तांक प्रतिशत क्या रहा है और क्या यह सही है कि वर्ष 1975 व 1977 में क्रमशः वर्ष 1970 व 1972 के कुछ

अनुत्तीर्ण घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और वर्ष 1975 में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सेवा में न लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में वर्ष 1970, 1972 वर्ष 1975 में अभ्यर्थियों की नियुक्ति का न्यूनतम प्राप्तांक क्रमश: 35.3, 44.5 तथा 53.6 प्रतिशत था। वर्ष 1965 में वर्ष 1970 की परीक्षा के कुछ अनप्लेस्ड अभ्यर्थी अवश्य मुन्सिफ के पदों पर नियुक्त किये गये, क्योंकि मुन्सिफों की भारी कमी थी। वर्ष 1977 में वर्ष 1972 की मुन्सिफ की परीक्षा के कोई अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी नियुक्त नहीं किये गये। वर्ष 1975 में पूर्व निर्णय के अनुसार हुई परीक्षा के आधार पर केवल 100 मुन्सिफ नियुक्त करने थे। अतः उस वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सेवा मे लेने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह की अस्पताल में छुरा मारे जाने की दर्ज रिपोर्ट

*70—श्री गौरी शंकर भय्या (जिला बलिया) तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या गृह मन्त्री जी को ज्ञात है कि दिनांक 18 अगस्त, 1977 को वाराणसी के पुलिस स्टेशन चेतगंज में श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ झल्ला सिंह ने कोई रिपोर्ट उनके शरीर में छुरा मारकर हत्या करने के प्रयास की लिखायी है यदि हां, तो इस घटना का पूरा विवरण क्या है और पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह भी सही है कि इस घटना के बारे में एक शिकायती-पत्र श्री राम अधार सिंह, जो घायल के चाचा हैं और रेलवे अस्पताल में भर्ती है, जिलाधिकारी, वाराणसी को भेजा है जिसमें पुलिस पर आरोप लगाए गए हैं, यदि है, तो आरोप क्या हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18 अगस्त, 1977 को श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ झल्ला सिंह ने वाराणसी के थाना चेतगंज पर कोई रिपोर्ट प्रश्न में उल्लिखित आशय की नहीं लिखाई बल्कि दिनांक 19 अगस्त, 1977 को प्रात: पूर्वोत्तर रेलवे अस्पताल के एक डाक्टर ने श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह को अस्पताल में एक व्यक्ति द्वारा छुरा मारे जाने की लिखित सूचना थाना चेत गंज पर दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर धारा 324, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करके विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा उसी दिन अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभियुक्त उस अस्पताल मे भर्ती एक मरीज बताया गया तथा उसके द्वारा छुरा मारे जाने का कारण शराब पीकर अस्पताल में ऊधम मचाने से उसे श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा रोका जाना प्रतीत हुआ।

उस अस्पताल में भर्ती श्री राम अधार सिंह, जो घायल के चाचा हैं, ने जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें पुलिस के विरुद्ध उक्त घटना से सम्बन्धित प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज न करने तथा खून आलूदा कपड़ा आदि कब्जे में न लेने का आरोप लगाया गया।

श्री विन्ध्यवासिनी ग्राम जमुआ की पुलिस हिरासत में मृत्यु

*71—श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी) —

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विन्ध्यवासिनी उर्फ गड़गड़, निवासी ग्राम जमुआ, थाना भदोही, जनपद वाराणसी को दिनांक 25 नवम्बर, 1976 को थाना अध्यक्ष, भदोही द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसी दिन थाने में दी गई यातना के कारण, उसकी मृत्यु हो गई? यदि हां, तो पुलिस के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना भदोही, जिला वाराणसी अन्तर्गत ग्राम झिगुरपुर के कुछ निवासियों द्वारा श्री विन्ध्यवासिनी उर्फ गड़गड़ निवासी, ग्राम जमुआ को चोरी करने के सम्बन्ध में मारपीट कर पकड़ा गया और जब उसे थाना भदोही ले जाया जा रहा था तब थाने पर पहुंचने के पूर्व ही रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले की जांच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा कराने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जांच पूर्ण होने पर ही वास्तविक तथ्यों का पता चल सकेगा।

जनपद देवरिया की दीवानी तथा फौजदारी अदालतों में विचाराधीन वादों का निस्तारण

*72—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या न्याय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के दीवानी तथा फौजदारी अदालतों में 15 जून, 1976 तक कुल कितने वाद विचाराधीन थे तथा उनका निस्तारण कब तक होने की सम्भावना है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

15 जून, 1976 को देवरिया जनपद की दीवानी अदालतों में कुल 5,467 तथा फौजदारी अदालतों में कुल 12,359 वाद विचाराधीन थे जिनका निस्तारण न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर यथा सम्भव शीघ्र किये जा सकने की व्यवस्था की जा रही है।

मरेला अकबरपुर कताई मिल, फैजाबाद में स्टेपिल यार्न उत्पादन की योजना

*73—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के मरेला अकबरपुर कताई मिल में स्टेपिल यार्न तैयार करने की कोई योजना 1977-78 में सरकार के विचाराधीन है तथा क्या यह भी सत्य है कि तैयार किया हुआ स्टेपिल यार्न टाण्डा में सेल डिपो खोलकर बुनकरों को वितरित किया जायगा। यदि हां, तो इसकी पूर्ण रूपरेखा क्या होगी?

श्री राम प्रकाश—

अक्तूबर, 1977 से इस मिल में 22 एन एफ स्टेपिल यार्न का उत्पादन आरम्भ करने का कार्य-क्रम है। उत्पादित स्टेपल यार्न के वितरण के लिए टाण्डा में सेल डिपो खोलने की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। अतः इसकी रूप-रेखा का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रताप सिंह पाण्डेय, थानाध्यक्ष नरैनी, जिला बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*74—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

क्या सरकार को थानाध्यक्ष नरैनी (श्री पी0 एस0 पान्डेय), जिला बाँदा के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र, दिनाँक 30 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो आरोपों का विवरण क्या है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ।

प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनाँक 30 अगस्त, 1977 को शासन को प्राप्त हुआ जिसमें श्री प्रताप सिंह पाण्डे, थानाध्यक्ष नरैनी, जिला बाँदा के विरुद्ध डकैती के अपराधों का न्यूनीकरण करने, अपराधियों से रिश्वत लेकर उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने आदि के दस मामलों का उल्लेख था। इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी द्वारा जाँच कराई गई। जाँच से ग्राम देवली में कुछ हरिजनों के यहाँ पड़ी डकैती की रिपोर्ट विलम्ब से लिखे जाने का आरोप सही पाए जाने के फलस्वरूप थानाध्यक्ष को पुलिस लाइन में स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है? जाँच के शेष आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

आपात काल के मध्य तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के विरुद्ध शिकायती- पत्र एवं उनकी पदोन्नति का आधार

*75—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि जिला सहारनपुर के जिलाधीश (श्री राजेन्द्र कुमार) ने आपात् स्थिति के दौरान अनेक निर्दोष नागरिकों को बिना मुकदमा चलाए नजर बन्द रखा है और उन्हें यातनायें दीं? यदि हाँ, तो सरकार उसकी जाँच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

सहारनपुर के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपात् स्थिति के दौरान निर्दोष नागरिकों को बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द रखे जाने व उन्हें यातनायें दिए जाने के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अत: उनके विरुद्ध कोई जाँच या कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*76—श्री राजकुमार शर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त जिलाधीश को पूर्वगामी सरकार ने प्रशंसा-पत्र एवं पुरस्कार दिया था और उनकी पदोन्नति की थी? यदि हाँ, तो इसका आधार क्या था?

श्री राम नरेश यादव—

जिले की चतुर्दिक प्रगति में जिस परिश्रम तथा समर्पित भाव से भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ने सराहनीय कार्य किया उसके फलस्वरूप उन्हें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सम्मान पत्र और 1,000रु0 (एक हजार रुपए) का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

उन्हें उनका नम्बर आने पर और प्रोन्नति हेतु योग्य पाये जाने के बाद अगस्त 1976 से आई0 ए0 एस0 के सुपरटाइम स्केल में प्रोन्नत किया गया।

अतारांकित प्रश्न

विधायकों एवं संसद सदस्यों हेतु पुलिस का शैडो व पुलिस गार्ड

1—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने विधायकों एवं संसद सदस्य के पास पुलिस का शैडो है और उनके घर पर पुलिस गार्ड लगा हुआ है ? इस पर प्रदेश की सरकार का कितना माहवारी धन व्यय होता है ?

श्री राम नरेश यादव—

इस समय कुल 9 संसद सदस्यों तथा 16 विधायकों के पास पुलिस का शैडो है। दो संसद सदस्यों तथा एक विधायक के घर पर पुलिस गार्ड भी लगा हुआ है। इस पर प्रदेश की सरकार का कुल रु0,20,027.86 पैसे माह अगस्त, 1977 में व्यय हुए। इसमें राज्य मन्त्रि-मन्डल के सदस्य, विधान सभा के अध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति, उप सभापति या नेता विरोधीदल सम्मिलित नहीं हैं।

मेरठ विद्युत् वितरण प्रतिष्ठान उत्तर के कर्मचारियों द्वारा मार-पीट के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट

2—श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को मालूम है कि मेरठ विद्युत् वितरण प्रतिष्ठान उत्तर (M.E.S.U.) के कर्मचारियों ने दिनाँक 17 अगस्त, 1977 को थाना रेलवे रोड, मेरठ में उनके साथ कार्यालय में हुई मारपीट के विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखाई ? यदि हाँ, तो वह रिपोर्ट क्या है ? तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हाँ। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। प्राप्त सूचना के अनुसार दूसरे पक्ष की तरफ से विद्युत् विभाग के लोगों के विरुद्ध एक क्रास केस धारा 147/323/325 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अंकित कराया गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि वादी एवं विपक्षीगण ने आपस में समझौता कर लिया है। वादी पक्ष के साक्षीगण पुलिस के सामने आकर बयान देने में आनाकानी कर रहे हैं तथा काफी प्रयास के बाद भी पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1280 पर)

जिला कारागार में अवैतनिक कारागार विजिटर की नियुक्ति का आधार

3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागारों में गैर सरकारी व्यक्तियों को अवैतनिक कारागार विजिटर नियुक्त करने का आधार क्या रखा गया है तथा प्रत्येक जिले में कितने व्यक्ति नियुक्त किए जायंगे तथा नियुक्ति का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसे विजिटर्स सामान्यत: उन व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जोकि पढ़े लिखे हों, किसी प्रकार के अपराध में उन्होंने सजा न प्राप्त की हो तथा समाज में बदनाम न हों। उन व्यक्तियों की विशेष अर्हता होगी जो आपात कालीन स्थिति के दौरान शासन का विरोध करते हुए जेल गए हों। हर कारागार में विजिटर्स की नियुक्ति उस कारगार में बन्दियों के रखने की क्षमता पर निर्भर होगी। विजिटर्स की नियुक्ति की कार्य-प्रणाली आरम्भ हो गयी है और इस सम्बन्ध में अन्य के अलावा विधायकों से प्रस्ताव माँगे गए हैं।

पर्वतीय जिलों में 'उपाय' नामक संस्था की अर्थ पूंजी

4—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जिलों में कार्य करने के लिए "उपाय" नाम की कोई संस्था बनाई गई है, उसकी अंश पूजी कितनी है और किसने यह अंश पूंजी दी है तथा इसके कार्य क्या-क्या हैं और 31 जुलाई, 1977 तक इसने क्या कार्य किए हैं और उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

पर्वतीय जिलों में उत्पन्न होने वाले फल आदि के प्रोसेसिंग तथा इस प्रकार तैयार की गई सामग्री के विपणन के उद्देश्य से "उपाय" नाम की एक संस्था का पंजीकरण कराया गया है। इस संस्था की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपए हैं जिसके विरुद्ध शासन द्वारा अभी तक 15 लाख रुपए अंश पूंजी के रूप में विनियोजित किए जा चुके हैं। "उपाय" द्वारा अभी तक निम्नलिखित मुख्य कार्य किए जा चुके हैं :—

(1) संस्था का पंजीकरण करा लिया गया है।

(2) प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली गई है।

(2) भारत सरकार को औद्योगिक लाइसेन्स तथा एक्टिनी (फ्रांस) व इन्ट्राड (जेनवा) से विदेशी साझेदारी लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिए गए हैं जो भारत सरकार में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

कम्पनी के गठन के पूर्व के प्रारम्भिक व्ययों को वहन करने के लिए 2 लाख रुपया गढ़वाल व कुमायूं विकास निगमों से दिया गया।

23 सितम्बर, 1977 तक उक्त कम्पनी की स्थापना एवं तत्सम्बन्धी व्ययों के सम्बन्ध में कुल मिलाकर 2,91,330 रुपए व्यय हुआ।

जनपद मेरठ के थानों में रजिस्टर की गई कत्ल व डकैती की घटनाएं

5—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि मेरठ जनपद में पिछले एक मार्च से 15 अगस्त, 1977 तक कितने कत्ल एवं डकैती के केस अलग-अलग थानों में रजिस्टर हुए हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

सूचना सलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1281 पर)

थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया में डकैती व कत्ल की घटनाएं

6—श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि थाना रुद्र पुर, जिला देवरिया में जून, 1977 से दिनाँक 25 अगस्त, 1977 तक कितनी डकैती, कत्ल की वारदातें हुई हैं? उन घटनाओं से सम्बन्धित कितने अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया में 5 डकैतियाँ तथा 2 कत्ल की घटनायें हुईं। डकैतियों की घटनाओं में 13 व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा 3 ने न्यायालय में आत्म-समर्पण किया है। कत्ल की घटनाओं में केवल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, थाना कैन्ट जिला वाराणसी की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

7—श्री राम सजीवन तथा श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजेन्द्र प्रसाद सी0-1/138 ए0, नरायनपुर, थाना कैन्ट, जिला वाराणसी ने एस0 एस0 पी0, वाराणसी को जून तथा जुलाई, 1977 में प्रार्थना-पत्र दिया और डी0आई0 जी0, पुलिस, वाराणसी को दिनांक 27जून, 1977 को प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी जमीन को थानेदार (श्री पारसनाथ सिंह), थाना जमानियां, जिला गाजीपुर तथा उसके परिवार के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय के प्रार्थना-पत्र जून तथा जुलाई, 1977 में श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम नरायनपुर, थाना कैन्ट, जिला वाराणसी के जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे।

प्रार्थना पत्र की जांच राजस्व विभाग द्वारा की गई तो ज्ञात हुआ कि विवादित भूमि के स्वामित्व के बारे में वाद न्यायालय के विचाराधीन है।

सर्वश्री राम प्रसाद सोनकर, निवासी कैसर बाग, लखनऊ की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 जुलाई से 25 जुलाई, 1977 के बीच सर्वश्री राम प्रसाद एवं रामबक्श सोनकर, निवासी कैसरबाग, लखनऊ (हरिजन) द्वारा इस आशय की लिखित सूचना एस0 पी0 (सिटी), लखनऊ को मिली कि उनकी भूमि पर कुछ लोग अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं? यदि हां, तो पूरी शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम बक्स सोनकर, पुत्र राम प्रसाद सोनकर, निवासी केसरबाग, लखनऊ का एक प्रार्थना-पत्र जिसमें विपक्षी राधेलाल व रमन लाल के विरुद्ध प्रार्थी की भूमि संख्या 191 पर अनधिकृत कब्जा करने का आरोप था, पुलिस अधीक्षक (नगर), लखनऊ को दिनांक 28 जुलाई, 1977 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी ने अपनी अहिबरनापुर ग्राम की कुछ आराजी विपक्षी को बेची थी और उक्त आराजी से मिली हुई प्रार्थी की ग्राम इब्राहीमपुर की भूमि सं0 191 पर भी विपक्षी ने कब्जा कर लिया है। राजस्व विभाग के अभिलेखों में दोनों ग्रामों की स्पष्ट सीमा अंकित न होने के कारण मौके पर प्रार्थी की भूमि सं0 192 की मेडबन्दी नहीं हो पाई है। विपक्षी ने न्यायालय से विवादग्रस्त भू-खण्ड का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। दीवानी विवाद होने के कारण इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

सर्वश्री किशनराम तथा शेरराम के विरुद्ध जिला पिथौरागढ़ के निवासियों द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र

9--श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

क्या यह सच है कि ग्राम तमोली (गदयरा) के बेरीनाग ब्लाक, जिला पिथौरागढ़ के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उक्त ग्राम के गंगानाथ मन्दिर को चारों तरफ से घेराबन्दी करके जनता को मन्दिर में जाने से रोकने के सम्बन्ध में शिकायत शासन से करने पर शासन ने उस घेराबन्दी को हटाने के लिए आदेश माह जनवरी, 1977 में दे दिए थे? यदि हां, तो अभी तक उस घेरा बन्दी को न हटाने का क्या कारण है?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार सर्वश्री किशनराम तथा शेरराम के विरुद्ध जिला पिथौरागढ़ के ग्राम तमोली (ग्वीर) के गंगानाथ मन्दिर की भूमि को अपने भूमि में मिला लेने, मन्दिर में आने-जाने के तमाम रास्ते बन्द करने आदि की शिकायतें उक्त ग्राम के श्री मदनराम पुत्र किशनराम ने अपने पत्र दिनांक 2 जनवरी, 1977 द्वारा परगनाधिकारी, डीडीहाट के न्यायालय में की थी। परगनाधिकारी द्वारा मामले में जांच करवाई गई। जांच से विदित हुआ कि उक्त सर्वश्री किशनराम तथा शेरराम द्वारा मन्दिर की भूमि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है उक्त व्यक्तियों को मन्दिर के निचले हिस्से में भूमि आवंटित की गई है। मन्दिर में कोई घेराबन्दी नहीं है और नही जनता को मन्दिर में आने-जाने में कोई रुकावट है। प्रश्न में उल्लिखित मामले के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किए गए।

जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद जिला हरदोई में राजस्व मन्त्री का कार्यक्रम

10--श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद से अब तक सिर्फ हरदोई जिले में राजस्व मन्त्री के कितने कार्य-क्रम लगे, और उन कार्य-क्रमों पर कितना धन व्यय हुआ है?

श्री राम नरेश यादव--

23 जून से 26 अगस्त, 1977 की अवधि में जनपद हरदोई में राजस्व मन्त्री जी के चार कार्य-क्रम हुए। बिलग्राम में बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के निरीक्षण के सम्बन्ध में 415.70 रु0 व्यय हुआ। अन्य कार्य-क्रमों पर जिला प्रशासन द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

जिला बहराइच में डकैती की घटनाओं में शामिल पुलिस कर्मचारी

11--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जिले में जनवरी, 1974 से जुलाई, 1977 तक कितनी ऐसी डकैती के मामले पकड़े गए जिनमें पुलिस कर्मचारी भी मुलाजिम हैं ? वे कौन-कौन हैं तथा उनमें से कितनों के खिलाफ चार्ज शीट लगाई गई ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में बहराइच जिले में दो डकैती के मामले ऐसे पाये गए जिनमें पुलिस कर्मचारी भी मुल्जिम थे। एक मामले में सर्वश्री राम धारी राम, नरेन्द्र प्रताप मिश्रा तथा कपिल देव पाठक मुल्जिम थे जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया था। दूसरे मामले में कांस्टेबिल जीत बहादुर सिंह को नामजद किया गया था किन्तु विवेचना से नामजदगी गलत पाए जाने के कारण उसे धारा 169 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिहा किया गया था।

थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली के पुलिस उपनिरीक्षक श्रीराम कुमार सिंह के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

12--श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)--

क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 29 फरवरी, 1976 को थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली के थाना इन्चार्ज (श्री राम कुमार सिंह) ने एक रिवाल्वर ग्राम-खैरपुर पट्टी में पकड़ा जिसका अपराध संख्या 23/77, दिनांक 28 मार्च, 1977 थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली में भ्रष्टाचार का दर्ज है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अपराध संख्या 23 अन्तर्गत धारा 161/342/218/225 भा0 द0 वि0 तथा 5(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पुलिस उप निरीक्षक श्री राम कुमार सिंह के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा प्रचलित है।

श्री रामसुमेर केवट, निवासी ग्राम ताला, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ के घर डकैती

13--श्री रामदेव दुबे--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद में कन्धई थाने के ताला ग्राम में दिनांक 20/21 जुलाई, 1977 की रात में सर्वश्री राम सुमेर केवट तथा राम समुझ केवट को डकैतों ने लूट लिया और परिवार के अनेक सदस्यों को बुरी

तरह घायल किया ? यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गई ? थाने में रिपोर्ट किन धाराओं में दर्ज कराई गई ? कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और कितने फरार हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

श्री राम सुमेर केवट, निवासी ग्राम ताला, थाना कन्धई, जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक 20/21 जुलाई, 1977 की रात्रि में तीन-चार अज्ञात बदमाशों द्वारा डरा धमका कर उसका घर लूट लेने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट अंकित कराई जिसके आधार पर थाने पर धारा 392 भारतीय दंड विधान का मुकदमा कायम किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अब तक की जांच से घटना में किसी व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के सम्बन्ध में एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था किन्तु गवाहान द्वारा उसकी शिनाख्त न किए जाने पर उसे धारा 169 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिहा किया गया।

14--श्री बसन्त--

[8वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15--श्री बसन्त--

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नागरिक पुलिस सेवा में कार्यरत अस्थायी कर्मचारी श्री गोरख प्रसाद की सेवाओं की समाप्ति

16--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 फरवरी, 1976 को 194 लखनऊ, पुलिस लाइन में ट्रेनिंग हेतु भर्ती किए गए जो सभी नागरिक पुलिस सेवा में 20 सितम्बर, 1966 को ले लिए गए उनमें से ना0 पु0 स0 2019 (श्री गोरख प्रसाद हरिजन) को चमार जानकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ने बिना कारण बताए उसकी सेवा समाप्त कर दी ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

का0 स0 2019 गोरख प्रसाद एक अस्थाई कर्मचारी थे क्योंकि शासन को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न थी इसलिए उनकी सेवायें एक माह की नोटिस के बदले में एक माह का वेतन देकर नियमानुसार ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा समाप्त कर दी गयी। जातिगत भावना से यह कार्यवाही नहीं की गई थी।

पर्वतीय क्षेत्रों की विकास योजनान्तर्गत मोटर-मार्गों का निर्माण

17-- श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कौन-कौन मोटर सड़क कितनी-कितनी लागत से स्वीकार की गयी है ? 31 मार्च, 1977 तक उनमें से प्रत्येक में क्या प्रगति हुई है तथा वर्ष 1977-78 में प्रत्येक के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि निर्माण कार्य हेतु स्वीकार की गई है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों की विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974–75, 1975-76 व 1976–77 में स्वीकृत किए गए मोटर मार्गों का विवरण संलग्न तालिका† में दिया गया है। इसके अतिरिक्त त्वरित योजना एवं लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में भी उपलब्ध †सूचना संलग्न है।

भूतपूर्व सदस्यों द्वारा सरकारी आवास गृह खाली न किया जाना

18—श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने भूतपूर्व मन्त्री एवं एम0एल0ए0 हैं जिनके पास अभी तक सरकारी मकान हैं और उन्होंने उसे खाली नहीं किया है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

शासन के 7 भूतपूर्व सदस्यों तथा विधान सभा के 2 भूतपूर्व सदस्यों ने अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किए हैं।

आवास खाली कराने के लिए शासन के 7 भूतपूर्व सदस्यों तथा विधान सभा के एक भूतपूर्व सदस्य के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही चल रही है तथा विधान सभा के एक भूतपूर्व सदस्य से आवास खाली करने के लिए अनुरोध किया गया है।

तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर में हुए राष्ट्रीय युवक शिविर में सरकारी तन्त्र तथा धन का प्रयोग

19—श्री हरिचरण यादव (जिला सुल्तानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1976 ई0 में तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर में हुए राष्ट्रीय युवक शिविर में सरकारी तन्त्र तथा धन कितना प्रयोग हुआ? यदि हाँ, तो धन किस-किस मद से प्राप्त हुआ ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 16 मई, 1976 से 9 जुलाई, 1976 तक अमेठी, जनपद सुल्तानपुर में काँग्रेस पार्टी द्वारा एक युवक काँग्रेस कैम्प आयोजित किया गया था। तत्कालीन मुख्य मन्त्री के मौखिक आदेशानुसार तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक डिप्टी कलेक्टर को यह आदेश दिया था कि वह लखनऊ जाकर कैम्प के लिए चारपाइयाँ, शामियानें, कनात व अन्य सामानों का प्रबन्ध करवा दें परन्तु यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस सम्बन्ध में जो भी व्यय होगा वह सभी युवक काँग्रेस व काँग्रेस पार्टी वहन करेगी। इस आदेश के अनुसार उपरोक्त अधिकारी ने लखनऊ जाकर मेसर्स अलबेली प्रसाद मनहरन प्रसाद, आर्य समाज मन्दिर रोड, गनेशगंज, लखनऊ के यहाँ से वाँछित सामान प्राप्त कर युवक काँग्रेस कैम्प के लिए अमेठी में उपलब्ध करा दिया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त युवक काँग्रेस कैम्प अमेठी में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करना नहीं ज्ञात हुआ।

मामला मय सम्बन्धित पत्रावली के केन्द्रीय गृह मन्त्रालय भेजा गया है।

---

†छापी नहीं गयी।

जिला बस्ती में नियुक्त कोर्ट इन्स्पेक्टर

20—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में 1975–76, 1976–77 में जिला अधिकारी द्वारा कौन-कौन से कोर्ट इन्सपेक्टर नियुक्त किए गए ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1975–76 व 1976–77 में जिला अधिकारी, बस्ती द्वारा कोई कोर्ट इन्सपेक्टर नियुक्त नहीं किया गया। उक्त वर्षों में जिला बस्ती में जिन कोर्ट इन्सपेक्टरों (अब सहायक अभियोजन अधिकारियों) को शासन द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

वर्ष		नाम		नियुक्ति की तिथि
1975–76	..	शून्य		..
1976–77	..	सर्वश्री राम समुझ	..	26–7–76
		देवनारायण सिंह	..	20–7–76
		कृष्ण प्रताप नारायन सिंह	..	25–2–77
		सुशील मोहन मिश्रा	..	25–2–77
		सूरत नारायन पांडे	..	25–2–77
		गिरीन्द्र नाथ मिश्रा	..	25–2–77

कतिपय जिलों की वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

21—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 31 अगस्त, 1977 को जिला मिर्जापुर, लखीमपुर-खीरी, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, नैनीताल और अफजलगढ़ (जिला बिजनौर), वन विभाग की कितनी भूमि पर कितने लोग नाजायज तरीके से काबिज हैं और उनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द)—

दिनाँक 31 अगस्त, 1977 को जिला मिर्जापुर, लखीमपुर-खीरी, शाहजहाँपुर पीलीभीत, रामपुर, नैनीताल और अफजलगढ़ (जिला बिजनौर) में 16,317.182 हे0 वन भूमि पर 10,893 लोग नाजायज तरीके से काबिज थे।

शासन के दिनाँक एक नवम्बर, 1975 के निर्देशों के अनुसार हरिजनों, आदिवासियों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के दिनाँक 8 नवम्बर, 1973 तक के एवं अन्य लोगों के दिनाँक 30 जून, 1966 तक के ऐसे अतिक्रमण को नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है जो वन प्रबन्ध एवं भूमि-संरक्षण के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है। शेष सभी अतिक्रमण के ऐसे मामलों में, जो उक्त निर्देशानुसार नियमित नहीं हो सकते, अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

कानपुर में इंजेक्शन के लिए डिस्टिल्ड वाटर में चींटियां व फंफूदी पाए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं:—

कानपुर में प्राणघातक ग्लूकोज काण्ड की पुनरावृत्ति हो रही है। दिनाँक 12 सितम्बर, 1977 को कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को इसकी सूचना दी गयी कि इंजेक्शन के लिए डिस्टिल वाटर एम्पुल में भरी हुई चीटियां व फंफूदी पाई गई। उसके पूर्व डिस्टिल्ड वाटर के प्रयोग से खैराबाद नेत्र चिकित्सालय, स्वरूपनगर, कानपुर में एक युवती की आँख के आपरेशन के बाद खराब हो गयी। दुबारा चीटियाँ देखने पर उक्त अस्पताल के डा0 वाई0 के0 महेन्द्रा ने यह जानकारी शासन को दी है। घटना का विवरण चित्र सहित लखनऊ से प्रकाशित प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक "पायनियर" में भी 11 सितम्बर, 1977 को प्रकाशित हुआ है।

खराब दवा होने की जानकारी मिलने के पूर्व इस प्रकार के दूषित इंजेक्शन से कितनों की जीवन-लीला समाप्त हो चुकी होगी, यह जाँच का विषय है। डिस्टिल्ड वाटर एम्पुल्स के दोषपूर्ण निर्माण की समुचित जाँच आवश्यक है। परन्तु अभी तक इस में किसी प्रभावी कार्यवाही की जानकारी नहीं मिली।

अतएव मैं माननीय चिकित्सा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में सम्पूर्ण तथ्यों की जाँच की जाय, दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय तथा की गयी कार्यवाही से इस आदरणीय सदन को अवगत कराने की कृपा की जाय।

प्रदेश में फ्लू तथा ज्वर की बीमारी के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व की सूचना के ऊपर आकर्षित करना चाहता हूं :—

यह कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि प्रदेश में फ्लू के ज्वर का भारी प्रकोप है। लखनऊ जनपद में और नगर में विभिन्न स्थानों से फ्लू के रोगी अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लखीमपुर-खीरी से प्राप्त समाचारों के अनुसार फ्लू की एक लहर दौड़ गई है। रोगी ठंडक महसूस करता है और इसके बाद उसको बड़ी तेजी से ज्वर आता है। यह एक संक्रामक रोग है। मैं माननीय मन्त्री जी का इस संक्रामक रोग के रोकथाम के लिए ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न के सम्बन्ध मे कहना चाहता हूं . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

राजेन्द्र कुमार जी आप कृपया बैठें। आपको उद्योग मन्त्री जी के बाद मौका दिया जायगा।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1975-76†

लघु उद्योग राज्य मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1975–76 को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा 29 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दि इंडियन टरपेन्टाइन एन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की बावनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1975-76††

लघु उद्योग राज्य मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि इंडियन टरपेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की बावनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1975–76 कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे, 1975-76 व भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76††

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे 1975–76 व भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975–76 (सिविल), (वाणिज्यिक) एवं (राजस्व प्राप्तियां) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976††

खाद्य मन्त्री (श्री हरिशचन्द्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से खाद्य तथा रसद (अधिष्ठान अराजपत्रित) अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या ब–2227/उन्तीस-अर्ध0–2 बा0मा0–44–75, दिनांक 30 सितम्बर, 1975 के अधीन प्रकाशित उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976 को उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (5) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(श्री कल्पनाथ सिंह जी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप इसको समाप्त हो जाने दीजिए।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)—

मान्यवर, लाउड स्पीकर्स बिल्कुल बन्द हैं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 सितम्बर, 1977 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 1977 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 8 सितम्बर, 1977 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 1977 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 सितम्बर, 1977 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया।

श्री श्यामधर मिश्र द्वारा सदन में किए गये प्रदर्शन के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध [illegible] अवमान का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, अब आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस आदरणीय सदन में हम भाषण कर सकते हैं, अपनी बात भी उठा सकते हैं और बैठे-बैठे कमेन्ट्स भी एलौड है लेकिन जहां तक नियमों की मेरी जानकारी है सदन में प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर काल में जो हुआ वह प्रदर्शन ही था। माननीय उप-नेता विरोधी दल ने जो आज यहां पर किया उसकी ओर शासन और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो भी प्रश्न यहां पर वे उठाना चाहें नियमों के अनुसार ही उठा सकते हैं, कार्य-स्थगन आदि का प्रस्ताव ला सकते हैं और आपकी अनुज्ञा से अपनी बात कह सकते हैं। मेरा निवेदन यह भी है कि पहले तो प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था, जिसे वे उठाते रहे और दूसरी बात यह है कि इस आदरणीय सदन में प्रदर्शन नहीं किया जा सकता था। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन का अवमान किया है...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, माननीय उद्योग मन्त्री जी ने आज सदन में 2 वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। एक उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, 1975-76 और इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की बावनवीं वार्षिक रिपोर्ट. . .

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता था कि आप इसी विषय पर कुछ कहना चाहते थे ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह विषय तो मैं उठाना चाहता था, लेकिन वह माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने कह दिया।

श्री अध्यक्ष--

मैं बाद में इसकी अनुमति दूंगा। पहले मैं सदन के अवमान के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दूं ।

(श्री राम अधार के खड़े होने पर)

राम अधार जी, आप कृपया बैठिए ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

मान्यवर, देवरिया जिले में सूखे के बारे में. . .

श्री अध्यक्ष--

पहले आप एक प्रश्न तो निश्चित करने दीजिए ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपका अवसर आये, तब कहिए ?

श्री O ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि लाउड स्पीकर्स से आवाज नहीं आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि सदन में क्या कार्यवाही हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी इसको दिखवा लेते हैं ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र जी ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि इन्दिरा जी की गिरफ्तारी जो हुई है, वह भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। कोई राजनीतिक मामला नहीं था, तो जो यहां पर हुआ वह बड़ा अशोभनीय कार्य था। मैं चाहता हूं कि इस अवमान के प्रश्न पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है कि प्रदर्शन करना सदन के नियमों के विरुद्ध है और मैंने उस समय व्यवस्था दी थी । कार्य-स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी उन्होंने नोटिस भी दी थी और उसको रखने का उनको अधिकार था। अब जो भी अवमान हुआ, सदन के समक्ष हुआ, इसलिए मैंने दण्डस्वरूप जिन व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया, आज के लिए सबको निष्कासित कर दिया है। इसलिए अब यह प्रश्न नहीं पैदा होता है ।

सदन के पटल पर रखी गयी रिपोर्टों पर चर्चा के लिए समय की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे कि आज के एजेंडे पर दो रिपोर्ट, आइटम नं0 2 व 3 में हैं। उद्योग मन्त्री द्वारा रखा गया उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 1975–76 और दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की बावनवीं वार्षिक रिपोर्ट 1975–76। अध्यक्ष जी, मैं इन रिपोर्टों को इस सदन के पटल पर रखने का कोई सही अर्थ नहीं निकलेगा जब तक इनके सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा का अवसर न मिले। इसलिए किसी उपयक्त अवसर पर इन रिपोर्टों पर सदन में चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बड़े अनुभवी सदस्य हैं। वह जानते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट जो सदन के पटल पर रखी जाती है स्वतः ही उन पर कभी कोई बहस नहीं की जाती है। अगर माननीय सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव मेरे सामने लायेंगे तो विचार किया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, एटा के तार, पत्र एवं वायरलेस मेसेज दिनांक 2 अक्तूबर, 1977, जो इस सचिवालय में दिनांक 3 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री नारायण दत्त तिवारी, सदस्य, विधान सभा (नैनीताल) एवं विधान सभा में नेता विरोधी दल को दिनांक 2 अक्तूबर, 1977 को साढ़े 10 बजे पूर्वाह्न दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत परगना मैजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 2 अक्तूबर, 1977 का उल्लंघन करने के कारण भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अपराध में पुलिस द्वारा अपनी शक्तियों के प्रयोग में स्थान कछलाघाट, थाना सोरों, जिला एटा में गिरफ्तार किया गया है तथा इस समय उन्हें जिला कारागार, एटा में रखा गया है।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की :—

(1) सदन का उपवेशन शनिवार, 15 अक्तूबर, 1977 को हो और वर्तमान अधिवेशन दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 तक चले तथा 17 अक्तूबर, 1977 को सायंकाल 4 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 प्रस्तुत किया जाय और 4–30 बजे अपराह्न तक उस पर विचार एवं पारण के प्रस्ताव लिए जायं।

(2) सिंचाई मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 60, 61, 84 तथा 85 दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 को पूरे दिन और 10 अक्तूबर, 1977 को 3 बजे अपराह्न तक लिए जायें और उसी दिन 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक खाद्य मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 80, 51 तथा 81 लिए जायें।

[श्री अध्यक्ष]

(3) विद्युत् मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 59 तथा 96 दिनांक 13 अक्तूबर, 1977 को लिए जायें और कृषि मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 45, 46, 49, 50, 79 तथा 95 दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को लिए जायें।

(4) सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 24, 29, 34, 63, 64, 65, 70, 71, 73 तथा 86 दिनांक 15 अक्तूबर, 1977 को लिए जायें।

वन मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 55 तथा 83, संस्थागत वित्त मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 6, 8 तथा 11 और वित्त मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान संख्या 1, 14, 20, 26, 27 और 97 दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को लिए जायें। अब तक जो विषय सदन में थोड़े समय की चर्चा के लिए नियत किए जा चुके हैं उन सबको 18 अक्तूबर, 1977 को लिया जाय।

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन की विभिन्न समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---

सदन की परामर्शदात्री समितियों तथा सभी समितियों के सम्बन्ध में फिर से कार्यक्रम संशोधित कर के जो स्वीकृत हुआ है, वह इस प्रकार है :---

विधान सभा की बैठक के दिनांक 30 सितम्बर, 1977 से 3 अक्तूबर, 1977 तक स्थगित हो जाने के कारण निम्न विभिन्न समितियों एवं निकायों के निर्वाचन के लिए पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम में परिवर्तन किया गया है, जो अब इस प्रकार होगा :---

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक।
नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक 10 अक्तूबर 1977 को 3 बजे अपराह्न (सचिव, विधान सभा के कक्ष में।)
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपराह्न तक।

मतदान यदि आवश्यक हुआ तो—

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड, नरेन्द देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सभा, लखनऊ विश्वविद्यालय की सभा, आगरा विश्वविद्यालय की सभा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, कानपुर विश्वविद्यालय की सभा, काशी विद्यापीठ की सभा, मेरठ विश्वविद्यालय की सभा, गोरखपुर विश्वविद्यालय की सभा, अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय कमेटी, रुड़की विश्वविद्यालय की सीनेट, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला नैनीताल के प्रबन्ध बोर्ड, राज्य भूमि एवं जल-संरक्षण बोर्ड, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड (जिसमें एक महिला सदस्य भी होंगी) तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के सदस्यों के लिए	दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न 5 बजे तक (कमरा नं0 48 में)
(ख) 29 स्थायी समितियों के सदस्यों के लिए	दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 को पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक (कमरा नं0 48 में)

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए पाँच विधान सभा सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनाँक 29 सितम्बर, 1977 को सदन में यह सूचना दी गई थी कि अन्य समितियों तथा निकायों के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वही इसके लिए भी होगा किन्तु मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दिनाँक 13 अक्तूबर, 1977 को होगा। अब चूंकि समस्त समितियों एवं निकायों के निर्वाचन का परिवर्तित कार्य-क्रम निर्धारित किया गया है। अतः इस परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन भी उक्त परिवर्तित कार्यक्रम के अनुसार होगा।

विधान सभा

श्री मोहन सिंह (देवरिया) द्वारा दी गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री मोहन सिंह ने मुझे एक सूचना दी है। इसमें मैं अपनी व्यवस्था देने से पहले बहुत संक्षेप में श्री मोहन सिंह जी से जानना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं।

[श्री मोहन सिंह (देवरिया) का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर]

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन सिंह नहीं हैं। इसलिए मैं आज इस प्रश्न को नहीं ले रहा हूं।

दिनांक 13 सितम्बर, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न 3 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—

दिनाँक 13 सितम्बर, 1977 को श्री खान मोहम्मद आतिफ खां द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त तिवारी के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन हेतु सूचना राज्य मन्त्री का शोधन वक्तव्य।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, दिनाँक 13 सितम्बर, 1977 को श्री खान मोहम्मद आतिफ खां द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में श्री नारायण दत्त तिवारी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि "आदेश जारी हुए हैं। आदेश क्या हैं?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "माननीय अध्यक्ष, भूतपूर्व सरकार ने 22 अगस्त, 1977 से केवल सिद्धान्त रूप में व्यवस्था की थी लेकिन. . ."

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला।

सही उत्तर इस प्रकार है "माननीय अध्यक्ष, भूतपूर्व सरकार ने 8 अप्रैल, 1977 के केवल सिद्धान्त रूप में माना था लेकिन वर्तमान सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय लेकर 22 अगस्त, 1977 को आदेश जारी कर दिए हैं।"

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1282 पर)

एटा तथा फर्रुखाबाद के अलीगंज व कायमगंज क्षेत्र में डकैती, हत्या व लूटपाट का आतंक तथा एक भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक के प्रभाव के कारण बदमाशों को न पकड़े जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

जनपद एटा एवं फर्रुखाबाद की सीमा पर अलीगंज व कायमगंज क्षेत्र में डकैती, हत्या और लूट-मार का आतंक और एक भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक के प्रभाव के कारण पुलिस द्वारा बदमाशों को न पकड़े जाने के सम्बन्ध में सर्वश्री गेन्दा लाल गुप्ता, गिरीश चन्द्र तिवारी,

तथा ब्रह्मदत्त द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मन्त्री का वक्तव्य--

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जनपद फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र तथा जनपद एटा के अलीगंज क्षेत्र में हुई कतिपय डकैती, लूट एवं हत्या की घटनाओं का उल्लेख किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार इन घटनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :--

दिनांक 12 जुलाई, 1977 को अलीगंज, जिला एटा से 7 किलोमीटर दूर ग्राम नगला बख्शी के पास एक बस को 9 बदमाशों ने रोक कर सभी सवारियों के साथ लूट-पाट की और सवारियों को घटनास्थल पर उतार कर उसी बस पर बैठकर चल दिए और कुछ दूर जाकर बस से उत्तर कर चले गए। इस घटना के सम्बन्ध में थाना पटिया पर दिनांक 12 जुलाई, 1977 को धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया। अभी तक किसी अभियुक्त का पता नहीं चल सका है। मुकदमा की विवेचना जारी है।

दिनांक 28/29 अगस्त, 1977 की रात्रि में 15/16 सशस्त्र बदमाशों ने श्री राम चन्द्र गुप्ता, निवासी ग्राम पैथान, थाना कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के मकान पर लूटमार की। ग्रामीणों ने डकैतों का मुकाबला किया और एक डकैत मौके पर मारा गया तथा अन्य भाग गए। इस घटना के सम्बन्धमें धारा 395/397 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा थाना कायमगंज पर कायम किया गया। विवेचना से मृतक डकैत के अलावा 13 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं जिनके विरुद्ध धारा 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही दिनांक 26 सितम्बर, 1977 एवं 27 सितम्बर, 1977 को सम्पादित की गयी। विवेचना प्रचलित है। यह कहना सत्य नहीं है कि दबाव के कारण पुलिस अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

दिनांक 9 सितम्बर, 1977 को श्रीमती सुमित्रा देवी निवासी ग्राम विजयपुर, थाना अलीगंज, जिला एटा ने थाने पर अपने पति उमा शकर यादव की हत्या के सम्बन्ध में दो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट अंकित करवाई। इस सम्बन्ध में धारा 302 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग कायम किया। दोनों नामजद अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विवेचना जारी है।

दिनांक 9 सितम्बर, 1977 को श्री सरदार धोबी, निवासी ग्राम पलरा मे थाना अलीगंज, जिला एटा पर 6 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध उसके भतीजे श्री पूरन धोबी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में रिपोर्ट अंकित कराई। इस सम्बन्ध में धारा 147/148/323/302 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विवेचना जारी है।

[श्री सत्य देव त्रिपाठी]

दिनांक 19 सितम्बर, 1977 को कुमारी ममता पुत्री श्री श्रीनिवास गुप्ता, निवासी मुहल्ला राम प्रसाद चौधरी, कस्बा अलीगंज ने थाना अलीगंज पर दो अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपने बाबा श्री प्यारे लाल की हत्या करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट अंकित कराई जिसके आधार पर धारा 302 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना से दो संदिग्ध अभियुक्त प्रकाश में आए हैं जिन्हें बन्दी बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुकदमें की विवेचना जारी है।

दिनांक 19 अगस्त, 1977 को श्री आनन्द कुमार अग्रवाल, निवासी मुहल्ला राधाकृष्ण, कस्बा अलीगंज, जिला एटा ने थाना अलीगंज पर तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई कि गत रात्रि बदमाश दरवाजे की कुंडी तोड़ कर अन्दर घुस गए और श्री मुकुट बिहारी लाल की बन्दूक उठा ली। एक बदमाश ने श्री मुकुट बिहारी लाल पर फायर किया तथा बदमाश बन्दूक और कारतूस लेकर भाग गए। इस सम्बन्ध में धारा 394 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना जारी है।

दिनांक 21 सितम्बर, 1977 को श्री राम प्रकाश, निवासी घुमरी, जनपद एटा ने थाना जैथरा, जिला एटा पर 5 नामजद तथा 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध घर में डकैती डालने तथा उसके पिता श्री श्रीराम तथा दादी श्रीमती रम्पा देवी की हत्या कर देने के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखवाई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 396 भारतीय दण्ड विधान का मुकदमा कायम किया गया। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अपराध की विवेचना जारी है।

यह सही नहीं है कि एटा–फर्रुखाबाद की सीमा पर अलीगंज एवं कायमगंज क्षेत्र में गुण्डों डकैतों व लुटेरों का आतंक है जिससे कि जनता में आतंक एवं भय व्याप्त है। अल गैंग द्वारा कुछ घटनाएं की गई हैं। उक्त क्षेत्र में अपराधों की रोक-थाम के लिए पुलिस अधिक चैतन्य कर दिया गया है और पी0ए0सी0 के सक्रिय गश्त की व्यवस्था भी की गई है अपराध निरोधक अभियान भी चलाया जा रहा है एवं शासन द्वारा प्रदेश की पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में सतत प्रयास किए जायं।

जहां तक उक्त क्षेत्र में सत्तार, काशी और अलवर डकैतों के सक्रिय होने का सम्बन्ध है, प्राप्त सूचना के अनुसार सत्तार डकैत द्वारा वर्ष 1974 के बाद से जनपद एटा में कोई घटना नहीं की गयी है तथा यह भी ज्ञात हुआ है कि वह एटा जनपद में मौजूद नहीं है। काशी तथा अलवर डकैतों के गिरोहों के विरुद्ध अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन में पुलिस उप महानिरीक्षक, दस्यु उन्मूलन अभियान, आगरा द्वारा जनपद फर्रुखाबाद, एटा तथा मैनपुरी में इन गिरोहों का उन्मूलन करने के लिए सम्मिलित अभियान चलाया जा रहा है।

वाराणसी जनपद के तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सुधवें (बहदानगर) में गरीबों के साथ अन्याय व अत्याचार के सम्बन्ध में याचिका के उपस्थापन का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

श्री गंगा प्रसाद जी, सदस्य, गोण्डा ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद तहसील ज्ञानपुर, अन्तर्गत ग्राम सुधवे (बहदानगर) में गरीबों के साथ अन्याय व अत्याचार के सम्बन्ध में

वाराणसी जनपद के तहसील ज्ञानपुर के ग्राम सुधवे (बहदानगर) में गरीबों के साथ अन्याय व अत्याचार के सम्बन्ध में याचिका के उपस्थापन का स्थगन

श्री छोटे लाल आदि ग्राम वहदानगर सुधवे, गोपीगंज, वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करना चाही है, इसको मैंने स्थगित कर दिया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, आज का एजेंडा लोट-पोट गया है ।

श्री अध्यक्ष--

उनकी प्रार्थना पर स्थगित हो गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

इसमें से आप आइटम आठ ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

इसको मैंने माननीय सदस्य की सूचना पर स्थगित कर दिया है ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की दो सूचनायें मुझे प्राप्त हुई हैं। एक सूचना तो श्री अरुण कुमार की तरफ से थी, वह अनुपस्थित हैं। सूचना यह है कि श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल गांधी जयन्ती के दिन, कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे, उनको डेढ़ सौ कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया। वह अनुपस्थित भी हैं। इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

दूसरी सूचना श्री ऊदल की तरफ से है, जिसमें है कि कानपुर में शिया-सुन्नी झगड़े में पुलिस की गोली से कुछ व्यक्तियों का मारा जाना तथा 300 से अधिक व्यक्तियों का गिरफ्तार किया जाना ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं कि कानपुर में झगड़ा कैसे शुरू हुआ ? श्रीमन्, पहली तारीख को मैं और हमारे साथी श्री गुरू प्रसाद, एम0एल0सी0 दोनों कानपुर गए। वहां उन मुहल्लों में भी गए जहां कि कर्फ्यू लगा था। संयोग की बात थी कि मेरा पास बन गया था ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रश्न है जो बड़ा विस्फोटक और उत्तेजनात्मक भी है। इसलिए सदन में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि पुनः सदन में उत्तेजना पैदा हो और जिसकी वजह से निर्दोष व्यक्तियों की फिर से हत्याएं हों।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि मैं उस विवाद को नहीं उठाना चाहता। लेकिन श्रीमन्, कानपुर में मैंने जो स्थिति देखी वह बड़ी भयानक थी, बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। वहां बड़ी दर्दनाक मौतें हुई हैं और अभी तक आठ मौतें हुई हैं। करीब 250 के ऊपर लोग गिरफ्तार करके जल में भेज दिए गए हैं। इसके अलावा 100 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको काफी चोटें लगी हैं। लखनऊ के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने उस दिन एलान किया था कि जो घायल हुए हैं या मर गए हैं, उनको सरकार की तरफ से सहायता दी जायगी। जो मर गए हैं उनको मुआवजा दिया जायगा और जुडीशियल इंक्वायरी की घोषणा भी की थी। यह घटना लखनऊ के बाद हुई। मैं उसकी भी जुडीशियल इंक्वायरी की मांग करता हूं इसलिए कि जो लिखकर दिया है उसमें इस विवाद को नहीं उठाया बल्कि जो वहां हुआ, भावना है, उसको लिखकर दिया है। उसके साथ एक तीन पेज की रिपोर्ट है। उसमें घटना का डिटेल है। श्रीमन्, एक जगह मैंने जाकर देखा कि एक नवजवान जो घर के अन्दर था बाहर से गोली चलाई गई और वह शीशा तोड़कर पहुंची। वह नौजवान अन्दर ही मर गया। आज भी वहां पड़ा है और गोली का टुकड़ा मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना बड़ी विस्तृत है। मैं मुख्य मन्त्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज रहा हूं और जो सूचना आपने दिया है, जो उन्होंने घोषणा की है, उसके मुताबिक देखकर इसकी सत्यता के बारे में, वह आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें। इस प्रकार नहीं। आप बैठ जायं। यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, तो मेरा निवेदन था कि कानपुर में नार्मल हालत हो जाय और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आज भी जो मेरी सूचना है, उसके अनुसार वहां नार्मल पोजीशन नहीं कायम हुई है। आज भी उत्तेजना है। इसलिए सरकार को इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। जो लोग मरे हैं, हो सकता है सात हों, आठ हों या यह संख्या नौ की हो गयी हो, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार को सहायता मिलनी चाहिए। इसी तरह से कानपुर की घटना भी बहुत बड़ी है। छोटी करके उसको देखना ठीक नहीं होगा। उस घटना के बारे में भी न्यायिक जांच कराने के लिए अगर कोई फैसला सरकार ने कर लिया हो तो उसकी भी घोषणा सदन में करें। न किया हो तो न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

श्री बाबू बदरे—

मैंने भी जाकर देखा है। मुझको भी सूचना देने का अवसर दीजिए।

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

माननीय ऊदल जी ने जिन चीजों की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट किया है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शासन उस सम्बन्ध में सजग है और कानपुर की स्थिति भी बिल्कुल सामान्य हो रही है। अगर ऊदल जी चाहें तो मेरे कक्ष में आकर जो भी बातें हों, मुझे बतला दें ताकि मुझे कुछ आसानी हो सके। जहां तक मृतकों के परिवार को सहायता का प्रश्न है उसकी घोषणा की जा चुकी है और अखबारों में भी आ गया है। जो मरे हैं उनके परिवार को 5 हजार, जो घायल हैं उनकी चोटों की गम्भीरता को देखते हुए ढाई हजार तक देने की बात है। जो और नुकसान हुआ है उनकी सहायता करने का सरकार प्रयास करेगी।

श्री बाबू बदरे--

[× × ×]

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग्स का अंग नहीं होगा। आप बैठें। आपस में बात न कीजिए। माननीय बदरे को जो रिपोर्ट देनी है, माननीय मुख्य मन्त्री को दे दें। कोई भी चीज पढ़ने से पहले मेरी जानकारी में आनी चाहिए। एक साथ सदन में खड़े हो जायं और उस चीज को रखें जो मेरी जानकारी में नहीं है उचित नहीं है। माननीय ऊदल ने जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा है उसके लिए तारीख 5 और 6 को पुलिस बजट पर पर्याप्त अवसर मिलेगा इसलिए उसको अस्वीकृत कर दिया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जुडीशियल इन्क्वायरी के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कोई घोषणा नहीं की।

श्री अध्यक्ष--

लखनऊ के बारे में तो कर चुके हैं। कानपुर के बारे में ?

श्री राम नरेश यादव--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक न्यायिक जांच का सवाल है, उस सम्बन्ध में सारी जानकारी हासिल की जा रही है। उसके बाद ही घोषणा की जा सकती है।

श्री ऊदल--

असली मामला तो वही था। इतनी मौतें हो गयी हैं। अगर मुख्य मन्त्री जी ने उस पर अभी फसला नहीं किया तो हम अपने दल के साथ वाक-आउट कर रहे हैं।

(श्री ऊदल अपने कम्युनिस्ट दल सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

यह तो मैं नहीं कहूंगा कि सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया लेकिन यह सत्य है कि सरकार लखनऊ और कानपुर के दंगों को पूर्ण रूप से दबाने में असफल रही है, साथ ही

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद]

देश और प्रदेश में गरीब तब्के के लोगों और कमजोर लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको काबू करने में सरकार असफल रही है। इसलिए हम आज दिन भर के लिए वाक-आउट करते हैं।

(श्री जगन्नाथ प्रसाद तथा अन्य निर्दलीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बहरौली, लखनऊ में व्याप्त अनियमितताओं को नियम 301 के अन्तर्गत सदन की जानकारी में लाया जाना

श्री सन्त बख्श (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार तथा सदन का ध्यान जवाहर लाल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहरौली, जनपद लखनऊ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां पर निम्नलिखित अनियमितताए हैं :—

1—प्रबन्ध समिति का कार्यकाल 30 जून, 1977 को समाप्त हो गया लेकिन अब तक चुनाव न कराए जाने का क्या कारण है।

2—उप प्रबन्धक (श्री दिनेश प्रसाद) ने बिना शुल्क लिए कागजों में उलट-फेर करके अपने पिता श्री धिंडियावन को सामान्य एवं प्रबन्ध समिति का सदस्य बना दिया।

3—सदस्यता शुल्क का निजी उपयोग किया गया।

4—प्रबन्ध समिति में शिक्षकों को लेने में अनियमितता की गयी और कागजों में उलट-फेर करके श्री आशाराम को बी0टी0सी0 स्केल से सी0टी0 स्केल दे दिया गया।

5—सहायक अध्यापक श्री लालाराम वर्मा को बी0एड0के प्रशिक्षण हेतु गोरखपुर भेजा गया लेकिन उसी सत्र में रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराकर वेतन निकाला गया और परीक्षाफल घोषित हुए बिना ही प्रशिक्षित मान लिया गया।

6—सत्र 1975-76 में श्री ओम प्रकाश वर्मा, सहायक अध्यापक की नियुक्ति चयन समिति ने अप्रशिक्षित बी0टी0सी0 स्केल में की गयी परन्तु बाद में उन्हें एल0टी0 वेतन-मान क्यों दिया गया।

7—1976-77 में श्री ओम प्रकाश वर्मा को अप्रशिक्षित होने के बावजूद भी प्रशिक्षित वेतनमान क्यों दिया गया जबकि प्रशिक्षित अध्यापकों को बी0टी0सी0 स्केल दिया गया।

8—विद्यालय में आया धन समय से जमा नहीं किया जाता। कैश-बुक एवं पोस्ट आफिस पास बुक इसकी साक्षी हैं।

9—वेतन वितरण समय पर नहीं किया जाता है।

10—गत सत्र में प्रवेश के समय नए और पुराने छात्रों से 15 एवं 12 रुपए प्रति छात्र भवन-निर्माण शल्क लिया गया जिसका अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं है और न भवन निर्माण ही कराया गया।

11—गत सत्र में वार्षिकोत्सव के लिए प्रति अभिभावक 2 रुपए लिया गया लेकिन उत्सव नहीं सम्पन्न कराया गया और वह धन लोक सभा के चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में किया गया। इसका अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं है जबकि इसकी रसीदें दी गयी हैं।

12--अवैधरूप से विद्यालय में इण्टर की कक्षाओं का संचालन किया गया और शुल्क का निजी उपयोग किया गया ।

13--छात्रवृत्ति कोष का भारी दुरुपयोग किया गया है ।

14--प्रबन्धक, उप-प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य अपनी तानाशाही प्रवृत्ति से शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं ।

अतः मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस विद्यालय को सरकार के अधीन लेकर वहां व्याप्त असन्तोष समाप्त किया जाय ।

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

श्रीमन्, शासन को 22 जुलाई को इस सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। इस पर तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए थे। सह-जिला विद्यालय निरीक्षक और ज्येष्ठ लेखा परीक्षक---इन दोनों आदमियों ने 12 अगस्त, 1977 को इस विद्यालय से बिना सूचना के गए और अभिलेखों को ले लिया। 18 अगस्त, 1977 को जिला विद्यालय निरीक्षक कालेज गए। इसके बाद 29 अगस्त, 1977 से इसका परीक्षण किया गया। 1 अक्तूबर, 1977 को आडिट आख्या प्राप्त हुई। विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण को अनुपालन आख्या के लिए लिख दिया गया है। उसके आने पर 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या 28---शिक्षा तथा अनुदान संख्या 90---ऋण और अग्रिम-शिक्षा

श्री अध्यक्ष--

वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक पर मतदान ।

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,03,54,96,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, आपकी अनुमति से और राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90--ऋण और अग्रिम--शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,33,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, इस प्रदेश में इस समय जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार चल रहा है उसके साथ-साथ उसमें गुणात्मक सुधार भी आवश्यक है। जनता पार्टी ने जो घोषणा की है देश और प्रदेश में बनाने के लिए उसकी पृष्ठ भूमि में भी शिक्षा को जिस प्रकार से प्रचारित करने की आवश्यकता है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आज सारे सन्सार में उसकी प्रगति का आधार विज्ञान और तकनीकी शिक्षा है। इस संसार में हमारा देश पिछड़ा हुआ

[श्री काली चरण]

है। हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य प्रदेशों से बहुत काफी पिछड़ा हुआ है। चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे जन-शक्ति का निर्माण हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो प्रत्येक कार्य के लिए शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। हमारे देश के लिए यह दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश की पिछले तीन दशकों में जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह आज तक नहीं हो पाई। सन् 1971 में जब कि अखिल भारतीय प्रतिशत 29.5 था साक्षरता का तो इस प्रदेश का प्रतिशत 21.7 था। उसी तरह से 11 से 14 वर्ष के बालक जो विद्यालयों में जाते हैं उसका सारे देश का प्रतिशत 39 था और हमारे प्रदेश का प्रतिशत 37 था।

श्रीमन्, जिस प्रदेश से भारतीय संस्कृति विकसित हुई हो, जिस प्रदेश से यह उद्घोषित हुआ हो कि "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्चन्तु मां कश्चित दुःख भागभवेत", जिस प्रदेश के लोग हिन्दू और मुसलमान आजादी की लड़ाई में कन्धे से कन्धा मिला कर आगे बढ़े हों, अपना बलिदान किया हो, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए उसी प्रदेश में शिक्षा का इतना नैतिक पतन कर दिया। इस आजादी के समय में शिक्षा का नैतिक ह्रास हुआ है तथा भाईचारा तक नहीं रह गया है। यदि हमारी शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया गया होता, यदि शिक्षा सही ढंग से लागू की गयी होती, हमारे प्रदेश के बच्चों के मन को वास्तविक ढंग से विकसित करने का प्रयास किया गया होता तो आज जो दुरावस्था प्रदेश की हो रही है मैं समझता हूं शायद वह दुरावस्था न होती। इसलिए शिक्षा में इस तरह के सुधार की आवश्यकता है यह केवल मन, बुद्धि और मस्तिष्क की शिक्षा न हो बल्कि जैसा गांधी जी ने कहा था के देश के लोगों में श्रम और श्रमिक के प्रति आदर की भावना पैदा हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का प्रचार तथा प्रयास करने की आवश्यकता है। वचनबद्ध व्यय धन की सीमाओं के भीतर यह जरूर है कि शिक्षा पर जितना खर्च करना चाहिए उतना खर्च करने की स्थिति में हम नहीं हैं। फिर भी जो भी स्थिति है उसके अनुसार सम्पूर्ण राजस्व जो है उसका 30.1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का प्राविधान किया गया है। कुल रुपया शिक्षा के अन्तर्गत 2,43,05,65,100 रुपया प्रस्तावित है जिसमें 2,23,44,91,600 रुपए आयोजनतर व्यय के लिए तथा 19,60,73,500 रुपए आयोजनागत व्यय के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रविधान में प्राविधिक शिक्षा भी सम्मिलित है लेकिन कुछ इन्जीनियरिंग कालेज जो केन्द्रीय सरकार से संचालित हैं उनका व्यय इसमें नहीं है। कुछ सामान्य शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा का व्यय पर्वतीय विकास मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है उस शिक्षा का खर्च इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की शिक्षा तथा कृषि शिक्षा का व्यय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा कृषि मन्त्रालयों के अन्तर्गत आता है, इसलिए उस धन का ब्योरा इसमें सम्मिलित नहीं है। अगर उसको भी जोड़ लिया जाय तो यह धनराशि बढ़ कर अधिक हो जायगी। अगर हम यह तुलना करें कि 46 में इस पर जो व्यय होता था उसकी तुलना में व्यय अधिक लगेगा लेकिन आज आवश्यकता को देखते हुए यह जरूर है कि यह व्यय बहुत ही कम है, इसको बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। मैंने पहले

ही बतला दिया कि देश का अगर समुचित ढंग से विकास करना है तो हमको अधिक से अधिक शिक्षा पर खर्च करना होगा। लेकिन जो स्थिति है उसके अनुसार शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है उसका कुल 49 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर, 27 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर, 21 प्रतिशत उच्च शिक्षा पर, 3 प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा पर और 10 प्रतिशत अन्य मदों पर खर्च करन हेतु निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में 215 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था शिक्षा पर उससे इस साल के बजट में 28 करोड़ रुपया अधिक रखा गया है। श्रीमन्, 1977–78 के बजट में जो प्रमुख कार्य करने हैं उसकी सूचना मैं सदन को दे देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि सारी शिक्षा की आधार-शिला प्राथमिक स्कूल हैं और प्राथमिक शिक्षा को अगर हम सुधारते नहीं हैं तो फिर शिक्षा का जो हमारी इमारत है वह उपयोगी नहीं हो सकती। इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शिक्षा का नियोजन का जो कार्य है प्राथमिक स्थल पर वह 6 वर्ष से 11 वर्ष तथा 11 से 14 वर्ष के बच्चों का करना है। कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है। 6 से 11 की आयु के बच्चे जो हैं वे प्राथमिक विद्यालयों में और 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा का अध्ययन करते हैं। 1977 में भारत सरकार के आदेश मे शिक्षा का सर्वेक्षण हुआ था जिस सर्वेक्षण के आधार पर कुल 13,400 प्राथमिक विद्यालय तथा 6,000 जूनियर हाई स्कूल खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से अब तक इतने दिनों में 2,574 प्राइमरी स्कूल तथा 247 मिडिल स्कूल ही खोले जा सके हैं। श्रीमन्, इस वर्ष 1977–78 में 3,163 प्राइमरी और 612 मिडिल स्कूल खोलने की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि हमारे प्रदेश में जो लड़के प्रथम कक्षा में जाते हैं वह पांचवीं कक्षा तक जाते-जाते बिलकुल ही घट जाते हैं और इसी तरह जो कक्षा 6 में भर्ती होते हैं वह जाते-जाते 8वीं तक बहुत कम रह जाते हैं और बहुत से लड़के स्कूल छोड़ जाते हैं। इसमें हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी एक कारण है और स्कूलों की व्यवस्था भी एक कारण है। जितने लड़के स्कूल में शुरू में जाते हैं, वह आखिर तक नहीं रह पाते हैं। इसके सुधार के लिए हमने तय किया है कि कक्षा एक और दो दोनों को समन्वित कक्षा माना जायेगा। अलग-अलग नहीं और कक्षा एक में किसी को अनुत्तीर्ण नहीं माना जायगा।

अब तक जैसे परीक्षा ली जाती है वैसी परीक्षा नहीं ली जायगी। परीक्षा तो ली जायेगी लेकिन उसका उद्देश्य यह होगा कि अध्यापक पता करें कि कितने लड़के किन-किन चीजों में कमजोर हैं और उसको कैसे सुधारा जा सकता है लेकिन उनको फेल नहीं किया जायगा, परीक्षा ली जायगी जो उनकी कमजोरी होगी उस कमजोरी को सुधारने का प्रयास किया जायेगा। इस तरह से हम आगे बढ़ जायेंगे। मतलब कक्षा 8 तक कम से कम विद्यार्थियों को फेल करने की बात है। यह कहना कि फेल नहीं किया जायेगा तो पढ़ेंगे नहीं। ऐसी बात नहीं है। यह हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि और प्रदेशों के मुकाबले में हमारे यहां साक्षरता बहुत कम है। एक लड़का जो दूसरी तीसरी, कक्षा में फेल हो जाता

[श्री काली चरण]

है और 5वीं और 6ठी कक्षा तक जाते-जाते वह स्कूल छोड़ देता है तो उसका परिणाम यह होता है जब वह स्कूल छोड़ देता है तो कुछ दिनों बाद उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे कि एक निरक्षर की होती है और वह सारी चीजों को भूल जाता है और निरक्षता हमारे प्रदेश की बढ़ जाती है। इसलिए नीचे की कक्षाओं में प्राथमिक स्तर तक हमने यह तय किया है कि कम से कम लड़के फेल हों जिससे साक्षरता का प्रतिशत बढ़े। साथ ही साथ इसमें सुधार के लिए जैसाकि मैंने बताया कि 3163 प्राथमिक स्कूल और कुछ मिडिल स्कूल खोले जा रहे हैं। पिछली सरकार ने यह तय कर दिया था कि इन विद्यालयों में जो अध्यापकों के रिक्त स्थान हैं वह भरे नहीं जायेंगे चाहे कितने ही अध्यापक चले जायें। उसका परिणाम हुआ कि शिक्षा पर बुरा असर पड़ा लोगों ने लड़कों को स्कूल में भेजना बन्द कर दिया यह सोचकर कि जब अध्यापक ही नहीं है तो बच्चे वहां क्या पढ़ेंगे और जो स्कूल जाते भी थे वह भी स्कूल छोड़ देते थे। इसलिए शासन ने तय किया है कि वह प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इसके फलस्वरूप 10,900 बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं। इससे एक तो जो बी0टी0सी0 बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक बैठे थे उनकी समस्या का समाधान निकला है और दूसरी ओर जो बच्चों का नुकसान होता है उसकी पूर्ति में भी हम को सहायता मिली है। जो नए विद्यालय खोले जा रहे हैं उनमें भी लगभग 7 हजार अध्यापक नियुक्त होंगे। तो 7 हजार लोगों की समस्या हल हो जायेगी इस तरह से करीब 16 हजार के लगभग बी0टी0सी0 अध्यापक नियुक्त कर लिए जायेंगे।

11 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं और उसमें से जो पढ़ाई छोड़ कर बैठे हुए हैं, सरकार ने तय किया है उनकी शिक्षा जिसे अनौपचारिक शिक्षा कहा गया है इस अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जगह-जगह एक-एक न्याय पंचायत में इनके केन्द्र खोलकर इन बच्चों हेतु शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। श्रीमन्, सबसे बड़ी प्राब्लम यह है कि हम समाज के निर्बल वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़ाएं। अभीतक अधिक आबादी के बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां पर निर्बल वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग काफी मात्रा में रहते हैं, किन्तु उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस हेतु हमने यह व्यवस्था की है कि जो नये स्कूल खोले जायं, उनमें से 20 प्रतिशत स्कूल ऐसे गांवों में, ऐसे स्थानों में खोले जायेंगे जहां पर निर्बल वर्ग की आबादी के गांव हैं, जिससे वहां के बच्चों को नजदीक ही शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। जो सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार मैदानी क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्र में एक किलोमीटर में यह स्कूल खोले जाने की आवश्यकता थी, यह हमारा विचार था, लेकिन उस सीमा तक हम पहुंच नहीं सके हैं। फिर भी हमने जो यह लक्ष्य निर्धारित किया है, उससे हमें आशा है कि हम थोड़े ही समय में उसको भी प्राप्त कर सकेंगे।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, जो प्राइमरी शिक्षा का दूसरा अंग है, पिछली सरकार ने जो लोग अशासकीय स्कूल खोलते थे, उनको मान्यता देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। साथ ही साथ यह भी यदि किसी को मान्यता दे भी, तो जिलास्तर से कागज चलते-चलते शिक्षा मन्त्री के पास अनुमति हेतु आवे और फिर उनकी अनुमति के उपरान्त

मुख्य मन्त्री की भी अनुमति मिलने के उपरान्त ही उसको मान्यता मिल पाती थी। उसको हमने बिलकुल समाप्त कर दिया है और उस दिशा में विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाया है, जो जनता पार्टी का लक्ष्य भी है। पहले यह कार्य जिला स्तर पर होता था और ठीक से हो रहा था, इसे शिक्षा और मुख्य मन्त्री के स्तर पर यहां लाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। फिर भी मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसा परिवर्तन क्यों किया गया, क्या कारण है कि शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्री उस पर अपनी सहमति दें, तो मान्यता मिले। यह बहुत ही कष्टसाध्य और व्ययसाध्य होता था लोगों के लिए और जो लोग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे थे, उनके दिल टूट जाते थे, जिससे उनका सहयोग इस ओर मिलना बन्द होने लगा था। अब हमने यह किया है कि जो भी स्कूल—जूनियर हाई स्कूल अपनी मान्यता की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें जिला स्तर पर ही बेसिक शिक्षा की जो कमेटी बनी है उसके द्वारा मान्यता दे दी जाय, उसको उसके ऊपर कागज भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। माध्यम स्तर पर एक विषय का सवाल हो या कई विषय का सवाल हो। हमने बताया, जहां पर शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति बड़ी तंग है, पिछली सरकार ने इनको मान्यता देना बन्द कर दिया था, हमने इसको पुनः प्रारम्भ कर दिया है। इस वर्ष हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों को मिलाकर कुल 500 विद्यालयों को नवीन मान्यता दी गयी है। कुछ और भी हैं, जो विचारधाराधीन हैं, जिनको मान्यता समिति ने लोगों की प्रार्थना पर नामन्जूर कर दिया है, उनको भी मान्यता देने हेतु पुनर्विचार करने के लिए परिषद् को आदेश दे दिया गया है। इससे भी बहुत से स्कूलों को मान्यता मिल जायेगी।

जहां तक महाविद्यालयों का सवाल है, शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो जाय, किन्तु उसमें गुणात्मक सुधार न हो, शिक्षा का स्तर ऊपर न उठे, हम प्रतिभावान विद्यार्थी पैदा न करें तो फिर हमारा देश नीचे गिरेगा, हमारे बच्चे ऐसे निधि हैं और हम अगर ध्यान हटा लेंगे तो हम अपनी निधि को खो बैठेंगे। हम अपनी शिक्षा में गुणात्मक विकास करें, इस दृष्टि से शासन ने यह तय किया है कि महाविद्यालय कम से कम संख्या में खोले जायं। जितनी वृद्धि होगी उनका गुणात्मक विकास अवरुद्ध हो जायेगा। शिक्षा का गुणात्मक विकास उसके कुछ फैक्टर्स पर निर्भर है। उनका नैतिक स्तर बने। इसमें एक प्रमुख फैक्टर हैं अध्यापक, दूसरा है, विद्यार्थी और तीसरा है सामाजिक परिस्थितियां उसके अन्दर अभिभावक है और सरकार। यह चार मिलकर अगर शिक्षा को बनायेंगे तो बनेगी, गिरायेंगे तो गिरेगी। अगर इसमें एक भी असहयोग करता है तो उसमें गिरावट आने लगती है। शिक्षक की आर्थिक समस्याएं थी, सरकार ने उनकी ओर विशेष ध्यान दिया है।

शिक्षक सन्तुष्ट होगा तो अपने विद्यार्थियों के विकास पर अधिक ध्यान देगा, अगर परेशान होगा तो परिणाम यह होगा कि उसका ध्यान नहीं जायेगा। जहां तक सेवा सुरक्षा का सवाल है। यह माध्यमिक स्कूलों में पहले ही कर दी गयी है, जूनियर हाई स्कूलों में यह प्रश्न विचाराधीन है कि यह जल्दी ही हो जायं। जैसे माध्यमिक अध्यापकों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है, जैसे बैंक द्वारा वेतन वितरण होगा उसी तरह से इनकी भी

[श्री काली चरण]

व्यवस्था कर दी जाए यह प्रश्न जल्दी ही हो जाय, इस पर विचार किया जायगा। इनको जो पेंशन दी जा रही थी वह राज्य कर्मचारियों की पेंशन की तुलना में कम थी। इस समानता को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अरबी अध्यापक और संस्कृत अध्यापक उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं था अब उनके लिए भी लाभत्रयी व्यवस्था कर दी गई है। जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, उनके लिए भी यह व्यवस्था कर दी गई है।

अब मैं उर्दू के बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं गुणात्मक विकास की बात कह रहा था। अध्यापक जो बेसिक विद्यालय के हैं, जब बेसिक शिक्षा परिषद् बनी तो जो विभिन्न निकायों के अध्यापक थे तो जो नियम वहां के थे वही लागू कर दिए गए थे। कुछ अध्यापकों को जो वहाँ सुविधायें मिलती थीं वह यहाँ नहीं मिलती थीं जैसे आवास की व्यवस्था, अब वह इनको कर दिया गया है, जिससे इनको कठिनाई न हो। जो शिक्षा में गुणात्मक विकास की बात कही, तो यू० जी०सी० ने यह प्रस्तावित किया था कि यह वेतन-मान हो यह बड़ा अच्छा वेतन-मान था। क्योंकि बराबर इस देश के शिक्षाविदों की यह माँग रही है कि चूंकि शिक्षक का आर्थिक स्तर सबसे नीचा है जिसके कारण हम उनको सम्मान भी नहीं दे पाते हैं तो उसको उठाया जाये। जो वेतन मान संस्तुत किया था उसे असरकारी विद्यालयों ने लागू कर दिया था लेकिन राजकीय विद्यालयों ने उसे लागू नहीं किया था, उन्होंने भी लागू कर दिया है।

इन महाविद्यालयों के विकास के लिये यू० जी० सी० अनुदान देती है। और उसका कुछ शेयर महाविद्यालयों को लगाना होता था। जो महाविद्यालयों को लगाना होता है उसका आधा हम देंगे और आधा वह देंगे। इस तरह से महाविद्यालय में विकास होगा। इसके साथ ही साथ विभिन्न तरह की शिकायतें आती हैं कि परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में यू० जी० सी० ने कुछ संस्तुतियाँ दी हैं उन पर हम विचार कर रहे हैं जिससे हमारी परीक्षा में सुधार हो। अच्छे लड़के निकले और उनका विकास हो। इस तरह से शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए जा रहे हैं। श्रीमन् इस प्रकार से शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का प्रचार हो और उसका गुणात्मक विकास हो, यह सारी चीजें मिलाकर हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ हमारा जो नैतिक ह्रास हो रहा है, नैतिक अवमूल्यन हो रहा है अगर हम उस नैतिकता तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे। इस सिलसिले में प्राविधिक शिक्षा की बात आयी है। यह माना गया है कि जब तब हम प्राविधिक शिक्षा में लोगों को प्रशिक्षित नहीं कर लेंगे हमारी विकास की योजनायें नहीं चलेंगी। हम अच्छे-अच्छे इन्जीनियर नहीं पैदा कर पायेंगे।

अगर हम तकनीकी ज्ञान नहीं देंगे तो हम काम नहीं कर पायेंगे। इसलिए प्राविधिक शिक्षा का कम महत्व नहीं है। यद्यपि शिक्षा के कुल बजट का इस पर 3 प्रतिशत ही खर्च होता है लेकिन इस क्षेत्र में इन्जीनियरिंग कालेज, पोलीटेकनिक बहुधन्धी स्कूल और टेकनिकल स्कूल इस तरह की तमाम श्रेणियाँ हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के

व्यवसायों को विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। आज कल उनमें जीवन की नयी आवश्यकताओं की चीजों को भी सिखाया जाने लगा है जैसे कृषि अभियन्त्रण, ट्यूबवेल इन्जीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इन्जीनियरिंग। इस तरह की शिक्षा की भी बात आती है। पहले छात्रों को 100 रुपए दिया जाता था और अब उसको बढ़ाकर 165 रुपए कर दिया गया है। इस तरह से कहीं-कहीं कुछ कारखानों में जो कुशल कारीगर नहीं हैं, उनमें कुशल कारीगर बनाने के लिए और उनकी वृद्धि के लिए सरकार ने यह तय किया है कि कुछ पालीटेकनिक हैं, उनमें पार्ट टाइम की व्यवस्था की है। जिसमें वह अपना काम भी करते रहें और यहाँ आ करके अपना ज्ञान भी प्राप्त करते रहें और अपने उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण भी लेते रहें। उन लड़कों को चार साल बाद दक्षता सर्टीफिकेट मिल जाता है जब कि अन्य लड़कों को तीन साल में डिप्लोमा पालीटेकनीक का डिप्लोमा पास करना होता है। इस तरह से इन लड़कों को भी डिप्लोमा पास किए लड़कों की तरह से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। जो सबसे बड़ी बात है इस शिक्षा के अन्तर्गत श्रीमन, हमारे प्रदेश में जितने इंजिनियरिंग कालेज हैं, या पालीटेकनीक स्कूल हैं, उनमें करोड़ों रुपए की मशीनें पड़ी हुई हैं। अच्छे-अच्छे विद्वान् इन्जीनियर्स इन विद्यालयों में लड़कों के लिए रखे गये हैं जिनसे लड़के शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन अब तक जो शिक्षा दी जा रही है, ये लड़के भी उसी तरह से नौकरी के लिए सड़क सड़क पर भटकते रहे हैं, जैसे सामान्य शिक्षा प्राप्त लोग भटक रहे हैं। क्योंकि इनमें वह दक्षता आज तक नहीं आ पाई है कि उनका कुछ ही प्रतिशत स्वतः किसी व्यवसाय मे लग जाये तथा अपने साथ दो-चार और लोगों को लेकर अपने साथ-साथ उनको भी रोजी रोटी दे सकें।

चूंकि हमारी घोषणा है कि अधिक से अधिक बेरोजगारों को काम दिया जाय। अतः इस सम्बन्ध में टेकनिकल एजूकेशन बोर्ड के समक्ष एक प्रश्न विचाराधीन है। वित्त मन्त्री भी लगभग इससे सहमत हैं लेकिन पूरी-पूरी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। लेकिन जो करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, जो अच्छे-अच्छे विद्वान् इन लड़कों को पढ़ा रहे हैं। लड़के पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इन मशीनों का कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं। उन विद्वानों की विद्वता का उतना उपयोग नहीं हो पाता है। हमने सोचा है कि इन पालीटेकनिक स्कूल्स में जो मशीनें हैं उनका सद्पयोग करने के लिए बाहर से कुछ कुशल कारीगर रखें जो क्षेत्रीय आवश्यकता के जो सामान हैं उनकी पूर्ति कर सकें, साथ ही साथ उनमें पढ़ने वाले लड़के भी अपनी पढ़ाई के घंटों के अतिरिक्त कुछ कमा सकें। स्वेच्छा से वे जितना काम कर सकें उसके लिए उनको पारिश्रमिक भी मिल सके। उन्हें संतोष होगा कि हम अपनी कमाई से अपने अध्ययन के समय इसका सदुपयोग कर रहे हैं। उनमें स्वावलंबन की भावना आएगी। उनकी आत्मा का विकास होगा। श्रम की ओर उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी और उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही साथ जो अध्यापक इनमें काम करेंगे इससे जो बचत होगी उसका कुछ हिस्सा उनकी सेवा सुरक्षा में उनकी आर्थिक सम्पन्नता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जो धन बचेगा उससे हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

[श्री काली चरण]

इस प्रकार से उनमें वहीं शिक्षा दी जाएगी जो वहाँ की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति हो सकेगी और साथ ही साथ इन इन्जीनियरिंग कालेजों के माध्यम से इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि अगल-बगल के गाँवों में जा करके लोगों को प्रशिक्षित करें लोगों की दिक्कतें दूर करें तो इस तरह से लोगों की आवश्यकताओं की काफी पूर्ति हो सकेगी।

इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है कि इसी तरह की शिक्षा श्रम मन्त्रालय के आई0 टी0 आई0 व औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं और जो वही शिक्षा देते हैं, जिन विषयों की शिक्षा हमारे पालीटेकनिक स्कूल्स देते हैं। इस तरह से एक ही शिक्षा दो जगह दी जाने के कारण कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं। अगर एक ही प्रकार की शिक्षा एक ही जगह दी जाए तो गांवों का जो विकास है, किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो बात है तो उनकी संख्या दूनी हो जाएगी। इस समय जो 1700 ऐसे केन्द्र हैं, उनकी संख्या लगभग 3,700 हो जाएगी अगर आई0 टी0 आई0 मिल कर यही काम करें तो मेरा सुझाव है कि प्राविधिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा जो पालीटेकनिक, एस0 टी0 एस0 और आई0 टी0 आई0 आदि संस्थायें हैं, इनको एक ही मन्त्रालय में रखा जाए तो शायद काम करने में और अधिक सहूलियत होगी। तो इस तरह से अगर इस प्रकार की व्यवस्था लागू कर लेंगे जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं तो हम उन मशीनों का सदुपयोग भी कर लेंगे और बहुतों को काम करने में स्वावलम्बी भी बना देंगे। वे पढ़ लिखकर जब वहाँ से निकलेंगे तो नौकरी की तलाश में नहीं भटकेंगे बल्कि अधिकांश लोग अपने काम धन्धे में लग कर अपनी रोजी रोटी में लग जायेंगे और उसके साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी काम मिलेगा। इससे हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।

अब मैं विगत वर्षों की बात कह देना चाहता हूं। पिछले 2 वर्षों में देश में बड़ी भयंकर स्थिति थी, आपात्-स्थिति। उस समय का आपको भी इसका थोड़ा अनुभव होगा, आपको जानकारी भी होगी, नौजवान या विद्यार्थी कह लीजिए समाज के अवाँछित तत्व जिनसे समाज को सदैव खतरा बना हुआ है, ऐसे लोगों ने युवक काँग्रेस में सम्मिलित होकर संजय गाँधी के नारे लगाए और जो राष्ट्र भक्त थे, जिनमें देश प्रेम था, जिनमें अन्याय को बर्दाश्त करने की क्षमता थी उन लड़कों को पकड़-पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया गया। लड़कों को ही नहीं बहुत से अध्यापकों को भी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, पकड़ कर जेलों में बन्द कर दिया गया। इससे शिक्षा पर इतना भयंकर असर पर कि जो अध्यापक अपना कार्य करने से अपने बच्चों की पढ़ाई चला सकते थे, वह बन्द हो गई। अध्यापक बन्द थे, विद्यार्थी बन्द थे। तो चिन्ता हुई कि क्या होगा भविष्य में। इस दृष्टि से जनता ने नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए तानाशाही की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तानाशाही तो इस देश में चल ही नहीं सकती क्योंकि यह ऋषियों की धरती है, यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त करना सीखा है। लेकिन जब बर्दाश्त की सीमा हद से बाहर हो जाती है तो जुर्म और अन्याय का मुकाबला करना भी सीखा है।

प्रह्लाद, गाँधी जी और लोहिया जी जैसे व्यक्ति यहाँ पर हुए थे जिन्होंने अन्याय को बर्दाश्त किया है। इसलिए यहाँ के लोगों में अन्याय को बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो इन लोगों के ऊपर जो कुछ कठिनाई आयी, बहुतों की परीक्षा नहीं हुई,

कापी किताब के अभाव में परीक्षा देकर भी अधिकांश को जो सफलता, जिसको वे क्षमता रखते थे, वह उनको नहीं मिल पाई। तो इस शासन ने यह निश्चय किया है कि जो विद्यार्थी 6 महीने या 6 महीनों से अधिक जेलों में रहे हैं, उनको हम वही सुविधा देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधा इसके पहले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को दी जाती थी। बहुत से लड़के थे जिनके नाम काट दिए। क्या यह जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति के समर्थक थे ? कहते थे कि ये इन्दिरा गांधी के विरोधी हैं, ये मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी के विरोधी हैं। लेकिन उन बहादुरों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने अन्याय के साथ विरोध किया, चाहे जितनी भी यातनायें उनको दी गयीं। उनके भविष्य के लिए उनको यह सुविधा उनको स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों में रखकर जो दी गयी है उसके लिए शासन ने आदेश निर्गत कर दिया है।

श्रीमन्, इन बातों के साथ, क्योंकि यह विषय बहुत लम्बा है, मैं अधिक न कह कर चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसके सुधार में, प्रसार में, प्रचार में, साथ ही हमारे नैतिक मूल्यों का जो अवमूल्यन हो चुका है, उसको कैसे पुरानी स्थिति पर ले आवें, कैसे स्वावलम्बन की भावना बढ़े, कैसे आत्म-विश्वास उत्पन्न करें, कैसे उनको समाज में सम्मान के साथ चलने की शिक्षा दें, इसके लिए मैं चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य अपने सुझावों से मुझे अनुग्रहीत करेंगे, इसमें अपना सक्रिय सहयोग देंगे जिससे देश के बच्चों को हम आगे ले चल सकें, बढ़ा सकें। ताकि आने वाले देश के भविष्य को संवारने में वे लग सकें। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि अपने सुझावों के साथ हमारी इस मांग को सदन स्वीकार करेगा।

श्री ए0 सी0 वाइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया है बोलने के लिए। पहले तो मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि अपनी बीमारी से उठ कर आए हैं और खुदा से प्रार्थना करता हूं कि उनको ठीक, अच्छा रखे और वह शिक्षा की सेवा करने के लिए कुछ दिन हम लोगों के साथ रहें।

इतना करते हुए मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री ने अपने भाषण में, हमें अच्छा लगा, जो उन्होंने कहा कि आई0 टी0 आई0 का लेबर डिपार्टमेंट में से निकाल कर शिक्षा में ले आए हैं। यह मेरी प्रार्थना बहुत सालों से थी और मैं अब भी कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हो जाय तो सबसे अच्छा रहेगा। दो सेक्शन शिक्षा के एक तरफ लेबर डिपार्टमेंट चला रहा है और एक तरफ बोर्ड चला रहा है। इसको जल्दी से जल्दी शिक्षा मन्त्री जी एक कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा।

दूसरी बात शिक्षा मन्त्री जी यह है कि आपने कहा था कि मुझे सुझाव दें। आपको याद होगा जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री बनें, उनके मुख्य मन्त्री बनने के साथ पहले उन्होंने यह कर दिया कि उनकी यूनियंस को बन्द कर दिया। उसके पहले इतने झगड़े होते थे कि उनका यूनिवर्सिटी और कालेजों में शिक्षा पढ़ना बन्द हो गया था। चौधरी चरण सिंह ने बन्द कर दिया, बन्द होने के साथ शिक्षा सध गयी। बदकिस्मती यह थी कि

[श्री ए० सी० ग्राइस]

चौधरी चरण सिंह चले गए और पं० कमलापति आ गए। उनके आने के साथ यूनियंस फिर हो गयीं और यूनियन होते ही शिक्षा का सत्यानाश शुरू हो गया। थोड़ी सी जब इमरजेन्सी हुई तो फिर सब गयीं। इमरजेन्सी हटी, अब क्या हो रहा है? यूनियन्स यूनिवर्सिटीज में, कालेजेज में और अब हमने सुना है हाई स्कूल में भी सोच रहे हैं कि वहां भी यूनियन्स हो जायं। यह होना, हमारा ख्याल है कि बिल्कुल गलत है। जो लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए या पालिटिक्स करने के लिए? आप मेहरबानी करके मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ कर कि यूनियन्स को बन्द कर दीजिए। चौधरी साहब से भी पूछ लीजिएगा, उनकी भी राय यही है कि यूनियन्स होना नहीं चाहिए कालेजेज में और यूनिवर्सिटीज में। अगर रहेंगी तो लड़के पालिटिक्स करेंगे। क्या होता है अध्यक्ष महोदय, दो चार लोग लड़कों को इन्स्टीगेट करते हैं पालिटिक्स करने के लिए। क्योंकि वह नहीं चाहते कि ऐसी कन्डीशन्स रहें कि उनको पढ़ना पड़े।

श्रीमन्, मुझे लगभग 20-25 साल हो गए इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए मैंने पाया है कि टीचर्स अपना लेक्चर्स ठीक तरह से नहीं देते हैं। मुझसे टीचर्स नाराज हो जाते हैं जब मैं उनसे यह कहता हूं कि उन्हें 20 साल सर्विस करते हुए हो गए, लेकिन एक्सपीरियन्स केवल एक साल का उन्हें आया है। इसलिए मेरी शिक्षा मन्त्री जी से प्रार्थना है कि जितने टीचर्स हैं उनको रिफ्रेशर कोर्स में जाना चाहिए, चाहे वह यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हों, चाहे कालेज के हों या चाहे किसी और जगह के हों।

यूनिवर्सिटी की शिक्षा के सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी क्यों न बना दिया जाय। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पोस्ट-ग्रेजुएट एजूकेशन की इतनी डिमान्ड हो जाती है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी उनको एडमीशन नहीं दे पाती है। जिस प्रकार से कानपुर और आगरा एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उसी प्रकार से इन दोनों यूनिवर्सिटीज को आप एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी बना दीजिए। एक समय था जब माननीय चौधरी चरण सिंह का यह ख्याल था कि क्यों न लखनऊ यूनिवर्सिटी को एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी बना दिया जाय, और उस समय यूनिवर्सिटी ने इसका विरोध किया इसलिए यह मामला रुक गया। मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी को एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में सोचा जाय।

आपने जो प्रमोशन के बारे में कहा, मैं इसका विरोध करता हूं। आपने कहा कि कक्षा एक से कक्षा 6 तक बगैर एनुअल एग्जामिनेशन किए हुए उनको प्रमोट कर दिया जाएगा बच्चों को, तो इससे विद्यार्थी तथा टीचर्स दोनों खुश रहेंगे क्योंकि विद्यार्थी पहले से ही नहीं पढ़ना चाहते और टीचर्स तो पढ़ाने और सिखाने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। नतीजा यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट ट्यूशन चाहेंगे—वैसे ही प्राइवेट ट्यूशन चाहते हैं और भी चाहेंगे। इसलिए मेहरबानी करके एनुअल एग्जामिनेशन बन्द मत कीजिए। कक्षा एक से 4 तक तो माना जा सकता है, लेकिन 5 के बाद एनुअल एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो टीचर्स कुछ पढ़ायेंगे नहीं और लड़के

आटोमेटिकली प्रमोट होते जायेंगे और 8वीं कक्षा तक वह बिल्कुल इल्लिट्रेट हो जायेंगे। मैं यह सुझाव देता हूं कि आप किसी के कहने में, मत आइएगा, आप भी टीचर हैं और आप टीचर्स की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं।

आई0 आई0 टी0 के बारे में, जो आपने कहा कि वर्क एक्सपीरियन्स होना चाहिए, यह बहुत अच्छी बात है। हमारा जहां तक अनुमान है, अपरेन्टिशशिप स्कीम बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि जितने लड़के निकल रहे हैं, वह इन्डस्ट्रीज में अब्जार्ब नहीं हो पा रहे हैं। वर्क एक्सपीरिएन्स के अलावा अगर आप यह भी कर दें कि उनको थोड़ा सा एकाउन्टिंग, बाजार वर्क कि किस तरह से कास्टिंग होती है, बैंकिंग होती है, यह भी ज्ञान दे देंगे तो जितने लड़के पोलीटेकनिक्स से निकलेंगे वह नौकरी के लिए नहीं जायेंगे बल्कि सेल्फ एम्प्लायमेंट के लिए वह तैयार हो जायेंगे।

उर्दू के बारे में आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लगता है कि आप इसके बारे में अपने भाषण में कहना भूल गए। मैं जानना चाहता हूं कि उर्दू के बारे में क्या हो रहा है। आपने, जनता पार्टी के जो इलेक्शन मैनीफैस्टो था उसमें यह आश्वासन दिया था कि उर्दू के बारे में कुछ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कान्स्टीयूट्शन आफ इन्डिया की आरटीकिल 350(ए) की तरफ दिलाना चाहता हूं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कुछ सेक्शन्स आफ सोसाइटी भाषा की मांग करे तो आपको देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस आर्टीकिल को पढ़ देना चाहता हूं :

"350—A. Facilities for instruction in mother-tongue at primary stage.--It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother-tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

कुछ समय पहले यह था कि एक-एक टीचर उर्दू का रख देंगे जहां 40 बच्चे रहेंगे। जनता पार्टी मीन्स पब्लिक की पार्टी। जब आपने यह अश्योरेन्श दिया है, मैं समझता हूं कि आपको उसे जरूर इम्प्लीमेन्ट करना चाहिए।

आपके द्वारा हमारा एक और रोना है। मैंने अखबारों में पढ़ा भी है और सुना भी है हिन्दी-अंग्रेजी की कंट्रोवर्सी। मैं पहले से ही बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूं कि मुझे हिन्दी से कोई लड़ाई नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मिस्टर ग्राइस, आपने जो अभी अंग्रेजी में पढ़ा है इसका हिन्दी अनुवाद कीजिए।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

मतलब उसका यह है कि बच्चे को मातृ भाषा में पढ़ने के लिए प्राइमरी स्टेज में फैसिलिटीज देना जरूरी है। जब आपने कांस्टीट्यूशन हाथ में ले लिया है तो आर्टिकल 350 भी ले लीजिए—

"Language to be used in representations for redress of grievances,"

[श्री ए० सी० ग्राइस]

कोई शिकायत या कुछ हुआ तो हम तमिल में, तेलगू में या किसी भाषा में जो हमारी मदर टंग है उसमें रेप्रेजेन्ट कर सकते हैं। परन्तु मुझे अफसोस है क्योंकि मैंने अखबार में भी सुना और अखबारों में भी पढ़ा कि हिन्दी के अलावा और किसी भाषा में हमारा लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट नहीं। हिन्दी आप जरूर सिखाइये। हमारे जितने ऐंग्लो-इंडियन स्कूल्स हैं उनमें हिन्दी का स्टैन्डर्ड बहुत ऊंचा कर दिया है और अब हमारा क्लास 10 और 12 का बच्चा आपके उसी क्लास के बच्चों से कोई कमजोर नहीं है। जितने लड़के बाहर आ रहे हैं वे हिन्दी में कमजोर नहीं हैं और हमारे स्कूलों में जितने बच्चे हैं उनकी अंग्रेजी बहुत काफी अच्छी है। एक अभी एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 10 बच्चे उत्तर प्रदेश से गए थे। उन 10 में से 8 हमारे ऐंग्लो इंडियन स्कूल्स के थे और वह आठ के आठों ले लिए गए और दूसरे जितने 350 थे उनको बायकाट कर दिया गया। क्यों? अभी दो तीन साल पहले आपने अंग्रेजी बिल्कुल बन्द कर दी थी। नतीजा यह हुआ कि बाम्बे सरकार ने हमारे हाई स्कूल को रिकगनाइज करना बन्द कर दिया। आप डिपार्टमेंट से पूछ लें, हमारी सूचना शायद करेक्ट है। अंग्रेजी को खुदा के लिए न छोड़िए। यही अकेली एक भाषा है जो वर्ल्ड भाषा है। यह खाली ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी की भाषा नहीं है। यह लिटरेट की भाषा है। चाइना में अंग्रेजी, रूस में अंग्रेजी, जापान में अंग्रेजी, सब जगह अंग्रेजी भाषा है। हायर टेक्निकल एजूकेशन अंग्रजी में है। तो आप अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं सिखवाइएगा, तो अंग्रेजी स्कूल में आपके बच्चे जायेंगे, तो वह बेचारे क्या करेंगे? वे बेचारे टेक्निकल स्कूल में जायेंगे, तो क्या करेंगे? वे बेचारे पछतायेंगे। यह आपके सेक्रेटेरियट में जो हिन्दी है दिस इज नॉट हिन्दी।

श्री अध्यक्ष—

आप दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री ए० सी० ग्राइस—

मैं सूखा एरिया में गया था। हमने वहां पर बच्चों को हिन्दी पढ़ने पर जोर दिया, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ जो हिन्दी भाषा चल रही है वह हिन्दी नहीं है। गाँधी जी ने इसको हिन्दुस्तानी कहा था। आप हिन्दी-हिन्दी कह कर केवल आर्गेनाइजेशन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हिन्दी भाषा अपने यू० पी०, बिहार आदि स्टेट्स में हिन्दी कर सकते हैं। थैंक यू।

(श्री बाबू राम शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राज बृजराज सिंह (जिला खीरी)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाय, कोई बोलने वाले हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई जरूरी नहीं है।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत माँगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा मन्त्री जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना उस भाषण को सुन कर मुझे कुछ निराशा हुई है। मैं यहाँ बैठे-बैठे सोचता रहा कि शायद शिक्षा मन्त्री जी अन्त में यह कहेंगे कि शासन ने विद्यालयों की जो प्रबन्ध समितियाँ हैं उन प्रबन्ध समितियों को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन शिक्षा मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में यह घोषणा नहीं की। अध्यक्ष महोदय गत अनेक वर्षों से माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग प्रबन्ध समितियों को समाप्त करने की माँगें कर रहे हैं और इस बात पर बराबर बल दे रहे हैं कि प्रबन्ध समितियाँ शिक्षकों का शोषण करती हैं, इसलिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

मान्यवर, प्रबन्ध समितियों के शोषण के केवल 3 उदाहरण जो कानपुर से सम्बन्धित हैं मैं आप के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जुलाई माह में आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल, सियोडी, कानपुर और महात्मा गाँधी बेसिक जूनियर हाई स्कूल, कानपुर की प्रबन्ध समितियों ने दोनों विद्यालयों को बन्द कर दिया।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधे श्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

आदर्श हायर सेकेन्डरी स्कूल के अध्यापकों की ओर से और महात्मा गाधी जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की ओर से सरकार के पास ज्ञापन भेजा गया जिसमें यह बात कही गयी है कि प्रबन्ध समितियों को इस बात के लिए मजबूर किया जाय कि वह विद्यालय बन्द न करें। लेकिन मान्यवर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया या वह अपने को सक्षम नहीं पा रही है कि प्रबन्ध समितियों को मजबूर करती और वह विद्यालय चलते रहते। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कानपुर में ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी जिसके अन्तर्गत अनेक स्कूल आते हैं। इन स्कूलों के शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी मिलाकर लगभग 200 होते हैं। यह 200 कर्मचारी पिछले एक महीने से हड़ताल पर हैं। उनकी माँग है कि उनको पूरा वेतन दिया जाय। यह तीनों स्कूल सरकारी मान्यता प्राप्त हैं लेकिन वहाँ पूरा ग्रेड नहीं दिया जा रहा है। एक महीना हो गया है। क्रमिक अनशन चल रहा है। वहाँ की विद्यालय की जो कमेटी है उसमें लाखों रुपया संचित कोष में बैंक में जमाकर रखा है

विद्यालय की अध्यापिकाओं और अन्य कर्मचारी शासन से बराबर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन शासन विद्यालय की कमेटी पर प्रभाव नहीं डाल पा रहा है कि अध्यापिकाओं को पूरा वेतन दिया जाय जिससे विद्यालय खुल जाय। यह तीन उदाहरण मैंने रखे हैं। ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे जिनमें प्रबन्ध समितियाँ बराबर अध्यापकों का शोषण करती जा रही हैं। आप माध्यमिक शिक्षक संघ की यह माँग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वर्तमान प्रबन्ध समितियों को समाप्त कर दिया जाय। बेसिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूराम शुक्ल]

शिक्षा परिषद की तरह से अपना प्रभाव करने में असमर्थ रही है। आज जो स्कूल उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी दशा क्या है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में हजारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ भवन नहीं हैं। खुले मैदानों में पेड़ों के नीचे स्कूल लगते हैं। जहाँ पर भवन हैं, वहाँ टाट पट्टी नहीं हैं। बच्चों के पानी पीने के लिए लोटा बाल्टी नहीं है। भवनों की छत टूटी है बरसात में पानी नीचे टपकता है। इस प्रकार के भवनों में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल लगते हैं। अध्यापकों को समय से वेतन नहीं मिल पाता है। अध्यापकों के समायोजन के नाम पर अनाप शनाप स्थानान्तरण किए गए और इस तरह से हजारों रुपए अधिकारियों ने रिश्वत में कमा लिया है तब कहीं अध्यापकों को उनकी मन चाही जगह स्थानान्तरित किया है। इसी प्रकार से हायर सेकेन्डरी स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूं। आज वहाँ काम करने वाले अध्यापकों में असन्तोष व्याप्त है। उनका वेतन, पुनर्निर्धारित करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री जानते होंगे कि आज इन्टर कालेजों के जो प्रवक्ता हैं उनका वेतन क्रम 400–750 है और डिग्री कालेज के उसी क्वालीफिकेशन के प्रवक्ता का वेतन क्रम 700–1600 है। जहाँ पर इन्टर कालेज के प्रवक्ता का वेतन क्रम समाप्त होता है वहाँ पर डिग्री कालेज के प्रवक्ता का आरम्भ होता है। इस अन्तर का परिणाम यह है कि अध्यापकों में भारी असन्तोष है। इसी प्रकार से सी0टी0, एल0टी0 ग्रेड के वेतन क्रम को पुन: निर्धारित करने की आवश्यकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्तमान जो डायरेक्टर महोदय हैं, उनका प्रयोग करने का स्वभाव है। गतवर्ष मे उन्होंने इन्टर विद्यालयों और माध्यमिक, विद्यालयों में मासिक टेस्ट की परम्परा शुरू की। मैं अध्यापक हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मासिक टेस्ट लिए जा रहे हैं उसमें जहाँ एक ओर धन का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अध्यापकों पर इतना बोझ लद गया है कि प्रति माह उनको सैकड़ों कापियाँ जाँचनी पड़ती हैं। लड़के एक साथ कक्षा में बैठा दिए जाते हैं। वह नकल करके कापियाँ जमा कर देते हैं। इसलिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसी प्रकार एक सेक्शन में अभी तक व्यवस्था थी कि 45 छात्र रखे जायेंगे। लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या 45 से बढ़ाकर 75 कर दी गयी है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि एक क्लास रूम में 75 छात्रों के बैठने की जगह नहीं है। परिणाम यह होता है कि छात्र वहां से भागते हैं। इसके अलावा एक अध्यापक के लिए 75 छात्रों से व्यक्तिगत सम्पर्क बनाना भी सम्भव नहीं है। इसलिए मन्त्री जी से निवेदन है कि मासिक टेस्ट की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और एक सेक्शन में 75 छात्रों की जगह 45 छात्र की पुरानी व्यवस्था ही लागू होनी चाहिए।

मान्यवर, अब मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान कानपुर की एच0बी0टी0 आई0 संस्था की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, यह एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार और अनियमितता का केन्द्र बनी है। इसलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के कर्मचारियों न 21 विधायकों के हस्ताक्षर से एक ज्ञापन-पत्र शिक्षा मन्त्री जी को दिया था लेकिन खेद के

साथ कहना पड़ता है कि एक महीना पूरा हो रहा है किन्तु अभी तक शिक्षा मन्त्री जी ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। इसी प्रकार मान्यवर, चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कुलपति के विरुद्ध घोर असन्तोष कर्मचारियों में व्याप्त है लेकिन अभी तक शिक्षा मन्त्री ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं मन्त्री जी से मांटेसरी स्कूल के बारे में कहना चाहता हूं कि प्रदेश में हजारों की संख्या में मांटेसरी स्कूल चल रहे हैं। उनमें अनाप-शनाप फीस ली जाती है। इन स्कूलों में अध्यापक और अध्यापिकाओं के लिए वेतनमान कोई निर्धारित नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री जी से मांग करता हूं कि उनके वेतनमान का निर्धारण होना चाहिए। इसी के साथ-साथ मैं पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं और ला मार्टिनियर स्कूल का एक उदाहरण देना चाहता हूं। पब्लिक स्कूलों में आज भी पुराना रवैय्या बदला नहीं है। उन्होंने भारतीय पद्धति नहीं अपनायी है। परिणाम स्वरूप ला-मार्टिनियर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अध्यापक और प्रधानाचार्यों को नमस्ते नहीं कर सकते और उनको सलाम कहना पड़ता है। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी यदि उनको नमस्ते कहता है तो उसको बेलाडी फूल और डैम फूल गालियां दी जाती हैं। उसको दंडित किया जाता है। यह वहां की व्यवस्था है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से मांग करता हूं कि प्रदेश में जितने पब्लिक स्कूल हैं उनको सरकार अधिगृहीत करे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मन्त्री इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जनता पार्टी के अनुरूप इस बजट में प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। हमने अपने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्वीकार किया था कि 10 वर्षों की अवधि में प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाय और पूरे प्रदेश को शिक्षित कर दिया जायेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसके साथ उपेक्षा की गयी है। आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि जैसा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि आज जहां भारत में 30 फीसदी लोग शिक्षित हैं वहां हमारे प्रदेश में केवल 21.70 फीसदी शिक्षित हैं और मान्यवर, जिस जिले से मैं चुनकर आया हूं वहां तो 16 फीसदी साक्षर हैं। इसका कारण एक यह है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अपने प्रदेश में हम इतने पिछड़े हैं कि जम्मू कश्मीर और आंध्र को छोड़ दिया जाय तो हमारा प्रदेश सबसे नीचे आता है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री की इस बात से सहमत हूं कि एक-एक पैसा अपने बजट से बचाकर प्राथमिक शिक्षा में व्यय करना चाहिए और इसी दृष्टि से मैं कुछ सुझाव शिक्षा मन्त्री जी को देना चाहूंगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि साक्षरता का प्रसार किया जाय, गांवों में शिक्षा का प्रसार किया जाय। मान्यवर, आज जो परिस्थिति है, उसमें यह सम्भव नहीं होगा। जहां तक जूनियर हाई स्कूल का मामला है जो लड़के शहर में पढ़ते हैं उन्हें कक्षा आठ के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

होम एग्जामिनेशन देना पड़ता है। उसका 90/95 प्रतिशत रिजल्ट रहता है। गांव में जहां पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, टाट-पट्टी का भी प्रबन्ध नहीं है, बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, अध्यापकों की समुचित व्यवस्था नहीं है वहां पर उनको बोर्ड के सामने जाना पड़ता है जहां का परीक्षाफल 40 से 45 प्रतिशत रहता है। मेरा निवेदन है कि यह जूनियर हाई स्कूल का बोर्ड तोड़ दिया जाय और जिस प्रकार शहर के बच्चे होम एग्जामिनेशन का सामना करते हैं वैसे ही देहाती क्षेत्रों के छात्रों के लिए हो। केवल हाई स्कूल स्तर की परीक्षा ही रहे। इसकी दूसरी साइड यह हो सकती है कि भ्रष्टाचार होगा और पैसा लेकर ज्यादा स्कूल खुल जायेंगे। लेकिन इससे नुकसान नहीं है क्योंकि इससे शिक्षा का प्रसार होगा। और थोड़े ही दिनों में हम अपने प्रदेश में शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ा सकेंगे।

दूसरी बात प्राइमरी स्कूलों की दशा के बारे में कहनी है। मान्यवर, कुछ दिनों पूर्व शून्य-प्रहर में मैंने एक सवाल भी उठाया था कि देवरिया जिले के विद्यालय में एक छत गिर गयी, विद्यार्थी घायल हुए और मेरी जानकारी के अनुसार एक बालक की मृत्यु भी हो गयी। वहां के विद्यालयों का सर्वेक्षण करायें। इनके लिए आप विशेष अनुदान की व्यवस्था करें जिससे उनकी दशा सुधर सके। आपने जनता पार्टी के बजट में घोषणा की है कि मिडिल स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क होगी। आज प्रदेश में केवल छः तक की शिक्षा निःशुल्क है। मेरी मांग है कि कक्षा सात और आठ के विद्यार्थियों की शिक्षा भी निःशुल्क कर दी जाय।

एक और बात जो तात्कालिक है, कहनी है। सन् 1976 में जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा नहीं ली गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो विद्यार्थी सन् 1976 की जूनियर हाई स्कूल परीक्षा में बैठते वह आज 1978 में हाई स्कूल में प्रवेश करते लेकिन चूंकि उस वर्ष परीक्षा नहीं हुई इसलिए उनका एक साल बेकार हो गया और उनकी विकास की धारा को वहां रोक दिया गया। आज नियम यह है कि पांचवीं कक्षा पास हो, पांच साल पूरे कर लिए हों, और 20 साल की आयु हो वह हाई स्कूल में बैठ सकता है। कितना अन्याय है। कम से कम इस बन्धन को तत्काल इस साल के लिए हटा दिया जाय। मुझे इस सम्बन्ध में आश्वासन तो मिला था लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में आज स्पष्ट घोषणा करें, क्योंकि अब उपयुक्त समय आ गया है।

तीसरी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा की ओर तो शासन ने चिन्ता की है लेकिन प्रदेश में जो संस्कृत विद्यालय हैं उनकी ओर ध्यान नहीं गया है। मन्त्री जी ने यह तो आश्वासन दिया कि लाभत्रयी योजना का लाभ वहां के अध्यापकों को भी मिलेगा लेकिन जो अन्य कर्मचारी हैं उनके लिए उन्होंने कोई बात नहीं कही। इसके साथ ही साथ वहां जो शास्त्री और आचार्य पढ़ाते हैं, वह उपाधि बी0ए0 और एम0ए0 के समकक्ष है लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही जिस प्रकार का भ्रष्टाचार अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में है वह यहां भी व्याप्त है। अध्यापकों को पूरा वेतन नहीं मिलता, समय पर नहीं मिलता। इसकी भी जांच होनी चाहिए और मेरा निवेदन है कि संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को भी चेक से वेतन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी के साथ निवेदन करना है कि उनकी कोई सेवा नियमावली नहीं है।

इसका नतीजा यह होता है कि उनको कभी निकाला जाता है और कभी रखा जाता है। किसी प्रकार की सेवा की सुरक्षा नहीं है। अतः निवेदन है कि सेवा नियमावली शीघ्र बनाई जाय।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति के समय के अवशेष अभी भी हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। बड़ा अत्याचार हुआ उन दिनों इन पर। सबसे ज्यादा अत्याचार शिक्षा विभाग में हुआ। करीब 350 विद्यालयों को शासन ने अपने हाथ में ले लिया। आपातकालीन स्थिति के दौरान बहुत से विद्यालय बन्द कर दिए गए। आज भी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो अभी वापस नहीं लिए गए हैं। इन मामलों में जांच की आवश्यकता है। मिर्जापुर, उत्तर काशी, श्रीनगर, बागेश्वर आदि स्थानों के विद्यालय बन्द कर दिए गए। वहां के अधिकांश बच्चे भाग गए। वहां के अध्यापकों को निकाल दिया और दूसरे अध्यापकों को रखा। वहां के बच्चों की संख्या घट गयी। मथुरा में 375 में 8, मुजफ्फरनगर में 380 में से 38, मिर्जापुर में 325 में 35 और ऋषिकेश में 270 में से 42 बच्चे रह गए। जिस एस०डी०आई० को चार्ज दिया गया था, उन्होंने धन का दुरुपयोग किया। इस सम्बन्ध में प्रतापगढ़ और गाजियाबाद में स्थिति अधिक गम्भीर रही। बरेली, रुद्रपुर, बाजपुर, किच्छा आदि स्थान के विद्यालयों का धन अवैधानिक ढंग से अन्यत्र ले जाया गया जो आज तक वापिस नहीं मिला। जिन स्थानों पर ये स्कूल चल रहे थे, उनको वहां से हटाया गया। अनियमित ढंग से वेतनक्रम बढ़ाकर भुगतान कर दिए गए और इस तरह से जन धन की बर्बादी की गयी। निष्ठावान करीब 250 अध्यापकों को सेवामुक्त कर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों का वेतन शिशु मन्दिरों से अलग स्थानों पर दिया गया। उत्तरकाशी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, रेल बाजार, कानपुर आदि स्थानों पर शिशु मन्दिरों के भवनों को वापस नहीं किया गया।

मान्यवर, इन मामलों में पुरानी सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन आज जिम्मेदारी इस सरकार पर है। उससे बच नहीं सकते। अगर पुरानी सरकार ने अत्याचार किया है, शोषण किया है, तो मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज की सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे। हम उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अतः निवेदन है कि सेवामुक्त व निलम्बित जितने भी अध्यापक हैं, उनको पूरा वेतन दिलाया जाय। बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों को भुगतान किया गया। हमारे कोष से भुगतान वापस दिलवाया जाय। जो धन अन्यत्र ले जाया गया है, वह वापस दिलाया जाय। हमारे पुराने भवन हमें वापस पूर्व स्थिति में ही दिलवाए जावें। हमारी प्रादेशिक समिति में कार्यरत सभी व्यक्तियों का 21 माह का पारिश्रमिक चुकाया जावे। हमारे प्रकाशन की जो पुस्तकें नष्ट कर दी गयी थीं, उनका हर्जाना दिया जाए। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने वाले राजकीय स्तर पर नियुक्त नियन्त्रकों के कृत्यों की जांच कराई जाय।

मुझे खुशी है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी के अभिभाषण में अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान उन माध्यमिक विद्यालयों की ओर आकर्षित करूंगा जो विद्यालय विभाग के द्वारा चलाए गए हैं या निकायों

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–]

के द्वारा चलाए गए हैं। वहां के अध्यापकों की सेवा में भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय इस विषय पर प्रश्न पूछा था और उस सन्दर्भ में कहा गया कि उसमें विचार किया जा रहा है। उसके बाद वह वक्तव्य के लिए आया। आज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी---इन तीनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए और अध्यापकों की सेवाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। स्थानीय निकाय या इस तरह की दूसरी संस्थाओं द्वारा जो विद्यालय चलाए जा रहे हैं उन विद्यालयों. . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। जैसा माननीय मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि जय प्रकाश आन्दोलन में आपातकाल के समय जो विद्यार्थी जेल गए हैं उन्हे सुविधा दी जा रही है मैं मांग करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि यह न्याय संगत भी होगा लगभग दो वर्ष के बाद जो कम्पटीशन हुए हैं विद्यार्थी जेल गए और ओवर एज हो गए।

श्री अधिष्ठाता--

समय समाप्त हुआ. . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की संस्तुति करे मुख्य मन्त्री जी को कि इस प्रकार के कम्पटीशन में बैठने के लिए उन विद्यार्थियों के लिए जो जेल गए थे दो वर्ष की छूट दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और उन्होंने जो अपने बजट भाषण में विवरण दिया वह जनता पार्टी के दिये गये वचनों के अनुरूप है। मैं साथ ही साथ मांग करूंगा माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कि जिस प्रकार जनता पार्टी ने आश्वासन दिया कि इस नये परिप्रेक्ष में गांवों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कृषि को प्राथमिकता दी जायगी उसी के अनुरूप इस बजट को और बढ़ाया जाता तो न्याय संगत होता। इस बजट में 23.1 रखा गया है, इसको बढ़ा कर मैं समझता हूं 35.00 अवश्य किया जाना चाहिए था। क्योंकि इसका कारण है। हमारे संविधान में दिया गया है कि 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा 100 प्रतिशत कर दी जायगी लेकिन जो बालक घर में हैं 3–6 वर्ष के उनकी शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आज प्राइमरी स्कूलों की, नरसरी स्कूलों की पूरी उपेक्षा कर दी गयी है। पिछले शासन ने तीस वर्ष तक उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

सन् 1975 में कितने विद्यालय थे, इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं बताए गए हैं। केवल सन् 1974 में 155 विद्यालय की इस में सूची है लेकिन मैं माननीय सदन को यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सूचना देना चाहूंगा कि पिछले दो वर्षों में हर जिले में हर शहर में इन स्कूलों की बाढ़ आ गई है। और उनमें जो शुल्क लिया जा रहा है जहां तक मेरी जानकारी है वह 15 रुपए से लेकर 35 रुपए न्यूनतम तक लिया जा रहा है। वहां पर रखी जाने वाली अध्यापिकाओं का शोषण हो रहा है। वे एम0ए0, बी0एड0, एम0एड0 हैं लेकिन उनको वेतन 75 रुपए, 60 रुपए और सवा सौ रुपए से बिलकुल ज्यादा नहीं देते और उन पर एक शर्त यह भी लगा रखी है यदि वे बच्चे लायेंगी अपने साथ पढ़ाने के लिए तो हर बच्चे पर उनको पांच रुपये के हिसाब से वेतन दिया जायगा। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। मैं मांग करूंगा कि इनके लिए भी ग्रेड की व्यवस्था की जाय और इनकी भी प्राइमरी स्कूलों की तरह व्यवस्था की जाय।

अब प्राइमरी स्कूल की तरफ आता हूं। हमारे संविधान में भी व्यवस्था है और अभी शिक्षा मन्त्री जी ने भी कहा था कि डेढ़ किलो मीटर के बीच इस प्रकार की स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले रिपोर्ट में 13,400 विद्यालयों की जो देश में व्यवस्था थी वह टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में जहां सड़कें नहीं हैं, नाले नहीं हैं, मैं आप को सूचना देना चाहता हूं, वहां अभी तक बच्चों को 6—7 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां डेढ़ किलोमीटर की परिधि में विद्यालय हो।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पिछले दिनों आपने एक व्यवस्था रखी थी कि हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्राइमरी सेक्शन भी चला सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह अनुमति जो पिछले शासन ने वापस ले ली थी इसको फिर इन्हें दी जाय और उन स्कूलों के लिए और उन स्कूलों के जरिये वे गांव में सेवा करें और अपनी शिक्षा बढ़ाएं। वहां पर विद्यालयों के अध्यापकों की स्थिति बहुत निराशाजनक है। वहां पर बच्चों को भी कोई सुविधा नहीं मिलती। बच्चे जो दर्जा एक में दाखिल होते हैं वे दर्जा 5 तक पहुंचते-पहुंचते 10 प्रतिशत रह जाते हैं यह इस बात का प्रमाण है कि बच्चों की स्थिति भी निराशाजनक है। इस अवरोध तथा ह्रास का कारण यह है कि बहुत अधिक अपव्यय होता है। जो यह बताया गया कि 10 प्रतिशत व्यय आ रहा है यानी सरकार प्रति विद्यार्थी पर 30 रुपए खर्च कर रही है तो यह गलत है। सच यह है कि अन्य प्राविधानों पर व्यय बढ़ा है। अगर 1974—75 के आंकड़े देखे जायं तो यह व्यय 11 प्रतिशत आता है प्रति विद्यार्थी पर। इस तरह से प्राइमरी स्तर पर व्यय बहुत कम है लिहाजा जो बजट रखा गया है इसको बढ़ाया जाय। इन विद्यालयों में जो बालाहार योजना का जिक्र किया गया है उसके कोई दर्शन नहीं होते। यह कागजों में ही निहित है। इसकी परफारमेंस को शिक्षा मन्त्री जी जरा देखें तथा इसका सदुपयोग कराएं।

अलीगढ़ में बालबाड़ी योजना का पिछले दिनों प्रयोग किया गया। क्योंकि तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री उस जनपद से आते थे वहां पर इस योजना का बार-बार प्रयोग करके लाखों रुपया बरबाद किया गया। वहां पर जो अध्यापक रखे गये उनके साथ निकृष्ट तरीके का व्यवहार किया गया। अब इस तरह की लज्जाजनक घटनाएं न दोहराई जायं और इन पर रोक लगायी जाय। जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत निम्न कोटि का है।

[श्री नेम सिंह चौहान]

प्रशिक्षण का स्तर दर्जा एक व दो में सुधारा जाय। पिछले दिनों प्राइमरी स्कूलों में मिनिमम टेस्ट होता था उसे बन्द कर दिया गया, जिससे विद्यार्थियों का स्तर बहुत निम्न कोटि का हो गया है। उसकी पुनः व्यवस्था की जाय। जूनियर हाई स्कूलों में जो परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है कि अध्यापक छात्र से अनियमित धन लेते हैं उसको रोकने की व्यवस्था की जाय। सायर सेकेण्डरी स्कूलों का स्तर भी सुधारा जाय। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में बड़ा भेद है। जब शासन उन स्कूलों को मान्यता प्रदान करती है तो अनुदान भी प्रदान करे ताकि वे व्यवस्थित ढंग से चल सकें।

अध्यापकों के चयन की जो विधि बनाई गई है वह भी सन्तोषजनक नहीं है, शासन को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उनकी संख्या भी बढ़ाई जाय। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि स्वीपर जो लगा देता है यदि वह किसी तरह से बीमार हो जाय तो फिर सफाई की व्यवस्था सही होती, इसके लिए भी व्यवस्था की जाय। कुपोषण के कारण बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इनसे पहले चिकित्सा शुल्क लिया जाता था। बालकों के स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जाय और उनके निरीक्षण के लिए व्यवस्था की जाय। इधर बोर्ड के इम्तिहान में छात्रों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ी है। लिहाजा बोर्ड की व्यवस्था को सुधारा जाय और डिवीजन जो कायम किए गए हैं उनको स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी जाय। इसके अलावा जो रेम्युनरेटिव वर्क जो दिया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा भेद बरता जाता है। जो पात्रता रखते हैं उन अध्यापकों को वह वर्क नहीं मिल पाता है। यह देखा जाय कि पात्रता रखने वाले अध्यापकों को यह वर्क मिले। जो कम्प्यूटर प्रणाली है वह बहुत दोषपूर्ण है। जहां पहली आवश्यकता है रोजगार देने की, जो वायदा किया है हर हाथ को रोजगार, उसके लिए शिक्षा क्षेत्र से इस कम्प्यूटर व्यवस्था को हटा दें जिससे हजारों अध्यापकों को टेबलेशन का काम मिल सकता है।

मैं राष्ट्रीकृत पुस्तकों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं उनका स्तर बहुत निम्न-स्तर का है, रद्दी कागज का उपयोग किया गया है और उनमें गलतियां बहुत ज्यादा हैं और उनमें जो पाठ हैं, वह बहुत समय से चले आ रहे हैं। मैं अपने जिले की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक मुजावलपुर इण्टरमीडिएट कालेज है, उसमें दो प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। 1965 से अभी तक लड़कों को रिजल्ट नहीं मिला है और लड़कों को टी०सी० नहीं दिये जा रहे हैं। नोऊराय में कृषि के लिए मान्यता नहीं दी गयी है, वहां पर हजारों रुपए का सामान पड़ा हुआ है। इसी तरह हरिजनों और वाल्मीकी बच्चों के स्कूलों का कोई प्रबन्ध नहीं है। इन स्कूलों के आस-पास मादक द्रव्यों की दुकानें बन्द होनी चाहिए। अडला में बैंक के मैनेजर ने सैकड़ों बीघा जमीन अपने लड़के के नाम कर दी है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से अनेक अनियमितताएं हैं जिनको ठीक करना बहुत आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आप का आभारी हूं। यह हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रदेश के मन्त्रि-मण्डल में खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधि आकर बैठे हैं और अब भी शिक्षा जगत में प्रदेश पिछड़ा रहा तो आने वाली पीढ़ी हमको बहुत कोसेगी और यह प्रदेश के लिए कलंक की बात होगी। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध कर रहा हूं जिन परिस्थितियों में आपने सदन के सामने बजट रखा है, उससे सभी परिचित हैं लेकिन जो जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में चमत्कार करने की बात कही थी वह इसमें नहीं दिखाई देती है। काश इस छोटे से कार्य-काल में शिक्षा मन्त्री जी शिक्षा जगत में कोई चमत्कार कर दिखाते तो देश के लिए बहुत बड़ा वरदान होता। आज शिक्षा जगत में उश्रृंखलता और अहिंसा आती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1974 से 1976 तक जितने संगीन अपराध हुए हैं उनमें से 40 प्रतिशत छात्र ही मुलजिम पाये गये हैं। इन आंकड़ों से विदित होता है यहां के छात्र बड़े दुखी हैं। उनके सामने कोई दिशा नहीं है इसलिए यह कठिनाई हो रही है। जब तक उनको स्वावलम्बी नहीं बनाया जायगा तब तक प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। हमारा प्रदेश अभावों का प्रदेश है किन्तु इसके पास साधन काफी हैं। अगर अपने साधनों के माध्यम से शोध के लिए ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सारे देश में अपना नाम पैदा करेगा और शिक्षा जगत को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

आज हम देख रहे हैं कि आपने जो बेसिक शिक्षा परिषद् का गठन किया है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में अभिशाप बनी हुई है। एस0 डी0 आई0, डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स और जिला विद्यालय निरीक्षक जितने अधिकारी हैं, वह सब तबादलों से धन उपार्जन कर रहे हैं। उनका शिक्षा जगत में कोई योगदान नहीं हो रहा है, वह कोई निरीक्षण का काम नहीं कर रहे हैं। मैं मथुरा की थोड़ी सी बात बता रहा हूं वहां पर जिला विद्यालय निरीक्षक, एस0 डी0 आई0 उप विद्यालय निरीक्षक गत महीनों से तबादलों की लिस्ट बनाने में लगे हुए हैं और तबादलों के नाम पर रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पास लोग शिकायतें लेकर आते हैं कि शिक्षा अधिकारी ने अध्यापक से 500 (पांच सौ) रुपए ले लिये और अमुक अध्यापिका से दो सौ रुपए ले लिए। यही सब काम हो रहे हैं और इस तरह से शिक्षकों का शोषण हो रहा है और उन्हें लूटा जा रहा है और उनका शोषण हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मथुरा जिला, जो ब्रज प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, जिसमें बड़े-बड़े क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, के लिए हम शिक्षा जगत में कोई ऐसा कदम उठावें, जिससे जनता को विदित हो कि अधिकारियों की बेईमानी पर भी उनकी नजर है। बिसावर, तरौली, बाजना तथा शेरगढ़ आदि 10 ऐसे विद्यालय हैं, जिनकी कमेटियों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, इन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां से मान्यता नहीं दी गयी है। अधिकारी रुपयों का सौदा इन कमेटियों के साथ कर रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है, 80 हजार रुपया अब तक जिला विद्यालय निरीक्षक ले चुके हैं, फिर भी उनकी कमेटियों को मान्यता नहीं मिल पा रही है। इस प्रदेश में हम लोगों को यह कहते सुनते हैं कि जनता पार्टी के राज्य में भी शिक्षा अधिकारी इस तरह की बेईमानी कर रहे हैं, जो पुलिस के भी आगे बढ़

[श्री हुकम चन्द तिवारी]

चुकी हैं। तो आप शिक्षा जगत में इस भ्रष्टाचार और बेईमानी को रोकने के लिए कठोर प्रयास करें और फर्जी आंकड़े दिखाकर अधिकारीगण जो सरकारी कोष से अवैध पैसा लेते हैं, उस बुराई को भी रोकने की पूरी कोशिश करें।

यह प्रदेश के लिए बहुत लाभदायक होगा और इससे शिक्षा जगत का स्तर ऊंचा ऊपर उठेगा और आज हम पर से लगा कलंक भी दूर होगा। बिसावर विद्यालय की प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ था, किन्तु अधिकारियों ने उसे न मानकर एक नई प्रबन्ध समिति को उसका प्रबन्ध सौंप दिया है। इस अनियमितता और मनमानी से वहां पर जोरदार विरोध हुआ, जिसके फलस्वरूप कत्ल हुए और गोली चली। वहां के प्रधानाचार्य के खिलाफ 1 लाख 32 हजार रुपए के गबन के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ है और उन्हीं के द्वारा विद्यालय अब भी चलाया जा रहा है। इस तरह के अनेक शिक्षा संस्थान हैं, जो छात्र–छात्राओं को लेकर दिशाहीन समाज की रचना कर रहे हैं। इसी तरह से ग्रामीण अंचल में जो पाठशालाएं हैं, उनमें कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, उनके बैठने के लिए टाट की व्यवस्था नहीं है और अध्यापक अध्यापिकाओं की इज्जत व जान-माल के सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

एक बुराई और है कि एम0डी0आई0 15–15 दिन के लिए इनसे काम लेते हैं तथा 50 रु0 प्रति माह वसूल करते हैं, विभिन्न स्थानों पर, जिससे कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। सालों तक बच्चों को गिनती लिखना नहीं आ पाता है। इस शिक्षा व्यवस्था से देहाती अंचल में बड़ी निराशा है। इसलिए जूनियर हाई स्कूलों, प्रा0 पाठशाला के लिए आप जितनी योजनाएं लाएं, उनके साथ यह भी देखें कि भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जाय और इसमें सुधार कैसे हो सकता है। बेसिक शिक्षा परिषद् का दिनांक 8 नवम्बर, 1974 को 33वां प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें कहा गया था कि एम0 डी0आई0 गांव में रहेंगे और वहीं से वहां के निरीक्षण का समस्त कार्य करेंगे, लेकिन वह प्रस्ताव पास होकर रह गया और उसका थोड़ा भी कार्यान्वयन व्यवहारिक रूप में नहीं हुआ है। उसी तरह से 10 दिसम्बर, 1973 को 12वां प्रस्ताव पास किया गया था, जो शिक्षा अधीक्षकों को राष्ट्रीयकरण करेगा यह नहीं हुआ। आज अभिभावकों का शोषण रोका जाय, और फर्जी आँकड़े देकर राजकीय कोष का पैसा जो अधिकारी ले रहे हैं, उसको रोका जाय, किन्तु मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रस्ताव संख्या 33 पर भी कोई काम नहीं हुआ है। उसका व्यवहारिक रूप से कोई पालन नहीं किया गया है।

तो मैं इन शब्दों के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब तक आप शिक्षा जगत के भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पायेंगे, तब तक आप जो नई दिशा देना चाहते हैं, वह कार्य रूप में परिणत नहीं हो पायेगी। इन शब्दों के साथ आपके द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं अनुमोदन कर रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का काफी प्रयत्न करें जिससे शिक्षा जगत में नई ज्योति आवे।

श्री अधिष्ठाता––

अब श्री पालीवाल बोलेंगे। अच्छा, आप जरा रुक जाइए, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

*श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह जानकर कि मन्त्री जी ने घोषणा की कि वह औद्योगिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा को एक में जोड़ना चाहते हैं। यहां पर मैं एक बात और कह दूं, कृषि शिक्षा के बारे में यदि यह नियम बना लिया जाय तो बहुत अच्छा हो। उत्तर प्रदेश में तीन कृषि विश्वविद्यालय हैं। लेकिन जो यहां कृषि से सम्बन्धित कालेज हैं, वह उन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नहीं हैं, उनके परिसर में नहीं हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर0बी0एस0 कालेज, आगरा, इस प्रकार का कालेज है जिसने कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले स्नातकोत्तर शिक्षा देनी शुरू की। लेकिन आज वह कालेज ही बना हुआ है जबकि उसके बाद तीन-तीन विश्वविद्यालय कायम हो चुके हैं। इसलिए मैं पूरी सरकार से मांग करता हूं कि आर0बी0एस0 कालेज, चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय का परिसर बनाया जाय ताकि उस कालेज का अपना इतिहास, आन-बान की रक्षा हो सके और कृषि की शिक्षा में विकास हो सके।

जहां तक सामान्य शिक्षा का सवाल है, इण्टरमीडिएट तक की संस्थाएं तीन प्रकार की हैं, कुछ सरकारी हैं और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् की संस्थाएं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी संस्थाए हैं, जिनको पब्लिक स्कूल तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जहाँ ज्यादा पैसा खर्च करके शिक्षा मिलती है। तीसरे प्रकार की वे शिक्षा संस्थाएं हैं जिनको केवल दुकानें कहा जाना चाहिए। इस बारे में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। जहां अधिक पैसा खर्च होता है वहां के शिक्षा संस्थाओं के मालिक कहा करते हैं कि जिनके पास अधिक पैसा है वह अपना पैसा खर्च करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि हमारे केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री तक ने उन स्कूलों की वकालत कर दी। हमें बड़ा दुख और क्षोभ है। हमारी संविधान की परेशानियां हो सकती हैं। शायद उन शिक्षा संस्थाओं को रोक न सकें लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास अधिक पैसा है इसलिए ज्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है, यह गलत बात है। जिनके पास अधिक पैसा है उन पर शिक्षा शुल्क लगा दिया जाय। उसको वसूल करके गरीबों की शिक्षा संस्थाओं को दे दिया जाय।

दूसरे जो प्राइवेट संस्थाएं, जो इण्टरमीडिएट कालेज प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाए जाते हैं, हर जिले में ऐसे उदाहरण मिल जायंगे जहां पर उनमें फौजदारी हो रही है, सिर्फ इसलिए कि प्रबन्ध समिति में किस का अधिकार हो। तो क्या शिक्षा हो रही है? मैं आपसे मांग करता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को जब आप अध्यापकों को पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, केवल कुछ फीस का प्रतिशत उनसे ले रहे हैं, तो आपको उन संस्थाओं को हाथ में लेने में परेशानी क्या है? इसलिए जितने भी इण्टरमीडिएट कालेज हैं, हाई स्कूल हैं, उनके वेतन का प्रबन्ध करना जब सरकार की जिम्मेदारी है तो सब का राष्ट्रीयकरण, प्रान्तीयकरण करना या सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामदत्त पालीवाल]

अधिकांश जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के नाम से जो संस्थाएं चलती हैं, वे आपसे मदद भी लेते हैं, क्या आपने जानने की कोशिश की है, कि वस्तुतः वास्तविक संस्थाएं कितनी हैं ? मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मण्डल के हिसाब से समितियां बना दीजिए। उनको काम सौंप दीजिए, एक निश्चित समय दे दीजिए, उसमें शिक्षा संस्थाओं की जांच करके रिपोर्ट दें और उसके अनुसार आप कार्यवाही करें।

जहां तक शिक्षा परिषद् के स्कूलों के बारे में बात है, सारे स्कूल शिक्षा परिषद् के हैं, लेकिन भवन नगरपालिका, नगर महापालिका और जिला परिषद् के हैं। आप उन भवनों को उनसे ले क्यों नहीं लेते हैं, उनको अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते, यदि कुछ पैसा देना पड़े तो देकर ले लीजिए। यह नहीं चल सकता है कि भवनों की व्यवस्था दूसरे लोगों पर हो। शिक्षा की व्यवस्था का भार दूसरे लोगों पर हो। अगर ऐसा होगा तो शिक्षा चौपट हो जाएगी। ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर प्राइमरी पाठशाला के भवन गिरे न हों। सीतापुर में 12 बच्चों की जाने छत गिरने के कारण चली गयी। मेरे भी क्षेत्र के एक स्कूल में बच्चों के स्कूल भवन से निकल आने के 15 मिनट बाद ही छत गिर पड़ी। तो श्रीमन्, यह स्थिति है प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों की। उनमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार कैसे हो सकता है। आज कल हालत यह है है कि पेड़ों के नीचे स्कूल लगते हैं। अध्यापकों की संख्या 73 से 77 तक बढ़ी है, स्कूलों की संख्या 73 से 77 तक बढ़ी है, लेकिन मान्यवर, आप देखेंगे कि भवनों की संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि घटी ही है। तो इस प्रकार से हमारी शिक्षा का प्रसार कैस हो सकता है।

मैं आगरा जनपद की बात कहना चाहता हूं। मिश्रित स्कूलों की संख्या और कन्या स्कूलों की संख्या 1973 में 948 थी और यह संख्या 1977 में बढ़कर 992 हो गयी। इसी प्रकार से अध्यापकों और अध्यापिकाओं की संख्या 1973 में 3690 थी और 1977 में यह संख्या बढ़कर 3723 हो गयी। लेकिन बालकों और बालिकाओं की संख्या 1973 में 188143 थी और यह संख्या 1977 में 134106 रह गयी। इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि लड़के इन प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने के लिए जाना बन्द कर रहे हैं क्योंकि उनकी जान की सुरक्षा नहीं है, भवन नहीं हैं, उन्हें पेड़ों के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता है और गर्मी और बरसात में उनकी सुचारू रूप से पढ़ाई हो नहीं पाती है। हमारी जनता पार्टी का जो घोषणा-पत्र है उसमें यह है कि 10 साल में हम सभी को शिक्षित कर देंगे, लेकिन जो गति है उससे यह स्पष्ट है कि हम 10 साल में सबको शिक्षित नहीं कर पायेंगे। हमारा यह लक्ष्य था कि प्रत्येक गाँव सभा में एक प्राइमरी स्कूल हो जावेगा लेकिन यह उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस गति से कार्य हो रहा है उस गति से शायद ही यह हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि आपको चाहे अतिरिक्त कर लगाना पड़ जाये लेकिन आप प्राइमरी शिक्षा को प्रत्येक गाँव सभा में पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आप चाहे प्रौढ़ शिक्षा की बात मत कीजिए।

अब मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, विश्वविद्यालयों के बारे में कहना चाहता हूं। वहाँ का वातावरण विषाक्त हो गया है। वहाँ भ्रष्टाचार, अनियमिततायें और पैसे का गबन आदि शिकायतें बहुत बढ़ गयी हैं। सभी जगह पर शिकायत है। आप इन को दूर करने का प्रयास करें। अध्यापक वाइस चान्सलर का कहना नहीं मानते हैं और लड़के भी

कहना नहीं मानते हैं। जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपको उचित कदम उठाना चाहिए जिससे ऐसा वातावरण दूर हो जाए। और यदि कुलपति गलत हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिए। कुछ न कुछ करिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो कुलपतियों की नियुक्तियाँ हुईं, वह राजनीतिक कारणों से हुई। ऐसे अधिकारियों को आप बैठा दीजिए जो राजनीतिक प्रभावों से मुक्त हों। अच्छे से अच्छे शिक्षा विदों को आप उप कुलपति के पद पर आसीन करें जिससे वह विश्वविद्यालय को चला सकें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं श्रीमन, हर एक विभाग जहाँ कहीं भी कोई शिकायत आपके पास आती है कि अध्यापक को निकाल दिया गया है, जहाँ कहीं से भी शिकायत आपके पास आती है कि किस प्रबन्ध समिति में भ्रष्टचार है, उसकी जाँच पड़ताल एक माह के अन्दर पूरी करायें यह नहीं कि....

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री श्याम दत्त पालीवाल—

मान्यवर, आधा मिनट और दे दें। आगरा के एक अध्यापक जो उच्च अदालत से और जिला अदालत से अपना केस जीत गए उसके बाद भी सरकार उन्हें नौकरी पर नहीं रख पा रही है। निर्णय शीघ्र ही और जाँच के बाद होना चाहिए। इन शब्दों के साथ माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदान की माँग का समर्थन करता हूं और साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

हम लोग एक बड़ी गम्भीर परिस्थिति से निकले हैं। आपातकालीन समय में तानाशाही और जो शोषण हुआ है उसकी जो प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उनसे सबसे अधिक प्रभावित हमारी शिक्षा हुई है और सबसे अधिक कठिनाइयां हमारे शिक्षा मंत्री जी को झेलनी पड़ रही हैं। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा है कि अपातकाल में अधिकतर जगहों पर, वहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति अपनी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक आधार पर नियुक्त किए गए और उन्होंने इस बीच में अपने जो सहयोगी थे, अध्यापक थे, उनके साथ जो सम्बन्ध रखे उनका यह अर्थ हुआ कि एक विष पैदा हो गया। आपस के ताल्लुकात बिगड़ गए। लेकिन दो तीन ऐसे लोग हमारे यहाँ से चले गए जैसे हमारे धर्मपाल सिंह और एक ऐसे आदमी को वाइस चाँसलर बनाया गया जिसका शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसी तरह से मान्यवर, पन्त नगर यूनिवर्सिटी में डी० पी० सिंह को कमिशनर से वाइस चान्सलर बना दिया गया, इसके अतिरिक्त अलग-अलग जगहों पर जहाँ पर उपकुलपतियों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिसकी प्रतिक्रिया की प्रतिध्वनि आज हमें सुनाई दे रही है। इस तरह से तानाशाही और अराजकता दोनों मैं समझता हूं दोनों इक्सट्रीम पर हैं।

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

अगर तानाशाही और अराजकता के सम्बन्ध में हम कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं कर पाए तो अराजकता नहीं बन्द हो सकती है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इन विश्वविद्यालयों का यह प्रश्न सुलझ जाए, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि क्या होगा इस देश का? हमको सोचना पड़ेगा इस तरह से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे।

एक समय था जब उपकुलपतियों की नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं होती थीं। कांग्रेस राज्य में आचार्य नरेन्द्र देव को लखनऊ, बनारस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। आज हम यह सोचते हैं कि कुलपति के पद पर किन मुख्य लोगों की नियुक्ति करके उन्हें राजनीतिक रोजगार देना है या कौन राजनीतिक दृष्टि से हमारे कितने नजदीक है? इस बुनियादी प्रश्न पर हमें विचार करना है। हमें यह देखना पड़ेगा कि देश को हमें किस तरह से अराजकता से बचाने है। यह प्रश्न इससे हल नहीं होगा कि हम अपने अध्यापकों को कितनी सुविधायें दे पाते हैं।

कोठारी कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है। इस रिपोर्ट में एक कठिनाई है लेकिन मैं एक बात माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि कोठारी कमीशन ने यह कहा है कि यह देश पिछड़ा हुआ है इसलिए कि अध्यापक जैसे भी शिक्षा संस्थाओं में काम करता है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार देना चाहिए। मान्यवर, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। चाहे गवर्नमेंट कालेज हो, प्राइमरी स्कूल हो या सेकेन्डरी हाई स्कूल हो, अपनी प्रबन्ध समिति की आज्ञा के बिना वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। लेकिन अगर कोई टीचर चुन कर चला जाता है तो उसको वहां पर भी तनख्वाह मिलती रहेगी जहां पर वह टीचर है और वहां पर भी मिलती रहेगी। शासन का एक आदेश हुआ था कि टीचर सत्र में नहीं बैठेगा। टीचर कोई बकोल नहीं है कि उसको मेहनताना मिलेगा, फैक्टरी का मजदूर नहीं है कि उसको वेतन मिलता रहेगा। तो कोठारी कमीशन की जो बुनियादी चीज है कि हर अध्यापक चाहे वह प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वह चुनाव न लड़ सके। कोठारी कमीशन के एक हिस्से को ही केवल लागू किया गया है। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इस एनोमली को दूर करें, इस अविवेक को दूर करें। जब हम सदन में आते हैं तो हमें उस संस्था के बीच में तनख्वाह लेने का कोई अधिकार नहीं है। उधर बच्चों की शिक्षा का भी नुकसान होता है जब हम यहां पर सदन में आते हैं। तो यह आपने जो विशेष अधिकार प्राप्त कर रखा है इसको शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। होना यह चाहिए कि प्रत्येक अध्यापक चाहे वह किसी भी संस्था का सदस्य हो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए।

इसी प्रकार से माइनारिटी इंस्टीट्यूशन्स की बात है। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है लेकिन उनके अन्दर जो अध्यापक लोग हैं उनकी दुर्गत हो रही है। हमारे जो जनरल इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें और इनमें बहुत फर्क है। जनरल इंस्टीट्यूशन्स में सर्विसेज में वही सुविधायें हैं लेकिन माइनर इंस्टीट्यूशन्स में किसी भी अध्यापक की सर्विसेज की कोई सुरक्षा नहीं है। आप माइनौरिटी इंस्टीट्यूशन्स बनाइए लेकिन वहां भी जो

अध्यापक हैं जिनका भी वही खून है उनकी सर्विसेज को सिक्योर क्यों नहीं किया जाता है ? इनमें अधिकतर प्रबन्ध समिति में झगड़े चलते हैं। सिविल लिटीगेशन्स चलते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि इसको भी नेशनेलाइज करना चाहिए। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, उसे पब्लिश किया जाना चाहिए, चुनाव के उपरान्त जो विद्यालय के प्रबन्धक हैं। यह नहीं होना चाहिए कि 'अ' को मैनेजमेंट में या 'ब' को मैनेजमेंट में कर दें। वास्तव में सेवा की भावना होनी चाहिए, गवर्न करने की भावना नहीं होनी चाहिए।

माण्टेसरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं उनकी भी बड़ी दुर्दशा है। उनके अध्यापकों की सर्विसेज को रेग्युलेट करना चाहिए। ये जो टीचिंग शॉप खोल रखी हैं, इनमें 50-60 रुपए पर लोग नौकरी करते हैं। मैं चाहता हूं कि माण्टेसरी स्कूल्स चलें लेकिन उनकी सर्विसेज को आपको रेग्युलेट करना चाहिए, उनके रेकगनिशन के लिए रूल्स बनने चाहिए ताकि जो बुनियादी शिक्षा की संस्थाएं हैं उनमें अध्यापकों की दशा में उन्नति हो सके।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, शिक्षा मन्त्री ने जो बजट अनुदान पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उस अनुदान बजट में जो 23.1 प्रतिशत कुल का शिक्षा के लिए रखा गया है, जोकि पिछले साल से 28 करोड़ अधिक है। मैं यह पुनः निवेदन करूंगा शिक्षा मन्त्री जी से कि भविष्य की दृष्टि से वह बढ़ा करके कम से कम कुल बजट का 1/3 अर्थात् 33 प्रतिशत वह अवश्य होना चाहिए।

अब शिक्षा की विसंगतियों के बारे में थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहता हूं। विगत कई दिनों से राजकीय विद्यालयों के अध्यापक आन्दोलन पर उतारू हैं। उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। वह पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूव होकर आते हैं। वे थ्रू आउट फर्स्ट क्लास होते हैं लेकिन अगर उनके वेतनक्रम को देखा जाय, उनकी विभिन्न परेशानियों को देखा जाय तो उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। मैं शिक्षा विभाग में रहा हूं, 10 साल के लगभग राजकीय सेवा की है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह किस तरह से उन अध्यापकों के साथ व्यवहार करते हैं। उनकी विसंगतियाँ दूर करने में कोई प्रयास नहीं करते। मेरा अनुरोध है कि उनकी विसंगतियों को जो प्रोन्नति सम्बन्धी हैं उनमें मेरा सुझाव है कि जो एस0 डी0 आई0, डी0 आई0, विशेष बेसिक शिक्षाधिकारी, लेक्चरार, एल0 टी0, सी0 टी0 और बी0 टी0 ग्रेड के उनकी एक वरिष्ठता सूची बनाई जाय और उसके अनुसार उनकी प्रोन्नति की जाय। मैंने डायरेक्टर महोदय से बात की तो उन श्रीमान जी का कहना था कि 1100 और 6 हजार में यह कैसे सम्भव हो सकता है। उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सीनियारिटी के आधार पर प्रोमोशन हो सकता है केवल संख्या के आधार पर नहीं हो सकता, वह यहां मौजूद हैं . . .

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

मेरे विचार से मेरे साथी किसी अधिकारी को सम्बोधित नहीं कर सकते उनको आपको ही सम्बोधित करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

यह ठीक है ।

श्री रणवीर सिंह—

जब कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उनके वेतन-क्रम भिन्न थे । कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्रूव होकर आए थे, इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

अब अपने क्षेत्र के बारे में, बुन्देलखण्ड के, दो-चार बातें कहना चाहता हूं । वहाँ शिक्षा की इतनी कमी है प्राइमरी दृष्टि से कि मैं समझता हूं कि 18 प्रतिशत ही वहाँ पर शिक्षा है । प्राइमरी के विद्यालय खोले गये हैं, उनमें अध्यापक जाते ही नहीं हैं । एम0डी0आई0 50–50 रुपये वेतन पर रख रहे हैं ब्लाक में, ऐसे उनको आदेश दिये गये थे । यह जो रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई है इसमें बहुत गलत आँकड़े हैं । वास्तविकता यह है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल का जहाँ तक सम्बन्ध है वह केवल 14 हैं, जिनमें लड़कों के 11 और लड़कियों के 3 हैं, और सीनियर बेसिक स्कूल 48 लड़कों के और 14 महिलाओं के, इस प्रकार से कुल 62 हैं । इस पुस्तिका में 52 और 18, कुल 70 दिखाए गए हैं । प्राइमरी स्कूल बालकों के 446 हैं और बालिकाओं के 85 हैं, कुल 531 हैं, जबकि इस पुस्तिका में 459 और 96 मिलाकर 555 दिखाए गए हैं । इस प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा गलत आँकड़े दिखा कर के हमारे पूरे प्रशासन को धोखा दिया जाता है ।

इसके साथ-साथ अध्यापकों की संख्या में भी गलत आँकड़े हैं जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं । सीनियर बेसिक विद्यालयों में जहाँ 150 की संख्या सही है वहाँ महिलाओं की संख्या 20 और 6 मिलाकर 26 है । इस पुस्तिका में 69 दिखाई गयी है । जूनियर बेसिक स्कूलों में जो दर्ज हैं वह 771 पुरुष, 24 अन्य और 110 महिलाएं, योग 905 हैं, यही संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसमें दुर्भाग्य यह है कि 1178 दिखाए गए हैं । इस तरह से गलत आँकड़े प्रस्तुत करके शिक्षा का उद्धार नहीं हो सकता ।

इसी के साथ-साथ जहाँ तक माध्यमिक विद्यालयों का सम्बन्ध है उनकी बहुत कमी है । नया जनपद होने के साथ-साथ इस जनपद में केवल 14 माध्यमिक विद्यालय हैं । मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि हमारा जिला गरीब जिला है, जहाँ खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, वहाँ शिक्षा का विकास नहीं है । वहाँ के लोग बेल-पत्र उबाल कर खाते हैं । जैसी वहाँ पर स्थिति है, उसको देखते हुए मैं उनसे माँग करूंगा कि कम से कम 3 विद्यालय खोले जायं जिससे वहाँ पर शिक्षा का प्रसार हो सके क्योंकि वहाँ पर केवल 18 प्रतिशत ही शिक्षा है ।

मान्यवर, अभी मैंने एक जगह का दौरा किया वहाँ पर मुझे पता लगा कि 17 साल के लगभग 85 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे थे, जो शिक्षित थे । हो सकता है कि रजिस्टर में ज्यादा संख्या दिखाई गई हो, लेकिन मान्यवर, यह भी सही है कि वहाँ के विद्यालयों में ढोर बंधते हैं । वहाँ के लोग कम पढ़े-लिखे होने के कारण, कुछ जानते नहीं हैं । नतीजा यह है कि वहाँ की जो बेसिक शिक्षा समिति है वह कुछ नहीं करते हैं । वहाँ के अधिकारी उन्हें जिफ्ल करते हैं । इसलिए मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह माँग करता हूं कि मढ़वारा, जंखौरा, बार, बानपुर आदि स्थानों पर अधिक विद्यालय खोलें । यदि माननीय

शिक्षा मन्त्री जी स्वयं अगर मेरे क्षेत्र को देख लेंगे तो वह स्वयं विचार करेंगे कि वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ पर अधिक स्कूल खोलने की आवश्यकता है।

उच्च शिक्षा के विषय मे निवेदन यह है कि हमारे यहाँ दुर्भाग्य से केवल एक विद्यालय ऐसा है जहाँ बी0 ए0 की शिक्षा होती है और उसमें भी केवल 5 विषय पढ़ाए जाते हैं। मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहाँ के लोगों ने बड़ी मेहनत करके यह बिल्डिंग बनवाई है। अगर वहाँ पर बी0काम0 और बी0एस0सी0 की कक्षाएं खोलने की व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि बजट के देखने से ऐसा लगता है कि नए डिग्री कालेज नहीं खोले जायेंगे ऐसा इसमें संकेत मिलता है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि उच्च शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक है कि नए डिग्री कालेज खोले जायं। दुर्भाग्य यह है कि बुन्देलखण्ड का इलाका जिसमें 5 जिले हैं बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पर एम0एस0-सी0 आदि की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए या तो विद्यार्थी कानपुर जाता है, या आगरा जाता है, या ग्वालियर जाता है या सागर जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे यहाँ बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जो कालेज हों उनको यह सुविधा दी जाय और उनको अनुदान दिया जाय जिससे वहाँ पर एम0एस0-सी0 के क्लासेज खुल सकें।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं कुछ टेकनीकल एजूकेशन के सम्बन्ध में भी कह देना चाहता हूं। मेरे जिले में तो दुर्भाग्य से कोई भी टेकनीकल एजूकेशन के लिए विद्यालय नहीं है—एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर है जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाई होती है। अतः निवेदन है कि टेकनीकल एजूकेशन से सम्बन्धित विद्यालय खोले जायं।

मान्यवर, एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है, नदियाँ भी हैं। नियम यह है कि 4 मील से अधिक दूर विद्यालय नहीं होना चाहिए। जैसा कि मान्यवर, आप जानते हैं कि बीच-बीच में नदियाँ पड़ जाने के कारण बच्चे एक गाँव से दूसरे गाँव नहीं जा पाते हैं। इसलिए इस नियम को शिथिल करके प्राइमरी विद्यालय हमारे क्षेत्र में खोले जाने चाहिए। आपने 3162 प्राइमरी स्कूल्स और 612 मिडिल स्कूल्स खोले जाने का आश्वासन दिया है। इसलिए मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विद्यालय खोलने की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं इस माँग का समर्थन करता हूं।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, यह न समझ लीजिएगा कि मैं कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहा हूँ। शिक्षा के बारें में जो बजट है, अच्छा है कि आप अरबों की तादाद में खर्चा करने जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अब तक उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षा मन्त्री आए हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री शिक्षा में चाहे डिग्री अवश्य रखते हों, लेकिन उन्हें बिलकुल ज्ञान नहीं था। लेकिन बड़ी खुशी है कि हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय देहात में पैदा हुए,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

शिक्षा की जानकारी उनको है और शिक्षा संस्थाओं में वह रह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप शिक्षा में परिवर्तन करना चाहते हैं और आप करेंगे भी। लेकिन जो तीन महीने का समय गुजरा है उसमें आपके कमरे का, आपके सचिवालय का और प्रदेश की शिक्षा का माहौल जितना खराब हुआ है उतना किसी विभाग का नहीं हुआ। मैं प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्या वजह है कि 30 साल तक नारकीय भूतपूर्व हुकूमत ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक भी प्रगतिशील कदम नहीं उठाया, मतलब क्या है ?

हिन्दुस्तान गाँवों का देश है। गाँवों की साधारण जनता, कर्मशील जनता, छोटे किसान के बच्चे अगर कायदे से गाँवों में शिक्षा पा लेते तो शहरों में अंग्रेजी दम ने से जितने लोगों ने विदेशों और देश में उच्च शिक्षा प्राप्त की है वही लोग जो आज सरकारी सर्विसेज में हैं, वही इस देश की सरकार को चलाने में सक्षम हैं। यह हालत न हुई होती और गाँधी जी कहिए या जय प्रकाश जी कहिए, उनका स्वप्न पूरा होता। लेकिन गाँवों में जो शिक्षा संस्थाएं हैं कुछ लोगों ने थोड़े आँकड़े दिए, कुछ लोग भूल जाते हैं, 75 से 90 फीसदी तक गाँवों में प्राथमिक शिक्षा में जो लापरवाही बरती गयी है वह क्षम्य नहीं है। आप पैसा देते हैं फिर भी वहाँ स्कूल का निर्माण नहीं होता है। ये बेंचे खाली हैं। 30 साल तक लूटने कराने वाली सरकार और दलितों का शोषण कराने वाले कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसी खुशी में ये बेंचे खाली हैं और इसी खुशी में मैं सदन में बोलने चला आया। मुझे रोका भी गया। प्राथमिक शिक्षा को लीजिए। मैंने पिछले साल भी कहा था एक शोषण हो तो कोई बात नहीं।

शिक्षा में लगे हुए अध्यापकों का शोषण होता है, छात्रों का शोषण होता है और जो आपका करोड़ों, अरबों का बजट है उसका भी 90 फीसदी शोषण प्लान बनाने वाले हमारे शिक्षा के अधिकारी करते हैं। प्रदेश और जिला तक ये पूरा पैसा अनर्गल चीजों में खत्म कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेजियत की शिक्षा है उनकी। हमारे पंडित जी ने डिग्री कालेज खोल दिया और एप्रोच हो रही है, चाहे किसी यादव को दूं मैं कि शिक्षा मन्त्री यादव हैं, मुख्य मन्त्री यादव हैं। अरे, मुख्य मन्त्री मुख्य मन्त्री हैं, यादव नहीं। कोई ठाकुर है तो वह ठाकुर नहीं बल्कि मन्त्री है। तो इस बीमारी को दूर करना है। मैं आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं। आपकी नीयत इतनी अच्छी है कि मैं यहाँ तारीफ करता हूं तो चोट खा जाता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके ढंग, आपके तरीके और आपकी सादगी से कि आप शिक्षा को सही दिशा में ले जाएंगे। शहरों में करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हैं जहाँ आपके बड़े-बड़े अधिकारियों, विधायकगण, मन्त्रियों और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। आप देखें उन स्कूलों को जिनमें करोड़ों रुपया पानी से आया। उनको आप हर किस्म की सुविधाएं दें, लेकिन 30 साल में अगर इस भूतपूर्व सरकार ने नहीं सोचा कि नारकीय गाँवों की जिन्दगी क्या है, तो शिक्षा के माध्यम से आप उसको बदलें, जिससे कुछ लोग एजूकेटेड हों।

शिक्षा का माध्यम क्या है, इस नारकीय भूतपूर्व हुकूमत का आज जो आप रेस्ट लगे हुए देख रहे हैं, यह नहीं है कि वह बेकार हैं, यह भी नहीं है कि वह अपने पैसों के लिए आए हैं, क्योंकि माहौल आपने ऐसा कर दिया है, जिससे वे लोग आए हैं। वे ग्राम-विकास के लोग हैं, आपके शिक्षा विभाग के छोटे-भैया हैं, इनसे आपको कोई खतरा नहीं है। खतरा है तो

आपको पन्तनगर के कृषि विद्यालय के स्नातकों और रुड़की के स्नातकों से, जो हजारों की तादाद में घूम रहे हैं। आप शिक्षा के तरीके को बदलिए, चाहे बेकारी 10 साल में दूर हो। हे राम, हे प्रभु की प्रार्थना कराने वाले अध्यापक, चुर्की वाले अध्यापक को आप रखेंगे और आपकी किताबों में बड़ी पुरानी कथा कि शिवा जी [illegible] है, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस वैज्ञानिक युग में रखेंगे, तो इस प्रदेश का शिक्षा में विकास होने वाला नहीं है। लेकिन बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी खुशी है, शिक्षा मन्त्री जी जिस नेचर के हैं। मैं प्रभावित हूं।

आप आ जाइए बड़े महाविद्यालयों के कुलपति के ऊपर। आप हुक्म करते हैं कि हमारे फैजाबाद का कुलपति भ्रष्ट है, क्या यह बात शिक्षा मन्त्री जी के कानों तक नहीं आई? वह कुलपति जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वह क्रिश्चियन हो गया, इसकी सारी डिग्री अभी जैसे जाति बदल दी जाय 10 औरत उसके हो जायेगी, उसी तरह कोई क्रिश्चियन हो जाय, अमेरिका से पढ़कर आवे, तो मान्यवर, उसकी डिग्री की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है। उस कुलपति के बारे में पूरे हमारे महाविद्यालय फैजाबाद के तमाम अध्यापकों ने लिख कर दिया, पैम्फलेट बंटा, यही नहीं पूरे प्रदेश के पूर्वांचल के तमाम शिक्षा में लगे हुए लोग, छात्र जितने हैं, वे सब जानते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, चरित्र के बारे में वह अमेरिका में मशहूर था। मेरा ख्याल है, जितना उसका चरित्र गिरा हुआ है, उतना किसी भी कुलपति का चरित्र प्रदेश भर में गिरा न होगा। तो आज प्रदेश के महाविद्यालयों में इस कारण से भी असन्तोष व्याप्त है। जो विद्यालय के हेड्स हैं, उनके प्रति भी असन्तोष आज इस कारण से भी है।

आप इन विद्यालयों में आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे व्यक्तित्व वाले लोगों को नहीं भेज सकते, तो लखनऊ, इलाहाबाद में हीरो, हीरोइन न भेजिए। अमेरिका के हीरो, हीरोइन न भेजिए। अगर हमारे हीरो, हीरोइन भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री थे, तो हमारे ये शिक्षा मन्त्री जी किसान हैं, हीरो, हीरोइन नहीं हैं।

मान्यवर, इन शिक्षा संस्थाओं को मजबूत होना चाहिए। शिक्षा इस देश और प्रदेश की रीढ़ है। उत्थान और विकास का जन्म शिक्षा से ही है। लेकिन आप हीरो और हीरोइन को बैठायेंगे तो क्या होगा?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय बहुत हो गया। अब आप बैठ जायें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं केवल एक मिनट दे दीजिए। मान्यवर, मैं अकेला इधर की बेंच से हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलिए। चतुर्वेदी जी आप बैठिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलते कहाँ हैं, आप बैठ जाते हैं। आप बोलिये।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कई कालेज और शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं। वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने कई बार प्रश्न किया था, लेकिन बार-बार कट जाता है, । मान्यवर, हमारे यहां चकिया ग्रामोद्योग विद्यालय है। वहां एक सामन्त है, ठाकुर जाति के हैं। शराब पीते हैं तमाम रुपया बरबाद कर रहे हैं। मान्यवर, वहां पर 250 छात्र दिखाए गए हैं लेकिन केवल 51 लड़के हैं। तमाम पैसा वहां पर खा लेते हैं। मान्यवर, इसको रुकवाइए। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। शिक्षा संस्थाओं में चपरासी कितने हैं और अध्यापक कितने हैं इसके लिए एक कमीशन बैठाइए। जहां पर 51 अध्यापक हैं, वहाँ पर 35 चपरासी हैं। एक प्रिंसिपल के यहां 5, 5 चपरासी हलवाही करते हैं। बड़ी दुर्दशा है। इसको आप रोकें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मन्त्री के बजट पर अपनी प्रक्रिया, कुछ सुझाव व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो शिक्षा मन्त्री ने कुछ अध्यापकों को, बी0टी0 सी0 पास दस हजार नौ सौ लोगों को काम देकर बधाई का काम किया है। यह भी आपने कहा है कि निर्बल वर्ग जिस क्षेत्र में रहता है वहां 20 प्रतिशत स्कूलों की स्थापना करेंगे, तो यह भी बधाई के योग्य कार्य है। इसके साथ ही साथ इन्होंने यू0जी0सी0 की संस्तुतियों को राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों पर लागू किया तो यह भी बधाई का कार्य है। यह भी सही है कि आपने 104 करोड़ रुपए के लगभग मार्च 1978 तक के लिए मांग की है। यह समय-बद्ध है और कार्य-बद्ध है। फिर भी मैं शिक्षा की दृष्टि से कहूंगा कि यदि सम्भव हो सके तो आप इस पर गौर फरमाए। 50 लाख की आबादी की नगरी दिल्ली में 65 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च होता है तो उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ की आबादी है। इसके लिए कम से कम 1300 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए होने चाहिए।

केन्द्र सरकार भी शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ करती है। मैं चाहूंगा कि इस ओर हमारे शिक्षा मन्त्री जरूर गौर फरमायेंगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि आपने सर्वे भवन्ति सुखिनः से प्रारम्भ किया है। गांधी जी का नाम लिया है। तो मैं चाहता हूं यह समग्र क्रान्ति शिक्षण संस्थाओं में सम्भव हो। यदि उसकी भावना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि एक लाख 12 हजार गांवों को आप देखें। तब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कार्यक्रम शहरों में बना रखा है, उनको गाँवों की ओर ले जायं। यदि हो सके तो रूरल यूनिवर्सिटीज की कल्पना जोकि हमारी नहीं डा0 राधा कृष्णनन् की रिपोर्ट के आधार पर ग्रामीण विश्वविद्यालय की कल्पना की ओर आप जायं। ग्रामीण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विश्वविद्यालय में जायेंगे तो एक लाख 12 हजार गांव हैं और एक हजार गाँवों में एक विश्वविद्यालय कायम हो सकता है। इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में 112 विश्वविद्यालय बनेंगे और हर जिले में दो हो जायेंगे और टोटल विश्वविद्यालय 112 बनेंगे। मान्यवर, कोई जरूरत नहीं कि बड़ी-बड़ी साज सज्जाएं और बड़े-बड़े भवन की व्यवस्था करें। आप गाँधी के देश में हैं। इसलिए उनकी कल्पना को साकार करें और हलवाहे और मोची को डी0एस0सी0 की डिग्री दें।

गाँधी जी ने इंग्लैण्ड में गोलड मेज कांफ्रेंस 1933 में एजूकेशन और लिट्रेसी के बीच के अन्तर के बारे में जो कल्पना की थी उसको साकार करें। इस सन्दर्भ में शहरों की ओर न जाकर गाँवों की ओर जायं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि महज शहरी नीति में आमूलचूल परिवर्तन में, पाठ्यक्रमों में ऐसा न हो कि फैशन बनकर रह जायं जैसा कि 30 साल में हुआ है। आप नीतियों के स्पष्टीकरण की ओर ध्यान दें। मैकालेवुड, कर्जन, हण्टर, सारजेण्ट से लेकर चली आ रही शिक्षा पद्धति का अनुसरण करना है या महर्षि अरविन्द, रवीन्द्र, मदन मोहन मालवीय और गाँधी जी जैसे मनुष्यों की शिक्षा पद्धति की ओर भी अभिमुख होना है। यदि यह करना है तो निश्चित रूप से आर्थिक आवश्यकता की ओर भी कुछ कहना होगा। लेकिन इसमें कह दिया जाता है कि हमारी सीमायें ऐसा नहीं कर सकती हैं।

आपको याद होगा कि केन्द्र में डिफेन्स का बजट 2,550 करोड़ रुपए का था। और लगभग उतना ही एजूकेशन का 2,300 करोड़ का बजट केन्द्र में था। तो मेरा सुझाव है कि जब साक्षरता उन्मूलन की बात करते हैं, प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के सम्बन्ध में, प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में अध्यापकों से कहें कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक 50-50 लोगों को शिक्षित करें। उनको इन्सेन्टिव की बात करें।

मान्यवर, शिक्षा में साक्षरता का औसत देखें तो केरला में 56, भारत में 30 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 24.5 प्रतिशत है। यदि साक्षरता में यही प्रगति उत्तर प्रदेश में रहेगी तो मैं समझता हूं कि 100 वर्ष में भी उत्तर प्रदेश को साक्षर नहीं बना सकेंगे। इसलिए प्रारम्भिक स्तर ही शिक्षण कार्यक्रमों की ओर उन्मुख होने का जो हमने संकल्प लिया है तो इस ओर उन्मुख हों।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं इसका उल्लेख पहले भी कर चुका हूं जैसा कि अभी माननीय सदस्य श्री ग्राइस साहब ने कहा कि गैर शिक्षण संस्थाओं को मान्यता न दें तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह केवल इस देश के जवानों को उपेक्षित करना चाहते हैं वरन् शायद दुनिया के इतिहास या दूसरे देशों में जो हो रहा है और यूथ पावर जो उपयोगी हो रहे हैं, उसकी तरफ वह आँख बन्द कर लेना चाहते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इन नौजवानों को काम देने की आवश्यकता है और इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि हमारे देश की तरक्की में हम इन नौजवानों को किस तरह लगाएं। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आज जो असन्तोष की अभिव्यक्ति सड़कों पर हो रही है, यूनीवर्सिटी में ताला डाल कर हो रही है आप चाहें तो छात्र संघों की उद्भावना करके उसको रोकें। अगर स्टूडेंट पार्लियामेंट

[डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"]

अर्थात् छात्र संसद जैसी चीज हो सके, हम उनको रचनात्मक दृष्टि और उचित दिशा दे सकें तो उत्तम होगा। मैंने आज प्रातःकाल स्टेट यूथ ला की बात कही थी। मैं चकित हूं कि आज तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के छात्रों, शिक्षाविदों, शिक्षा सचिव और तमाम अधिकारियों का एक सम्मेलन क्यों नहीं आहूत किया जा सका। कारण यह रहा हो कि आप सम्भवतः अस्वस्थ थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर इस चीज को करें जिससे कि यूनीवर्सिटीज खुल सकें और नौजवान को विश्वास में ले सकें जो कि जयप्रकाश और लोहिया के सपने संजोए हुए हैं। वह सम्भवतः आपके पास आने में हिचक रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भावना बन गई है कि वह अराजक तत्व हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अराजक तत्व हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 40 छात्र बन्द हैं। मैं अध्यापक हूं, मुझे दुःख होता है। इसके साथ-साथ मैं फिर कहना चाहूंगा, यद्यपि कई बार कहा जा चुका है, हिन्दी के सम्बन्ध में। मैं अपने बुजुर्ग माननीय सदस्य ग्राइस साहब से कहना चाहूंगा क्षमा याचना सहित कि हिन्दी में कार्य न करना एक तरह से अनुशासनहीनता रही है। 22 अप्रैल, 1972 को यह राज्यादेश जारी किया गया था कि समूचा कार्य हिन्दी में होगा और यदि नहीं होगा तो अनुशासनहीनता समझी जायगी। मैं अनुरोध करूंगा कि जिन अधिकारियों ने 1972 से अब तक यह नहीं किया उनके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं करूंगा लेकिन आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इण्डोनेशिया में 227 बोलियों को एक भाषा में बदलने की कोशिश की गयी है तो टर्की और इण्डोनेशिया के पैटर्न पर यहाँ भी कुछ करने की कोशिश करें।

एक बात मैं विद्यालयों में टीचर्स के एपाइन्टमेन्ट्स में व्याप्त एडहाकिज्म के विषय में कहना चाहूंगा। जिस प्रकार वर्क-चार्ज के कर्मचारी होते हैं उसी प्रकार की स्थिति यहाँ भी है। इस प्रकार से काम करने वाले जितने भी अध्यापक हैं उनको देखें और उनकी स्थिति सुधारें। आज वह अध्यापक अनर्गल प्रलाप करने के लिए नहीं बैठे हैं, उनके माँग-पत्र को आप देखें। साथ ही साथ जब हम शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा पद्धति में सुधार की चर्चा करते हैं तो वहीं यह भी देखना पड़ता है कि प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक क्या-क्या व्यवस्था रही है। एक शैक्षणिक सर्वे सन् 1975 में हुआ। आपको जानकारी होगी कि ऐसे बहुत से कालेजेज हैं जिनमें छात्रों की संख्या 100 से कम है लेकिन इसके बावजूद भी उनको सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मैं आपका ध्यान संविधान की ओर ले जाना चाहूंगा जिसमें शिक्षा के समान अवसर की बात है लेकिन आज उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। इसी में पब्लिक स्कूल भी आते हैं। यदि शिक्षा के समान अवसर नहीं मिलते और एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं होती तो जो संविधान की भावना है हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। आप पब्लिक स्कूलों की तरफ भी देखें। मैं यह नहीं कहता कि उनको समाप्त कर दें लेकिन कहीं न कहीं कोई समान अवसर की बात हो सके, इसके लिए कोशिश करें।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अवसर पर मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड का इलाका शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आपकी जो शिक्षा की पुस्तिका है, उसमें लिखा हुआ है कि देश में उत्तर प्रदेश में शिक्षितों का प्रतिशत कम है। उसमें आप पायेंगे कि बुन्देलखण्ड में यह प्रतिशत सबसे कम है। हमारे सारे देश में बुन्देलखण्ड का क्षेत्र सबसे नीचे है।

इसी के साथ में मैं अपने क्षेत्र की तरफ ध्यानदिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में तालरहट में गवर्नमेन्ट का बालिकाओं का एक जूनियर हाई स्कूल है। इसको 60 वर्ष या 60 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। सन् 1926 में और सन् 1930 में ही गवर्नमेन्ट ने उसके लिए कुछ भूमि खरीदी थी और कुछ एक्वायर की थी। लेकिन आज तक उसका भवन नहीं बन सका। वह विद्यालय सन् 1966 में हायर सेकेन्डरी विद्यालय हो गया। लड़कों के कालेज में इण्टर की कक्षाओं में लड़कियों का प्रवेश बन्द कर दिया गया। 25/30 बालिकाएं वहाँ पर इन्टर कक्षाओं में प्रवेश के लिए बैठी हुई हैं लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इस वर्ष इण्टर की कक्षाओं को खोलन के लिए शिक्षा मन्त्री जी के पास प्रार्थना-पत्र भी दे दिया गया है। इस सम्बन्ध में मेरा शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध है कि कृपाकर वे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आदेश भेज दें ताकि उन बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिल सके।

मान्यवर, आज बुन्देलखण्ड की स्थिति क्या है? इस प्रदेश में 20 विश्वविद्यालय हैं। 7 विश्वविद्यालय हैं पूर्वी जिलों में, 6 हैं पश्चिम में, 3 हैं केन्द्र में, 3 हैं पर्वतीय क्षेत्र में और बुन्देलखण्ड में केवल एक विश्वविद्यालय है। अतः मान्यवर, वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय होने की बड़ी आवश्यकता है। यह बहुत पिछड़ा इलाका है। इसको कम से कम पिछड़े हुए अन्य इलाकों के तो समकक्ष रखा जाय। राजकीय डिग्री कालेज गवर्नमट के 27 हैं लेकिन यहाँ पर केवल एक डिग्री कालेज है। पिछले वर्ष एक का प्रान्तीयकरण हुआ। जिसमें पर्वतीय जिलों के लिए 19, बनारस में 3, सीतापुर में एक, पीलीभीत 1, रामपुर 2 लेकिन बुन्देलखण्ड के लिए केवल एक डिग्री कालेज।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की क्या स्थिति है। पर्वतीय क्षेत्र की क्या स्थिति है और यहाँ की क्या स्थिति है। मेरा निवेदन है कि कम से कम पिछड़े लोगों को तो बराबर लेते चलिए। पश्चिम और केन्द्र तो बहुत आगे हैं। लेकिन कम से कम पिछड़े हुए इलाकों के साथ तो इसको ले चल सकते हैं। बुन्देलखण्ड में हाई स्कूल, इण्टर लड़के लड़कियों के 195, पर्वत में 443, आबादी हमारी 6 लाख से ज्यादा है। सीनियर बेसिक स्कूल लड़के लड़कियों के, बुन्देलखण्ड में 612, पर्वत में 899। प्राइमरी स्कूल बुन्देलखण्ड में 4404, पर्वत में 5639। श्रीमन्, यह हमारी प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक स्थिति है। अब हमारा प्रतिशत कम क्यों न हो? बुन्देलखण्ड के अन्दर अध्यापकों की क्या स्थिति है। आप ने जो आंकड़े दिए हैं उन्हीं के द्वारा बताना चाहता हूं कि जिलेवार जो संख्या है उसके मुताबिक हमारी स्थिति यह है कि

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

कम से कम 3300 अध्यापक हमें इण्टर और हायर सेकेण्ड्री स्कूल के लिए जरूरत है, 1300 सीनियर बेसिक स्कूल के लिए, दो हजार से ऊपर बेसिक प्राइमरी स्कूल के लिए। हमारे यहां का अध्यापक मारा-मारा फिरता है। वहां खेती और अध्यापन के अतिरिक्त कोई उद्योग नहीं है।

मेरा निवेदन है कि बुन्देलखण्ड के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई ली। सारे देश के मुकाबले बुन्देलखण्ड में केवल 90 वर्षों तक अंग्रेज रहे। अंग्रेजों से लड़ाई ली और उसी का परिणाम यह है कि आज देश में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़े प्रदेश के मुकाबले भी हम नहीं आ पा रहे हैं। पंच वर्षीय योजना में प्रत्येक गांव सभा में प्राइमरी स्कूल चलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वहां पर पचासों ग्राम सभाओं में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। तुलसी, केशव की भूमि है, छत्रशाल की भूमि है, राष्ट्र कवि मैथलीशरण गुप्त की भूमि से, उपान्यास सम्राट वृन्दावनलाल वर्मा की भूमि से इस प्रकार की उपेक्षा का बर्ताव न कीजिए। वहां पर हर तहसील में एक-एक डिग्री कालेज खोलिए। वहां पर लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि खुद इनको चला पावें। 10, 12, 14 डिग्री कालेज वहां पर हैं, 10-12 आपको और खोलने हैं। हमारी आप से मांग है कि हर ब्लॉक स्तर पर हाई स्कूल इण्टर कालिज हों। तो श्रीमन्, यह सारी व्यवस्था वहां करनी है जिसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करता हूं और यह भी प्रार्थना करता हूं कि उस पिछड़े हुए क्षेत्र को इस प्रदेश के मुकाबले पर लायें।

इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि शिक्षा की पद्धति में महत्वपूर्ण सुधार किए जायं। इसमें रोजगार को महत्व दिया जाय, श्रम से आज शिक्षा दूर है इसमें श्रम का समावेश हो। आज हमारे क्षेत्र में प्राविधिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। वहां एक भी इन्जीनियरिंग कालेज नहीं है। ललितपुर हमारा नया जनपद है, वहां कोई आई0टी0आई0 नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप उस क्षेत्र की ओर ध्यान दें।

आपात्काल के दौरान में मेरे अध्यापक भाइयों को वेतन नहीं मिला। गुरसराय में श्याम बिहारी गुरदयाल, जगदीश निरंजन, मऊ रानीपुर में भोला नाथ। उनको वेतन दिलाने की शीघ्र व्यवस्था कर दी जाय।

जाखलेन में सीताराम जी हेड मास्टर थे उन्हें पांच साल हो गए रिटायर हुए, लेकिन उनकी आज तक सर्विस-बुक का पता नहीं है। उनकी पेंशन का पता नहीं है, फंड का पता नहीं है। पांच साल तक उन्होंने ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जो न खटखटाया हो। अध्यापकों के साथ रहम कीजिए। जो थोड़े पैसे वाले हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए।

एक बात मैं निरीक्षक विभाग को कहना चाहता हूं। आपका निरीक्षक विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। अध्यापकों के लिए एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि कितने मील पर उन्हें रहना चाहिए। पन्द्रह--तीस मील साइकिल पर आयें, एक घण्टा लेट पहुंचेंगे या एक घण्टा पहिले चलेंगे, कोई सीमा उनकी निर्धारित हो। कोई सीमा उसकी निर्धारित हो तो अध्यापक को स्कूल पर रहना पड़ेगा। गांव का सबसे अधिक पढ़ा-लिखा आदमी अध्यापक होगा, उससे गांव वाले भी लाभान्वित होंगे, इसकी हम व्यवस्था

करें। इस तरह से देहात की शिक्षा को हम महत्व दें और यह व्यवस्था करें कि वहां पर कोई भी प्राइमरी स्कूल हो उसमें दो अध्यापक से कम न हों और जूनियर हाई स्कूल में तीन अध्यापक से कम न हों। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन तथा अभिनन्दन करने हेतु खड़ा हुआ हूं। जनता पार्टी बनने के बाद जिस लक्ष्य को लेकर हम चुन कर यहां आए थे कि हम बेकारों को काम देंगे उसका एक हिस्सा प्रारम्भ करने का काम इस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। 10 हजार बी0टी0सी0 ट्रेण्ड लड़के जो वर्षों से सड़कों पर घूम रहे थे उनको हमारी सरकार ने काम देने का जो फैसला लिया है, मैं उसके लिए शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं। अच्छा होता जो जे0टी0सी0 तथा एल0टी0 ट्रेण्ड टीचर्स हैं और बेकार पड़े हुए हैं उनकी भी व्यवस्था कर देते। मैं उन समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें से वह स्वतः गुजरे हैं और अध्यापक होने के नाते मैनेजिंग कमेटी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों से पीड़ित रहे हैं और मैं भी उसका शिकार रहा हूं। आज 80 फीसदी हायर सेकेण्ड्री स्कूलों का खर्चा सरकार वहन करती है और केवल 20 प्रतिशत मैनेजिंग कमेटी करती है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रदेश के सारे स्कूलों में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है और मैनेजिंग कमेटी ने अध्यापकों के अधिकारों का अपहरण कर रखा है।

बार-बार सदन में इसकी चर्चा भी हुई, अब भी होती है। मैं माननीय मन्त्री से चाहूंगा कि वह इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों से सम्बन्धित जो प्रबन्ध समितियां हैं, उनको समाप्त करके उन स्कूलों को शासन के नियन्त्रण में ले लिया जाय। अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो जो अच्छे पद वाले हैं उनको तुरन्त स्थानान्तरण करने के काबिल कर दें ताकि वह जो एक जगह रह कर दुष्कर्म करते हैं अध्यापकों के साथ उसे वह न कर सकें।

मैं आपका ध्यान प्राइमरी एजूकेशन की ओर दिलाना चाहता हूं। आज इन स्कूलों को बेसिक शिक्षा परिषदों को दे दिया गया है लेकिन एक टीचर रखने के लिए उनके पास प्राविजन नहीं रहता है। स्कूलों के भवन जो हैं वे बिना छत हैं और पढ़ाई की भी बड़ी दुर्व्यवस्था है। हम सब जानते हैं कि तीस साल की विरासत में जो मिला है, उसका अहसास हम सबको है। हमको अपने कदम बढ़ाने होंगे ताकि जो संकल्प किया है उसको हम अमलीजामा पहना सकें।

मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इमरजेंसी के दौरान अध्यापकों के साथ जो कुछ हुआ है मेरा विश्वास है कि उस तरह का किसी भी समाज में किसी भी दूसरे वर्ग के साथ नहीं हुआ। उनके वेतन बन्द कर दिए गए और सर्कुलर भेज दिए गए कि नसबन्दी नहीं कराओगे तो स्कूलों से निकाल दिया जायगा और बहुत से टीचर्स स्कूलों से निकाले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

भी गए। उनके साथ जो सुलूक किया गया वह कहने की बात नहीं है। भूतपूर्व डायरेक्टर, एजूकेशन प्रधान मन्त्री के लड़के संजय गांधी के पी0आर0ओ0 बन गए थे और. . .

श्री अधिष्ठाता—

परिपाटी यह है कि जो शख्स इस सदन का सदस्य न हो उसका नाम माननीय सदस्य न लें और इस बात को बार-बार दोहराया जा चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं केवल यह कह रहा था कि ऐसे बदसुलूक की पुनरावृत्ति फिर न दोहराई जाय। जो रोग चल रहा है उसका निदान किया जाय। इमरजेंसी के दौरान शिक्षा विभाग ने जो रोल अदा किया है, वह निन्दनीय है, जितनी उसकी भर्त्सना की जाय, कम है। जिन अधिकारियों ने उस दौरान लूट-खसोट का काम किया उनको दण्ड मिलना चाहिए तभी समस्या का समाधान हो सकेगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार का ट्रान्सफर हुआ। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो उनको वहां से हटा दिया गया।

शिक्षा परिषद् जो है इसकी ओर मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता हूं। संविधान में 42वां एमेंडमेंट जो हुआ था उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। इस पर मरमरिंग चल रही है हम इसको कंकरेंट लिस्ट से निकाल रहे हैं। मेरा विश्वास है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना है तो शिक्षा को कनकरेंट लिस्ट में रहना चाहिए तभी हम नेशनल इन्टीग्रेशन को अमली रूप दे सकते हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् का काम अस्त-व्यस्त चल रहा है, उसमें एक जिले ही में कोई कोआपरेशन नहीं है, उनमें एक रूपता नहीं है। उनका एक सिस्टम बने, जिससे कि इन्टीग्रेटेड रूप में शिक्षा दी जा सके और शिक्षा में एक रूपता आ सके।

मैं दो–तीन बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मेरे पास एक सूचना माननीय अर्जुन सिंह भदौरिया जी से आई है। खुर्जा के पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज की बात है, वहां पी0एन0आर0ई0 डिग्री कालेज में 16 दिन से स्ट्राइक चल रही है, लड़के, अध्यापक वहां के कर्मचारी हड़ताल पर हैं लेकिन हमारा शिक्षा विभाग सो रहा है।

मैं भ्रष्टाचार के दो–तीन उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज है। वहां पर सारा का सारा पैसा मैनेजर जो है खा रहे हैं। इस वक्त ऐसा हो रहा है कि एक ही आदमी एक जगह मैनेजर है तो दूसरी जगह प्रिंसिपल है। शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक से लेकर क्लर्क तक एक ही जिले में एक आफिस से दूसरे आफिस में बदलते रहते हैं, वह बाहर नहीं जाना चाहते हैं। कभी डी0 आई0आर0 आफिस में ट्रान्सफर हो जाते हैं, तो कभी जिला विद्यालय निरीक्षक के आफिस में, तो कभी बेसिक शिक्षा परिषद् में, तो इस तरह से लूट मचा रखी है। आज शिक्षा विभाग का क्लर्क जो है वह काम नहीं करता है, वह सिर से पांव तक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि उनको आप अपने रीजन में न रखें।

मिटौली में एक इण्टर कालेज है उसमें एक ही दिन में इण्टरव्यू होता है और एक ही दिन में एप्वाइन्टमेंट लेटर मिल जाता है और अगर ट्रेण्ड ग्रेजुएट की जगह खाली होती है तो उसकी जगह पर साइन्स ग्रेजुएट को ज्वाइन कराया जाता है और बदले में 10 हजार रु0 ले लिया जाता है। मैं चाहूंगा कि इसकी जांच की जाय। मैंने कम्प्लेंट भी की थी। एक तरह से सांठ-गांठ वहां चलती है, कोई नियम नहीं माना जाता है, कोई तरीका नहीं अपनाया जाता है। अभी तक जो तरीका चला आ रहा है वह हमें बदलना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम प्रदेश में नयी दिशा में काम करना चाहते हैं तो हमें शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं एक मिनट में खत्म करता हूं। विद्यालयों में यूनियन बन्द कर दी गयीं। मैं जानता हूं कि यूनियन बनने से असन्तोष नहीं होता है बल्कि वहां पर सहयोग की भावना पैदा होती है। हमारी शिक्षा नीति रोजगार पूरक होनी चाहिए। अगर रोजगार के रास्ते नहीं खुलेंगे तो हम बेरोजगारी को दूर नहीं कर पायेंगे। मुझे विश्वास है कि यह जो तमाम सवाल आज हमारे सामने पैदा हो गए हैं उनको दृष्टि में रखेंगे और कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें की हैं और जो राष्ट्रीयकरण समिति ने सिफारिश की है उनको लागू करने की सोचेंगे और जो वेतनमानों में असमानता है, जिनको माननीय शिक्षा मन्त्री बखूबी जानते हैं, उसको दूर करेंगे जिससे अध्यापकों में विश्वास पैदा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री विजय राज सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, क्योंकि मुझे आपने शिक्षा अनुदान पर बोलने का मौका दिया। माननीय शिक्षा मन्त्री, जो अपने को डाक्टर लोहिया तथा गांधी जी के विचारों से अनुप्राणित मानते हैं, जिनके द्वारा य शिक्षा की मांगें यहां पेश की गयी हैं, उनसे उम्मीद थी कि ये जो अंग्रेजी के स्कूल हमारे प्रदेश में चलते हैं, उनको समाप्त करने की वह घोषणा यहां पर करेंगे। इस शिक्षा के चलते हमारे गांवों के बच्चे बड़ी-बड़ी नौकरियों में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर पर अंग्रेजी बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उनके आस-पास और घर में अंग्रेजी का कोई माहौल नहीं है। दूसरी तरफ अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके घर में अंग्रेजी बोलने का माहौल है, धनी और सम्पन्न घरों के बच्चे हैं, जो व्यय साध्य शिक्षा का खर्च वहन करने में पूरी तरह सक्षम हैं। वे इन स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके दून ऐसे स्कूलों में चले जाते हैं और अंग्रेजी के माध्यम से यहां की बड़ी नौकरियों को हथिया लेते हैं। इनका बहुसंख्यक समाज से साधारण समाज से कोई सम्पर्क नहीं रहता है और ये अपने को एक विशिष्ट वर्ग का आदमी समझते हैं। तो मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विजय राज सिंह]

अपनी सरकार से अनुरोध करूंगा कि समग्र क्रान्ति का दर्शन इस विदेशी शिक्षा पद्धति को समाप्त कर उसकी पृष्ठभूमि में होना चाहिए।

दूसरी चीज यह है कि इस शिक्षा व्यवस्था के पश्चात निकलने वाले बच्चे मैकाले के स्वप्न साकार करते हैं। मैकाले ने जो शिक्षा नीति हमको दी थी, उसका उद्देश्य यही था कि ऐसे लोग पढ़कर तयार हों, जो अंग्रेजी राज्य को भारत में अनन्तकाल तक चलाते रहें। मुझे अफसोस है कि वही शिक्षा नीति आज भी इस देश में चल रही है और उसमें कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान शिक्षा दोषपूर्ण है और यह लोगों को बेकार और निष्क्रिय बनाती है, उनकी प्रतिभा का समुचित विकास नहीं करती है। वर्तमान शिक्षा में बच्चों की शिक्षा और उनकी नौकरी का कोई साम्य नहीं है। भूगोल में एम0ए0 पास करने वाला किसी गाड़ी का गार्ड बनता है और वह झंडी हिलाता है, इतिहास में एम0 ए0 कोई क्लर्क या बाबू होगा, और साहित्य में एम0ए0 करने वाला दरोगा बनेगा, डंडा हिलाने लगेगा। उसकी शिक्षा नौकरी के साथ सम्बद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा में शारीरिक श्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

विद्यार्थी जिस गाय-भैंस का घी-दूध पीता है, उसको चारा देने में अपना अपमान समझता है। इसकी आप रोजगार या उद्योग से तुलना करें, तो यह निरन्तर घाटे का एक उद्योग है, जिसमें 55–60 प्रतिशत माल तो फेल हो जाता है, कंडम हो जाता है। बाकी बचे हुए माल में ये दो-तिहाई थर्ड क्लास बनकर समाज में और अपने में हेय हो जाता है। इसी तरह से और भी आगे श्रेणी–विभाजन चलता है। इस तरह से जो हमारे साधनों का दुरुपयोग हो रहा है, उससे हमारे नवयुवकों में कुंठा की भावना पैदा हो रही है। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने तृतीय श्रेणी रखही दी है और उसे पास मानते हैं तो लोगों को अगली कक्षा में भर्ती का अधिकार भी पूरी तरह से होना ही चाहिए। लेकिन इस बार तृतीय श्रेणी वालों को बड़े पैमाने पर अगली कक्षाओं में प्रवेश नहीं मिला। इस दिशा में आपका एक माप दण्ड होना चाहिए और यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी नहीं होनी चाहिए, इससे विद्यार्थियों में हीन भावना बनती है और आगे की शिक्षा पाने से भी तृतीय श्रेणी वाले आजकल वंचित हो रहे हैं।

एक मेरा सुझाव है, जिसके बारे में मन्त्रियों ने भी अनुभव किया होगा कि जो अधिकारी वर्ग है वह तबादले के समय, पिछड़े हुए जिलों में, दूर–दराज के गांवों में जाना नहीं चाहता है, वह उन स्थानों पर जाने से निरन्तर बचना चाहता है। यह गांवों की जिन्दगी के प्रति नफरत पैदा करता है। तो मेरा सुझाव यह था कि हाई स्कूल के बाद हर एक को उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल करने के बाद लोग निर्माण कार्य में ग्रामीण नियोजन में लगाए जायं और जब वे ग्राम्य जीवन में विशेष रुचि दिखाएं तो एक-दो साल यह कार्य करने के बाद उन्हें इण्टरमीडिएट की शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और इसी तरह से इण्टर पास करने के बाद वह कुछ समय तक गांवों में काम करें और वहां पर सफल होने पर उसे बी0ए0 में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हर एक को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। वह यह है कि

वर्तमान शिक्षा नीति को जब तक नहीं बदलेंगे, समाज में कोई आमूलचूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए गांधी जी की शिक्षा नीति है जिसमें रोजगार देने की शिक्षा नीति है, उसको चलाने का प्रयास अवश्य होना चाहिए।

एक चीज और, जो कर्मचारी हिन्दी में काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही होनी चाहिए। माननीय शिक्षा मन्त्री स्वयं हिन्दी में दरख्वास्तें ले रहे हैं, कम से कम उनके विभाग में ऐसे अधिकारी नहीं रहने चाहिए जो अपना काम-काज अंग्रेजी में चलाना चाहते हैं। अंग्रेजी के चलाने से व्यक्तित्व का विकास और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास नहीं हो रहा है।

इन सब चीजों को देखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बदन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस बजट में जनता पार्टी की सरकार के कार्य-क्रम और नीतियों को बहुत कुछ स्थान मिला है। यह एक अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं शिक्षक विधायक होने के नाते से कुछ सुझाव शिक्षा के विषय में देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि चरित्रहीनता और अनुशासनहीनता का रोना आज रोया जा रहा है। इसको दूर करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में धार्मिक और नैतिकता का पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। उसको पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। जब तक हम धार्मिक और नैतिकता के ऊपर पाठ्यक्रम नहीं बनायेंगे तब तक अनुशासनहीनता और चरित्रहीनता दूर नहीं कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी शासन ने जो उलटे काम किए उनमें यह काम भी उल्टा किया कि महाविद्यालयों में सह शिक्षा पाई जाती है जबकि वैदिक शिक्षा पद्धति के अनुसार सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। सह शिक्षा बेसिक प्राइमरी विद्यालयों में, तो किसी तरह बरदाश्त की जा सकती है। लेकिन उच्च विद्यालयों में सह शिक्षा का प्राविधान नहीं होना चाहिए। छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग विद्यालयों का प्राविधान होना चाहिए।

हम देखते हैं कि प्राइमरी पाठशालाओं, माध्यमिक शिक्षालयों, महाविद्यालयों में शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई योजनायें नहीं रखी गयी हैं, जो रखनी चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य का मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास करें। मानसिक विकास के लिए प्रबन्ध है लेकिन शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए कोई शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है। स्वास्थ्य के ऊपर माननीय मन्त्री जी ने चर्चा नहीं की है, मैं उनसे यह आशा करता हूं कि अपने बालकों को स्वस्थ बनाने के लिए खेल-कूद तथा इसी प्रकार की अन्य योजनाएं विद्यालयों में रखी जायं जिससे स्वस्थ विद्यार्थी निकल सकें और उनको इण्टरनेशनल खेल कूदों में भाग लेने के लिए अवसर दिला सकें।

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री बदन सिंह]

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि विद्यालयों में प्राइमरी से लेकर महा विद्यालयों तक जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस पवित्र विभाग से वह दूर करना चाहिए। हम देखते हैं कि प्राइमरी पाठशालाओं में न वहां पर भवन हैं, न सहायक सामग्रियां हैं, न शिक्षा के लिए उचित वातावरण ही है। इसलिए प्राइमरी भवनों में सहायक सामग्री का होना अत्यन्त आवश्यक है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। छोटे बच्चे सहायक सामग्री के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसका सर्वथा अभाव है। जब तक इस पक्ष की पूर्ति नहीं होगी तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय दुकान बने हुए हैं। वहां पर मैनेजिंग कमेटियों के द्वारा जो प्रशासन चलाया जाता है, उसमें शुरू से लेकर अन्त तक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। लिपिक से लेकर अध्यापकों तक ही नहीं अपितु नौकरों तक, भ्रष्टाचार है ।

हम देखते हैं कि इन स्कूलों में मैनेजिंग कमेटी के नाते रिश्तेदार रख लिए जाते हैं। मान्यवर, यह एक दुकान बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि मैनेजिंग कमेटी का जब तक शासन रहेगा तब तक अनुशासनहीनता नहीं दूर की जा सकती है। मेरा 27 वर्ष का शिक्षक की हैसियत से यह अनुभव है।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

क्या है व्यवस्था का प्रश्न ?

श्रीमती रामरति देवी—

पहले भी मैं प्रश्न उठा चुकी हूं कि यहाँ पर बार-बार माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं और एक भी महिला को सदन में भाग लेने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आपको अवसर मिलेगा।

श्री बदन सिंह—

मैं आशा करता हूं कि जितना समय मेरा लिया गया है वह मुझे प्रदान किया जायगा। स्कूलों में काम करने वाले नौकर मैनेजरों के यहाँ काम करते हैं, अध्यापक उनके लड़के और लड़कियों की शादियों में व्यवस्था करते हुए, तथा क्लर्क मैनेजरों के यहाँ पर खाते मेन्टेन करते हुए पाए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक मैनेजिंग कमेटियों को समाप्त नहीं किया जायगा और उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा तब तक कोई सुधार होने वाला नहीं है। देहातों में महाविद्यालयों का सर्वथा अभाव है। मैं आगरा जिले के बारे में बता सकता हूंकि किरावली, खैरागढ़ और आगरा तहसीलों में जिनमें लगभग 50 हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज होंगे लेकिन वहाँ पर एक भी महाविद्यालय नहीं है। इसलिए इनके मध्य में एक महाविद्यालय बनाया जाय जिससे चारों ओर के देहातों लड़के अपने घरों से आकर शिक्षा प्राप्त

कर सकें। यह मेरा उनके लिए सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इसको नोट करेंगे।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दीजिए। मैं दूसरी बात यह कह रहा था कि शिक्षकों को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। 6 महीने से अधिक जो अध्यापक जेल में रहे हैं उनको सुविधाएं दी जा रही हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस अध्यापक की इमरजेंसी में जबरदस्ती नसबन्दी कर दी गयी हो उसको भी कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। अध्यापकों को मेडिकल सम्बन्धी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए यह सुविधा उनको भी अन्य लोगों की तरह से प्राप्त होनी चाहिए। हमारे आगरा जिले में बालाहार एवं पौष्टिक योजना चालू है, उसमें लाखों रुपयों का घपला है। सुबह बताया गया है कि जाँच चल रही है। जिस व्यक्ति ने घपला किया है उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है लेकिन वह व्यक्ति सचिवालय के चक्कर लगाकर आगरा ही जाना चाहता है।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्री बदन सिंह--

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। तो जिस व्यक्ति का स्थानान्तरण हो गया है उसको फिर वहीं पर न थोपा जाय, मैं उसका नाम बता देना चाहता हूं, उसका नाम श्री गुलजारी लाल है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्रीमती रामरति देवी--

अध्यक्ष महोदय, बड़े परिश्रम के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सुखपाल पाण्डेय जी महिलाओं के खिलाफ हैं।

*श्रीमती रामरति देवी--

शिक्षित या सुयोग्य नागरिक ही देश की असली सम्पत्ति होते हैं। हमारी सरकार इस उद्देश्य को सामने रखकर ही बराबर इस दिशा में बढ़ती चली जा रही है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कदम उठाना चाहती है। अगले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिक धन इस बजट के लिए खर्च किया जा रहा है, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। बराबर प्राइमरी से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती रामरति देवी]

लेकर विश्वविद्यालय तक तमाम शिक्षा संस्थाएं खुलती जा रही हैं। जहां हमारी सरकार अन्य विद्यालयों को खोलने तथा पुराने विद्यालयों की व्यवस्था में काफी धन खर्च कर रही है वहां मुझे एक चीज का दुख हो रहा है। माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो आज भाषण दिया है, उसमें उन्होंने इस बात का एक बार भी जिक्र नहीं किया कि महिलाओं के लिए उनके आवास की व्यवस्था की जायगी या नहीं? इन बातों को देखते हुए मुझे शंका है कि अपनी यह सरकार शिक्षा विभाग में महिलाओं की समुचित व्यवस्था की ओर ध्यान देगी या नहीं? मिसाल के रूप में अगस्त माह में मैंने महिलाओं की शिक्षा पर प्रश्न किया था और इस चीज का हवाला मैंने अपने प्रश्न में दे दिया था कि मेरा क्षेत्र जो अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है।

भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार ने भी और तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यह क्षेत्र केवल शिक्षा के मामले में ही नहीं, बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से राजकीय हाई स्कूल खोलने के लिए आश्वासन दिया गया था लेकिन मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कोई व्यवस्था शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम महिलाओं के लिए उनकी शिक्षा व्यवस्था समुचित रूप से लड़कों के बराबर लाई जाय। आज उनकी मांग बढ़ती जा रही है। लड़कियां पढ़ाई में रुचि ले रही हैं। यह प्रमाणित हो चुका है अतः उनकी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उन अध्यापिकाओं को जो ग्रामीण अंचलों में शिक्षा संस्थाओं में काम कर रही हैं, उनके सामने शहर की अध्यापिकाओं के मुकाबले आवास की अत्यन्त अधिक कठिनाई है, अतः ग्रामीण अंचलों में इस तरफ पूरी-पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।

महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में आपको एक सुझाव देना चाहती हूं कि जिस हद तक प्राइमरी शिक्षा संस्थाएं खोली जा रही हैं, उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि जूनियर हाई स्कूलों की है। ग्रामीण अंचलों में लड़कियों के जूनियर हाई स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है। परिणाम यह होता है कि जब लड़कियां लड़कों के स्कूलों में प्रवेश करती हैं, तो वे लड़कों के ही विषय पढ़ पाती हैं। उनके जीवन से सम्बन्धित जो उनके काम आने वाली है, गृह विज्ञान की शिक्षा, उसकी शिक्षा से वे वंचित रह जाती हैं। और जब वे वहां से निकल कर पुनः लड़कियों के कालेज में जाती हैं तो उनके सामने बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि प्राइमरी शिक्षा संस्थाएं जो लड़कियों के लिए खोली जा रही हैं, उसमें यदि कमी की जाय तो काम चल सकता है क्योंकि ग्रामीण अंचलों में उन्हीं कक्षाओं में लड़कों के साथ भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। तो जूनियर हाई स्कूल्स की प्राइमरी स्कूलों की अपेक्षा अधिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस सदन में बराबर 30 वर्षों तक इस बात की चर्चा चलती रही। उस समय की सरकार की आलोचना उनके दल वालों ने भी की है और बराबर आज भी वह आलोचना जारी है। हमारे सम्मानित सदस्यों ने भी आलोचना की है और सुझाव भी दिये हैं कि शिक्षा की जो दोहरी नीति है, इसको समाप्त किया जाय। वास्तव में यह दोषपूर्ण नीति है और न यह किसी राष्ट्र के हित में है और न किसी सरकार के ही हित में है। अगर उस सरकार ने इस बारे में कोई कार्य नहीं किया है तो हमारी सरकार को तत्काल इस विषय में कदम उठाना चाहिए, तभी उनका समाजवाद का नक्शा पूरा होगा।

हमारे महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोठारी आयोग की चर्चा की थी। इस बात की चर्चा को सुनकर हमारी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों और शिक्षिकाओं में बड़ी प्रसन्नता हुई थी। अभी-अभी हमारे एक भाई ने इस आयोग की चर्चा भी की है। हमारे जो शिक्षकगण और शिक्षिकाएं हैं, जो संस्थाओं में बहुत दिनों से कार्यरत हैं और पुरानी हो गयी हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस कार्य के द्वारा इन शिक्षण संस्थाओं में दिया है, उनके लिए वेतन और महंगाई भत्ते के अतिरिक्त कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए कोठारी आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। कोठारी आयोग ने यह सुझाव परिश्रम और अतिरिक्त समय को देखते हुए किया है। तो हमारी सरकार को इस नीति को यथाशीघ्र लागू करना चाहिए ताकि हमारे जो अध्यापक और अध्यापिकायें हैं, उनको इसका पूरा-पूरा लाभ मिल सके। हमारी सरकार के सामने आज भी यह विषय हो सकता है और इसके पहले जो सरकार थी उनके सामने भी यह सवाल आया था कि लेकिन वह सरकार हमेशा हरिजनों के लाभ की बातों को कागजों पर ही दिखाती रही है। उनके जो उद्देश्य थे केवल राजनीतिक चाल थे और कभी उन लोगों ने इस चीज को पूरा करके नहीं दिखाया है।

मिसाल के तौर पर पिछली सरकार ने जो हमारी शिक्षण संस्थाएं थीं और जो नयी संस्थाएं गठित हुईं उनके लिए एक समिति बैठाई थी जिसकी अब रचना होने जा रही है। इस समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह तत्काल एक अध्यादेश जारी करे कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी 18 प्रतिशत की नियुक्ति में हरिजनों का कोटा पूरा किया जाय। पुरानी सरकार ने तो इसे केवल कागज पर ही रखा है लेकिन हमारी मौजूदा सरकार यह महसूस करती है कि शिक्षा की आवश्यकता देखते हुए उन गरीब बच्चों को जिनको हमारी सरकार सहायता देना चाहती है, चाहे वह छात्रवृत्ति हो, चाहे अन्य पुस्तकीय सहायता हो, उनको ये सुविधाएं देकर उन विद्यालयों से अच्छे रूप में सुयोग्य बनकर निकलते हैं तो क्या कारण है कि रोजी के लिए वही शिक्षण संस्थाएं उनके लिए अपने दरवाजे बन्द कर लेती हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारी सरकार यथाशीघ्र एक बिल पास करे इसके सम्बन्ध में और उसका रूप ऐसा होना चाहिए कि इन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में भी वही नियम लागू हों जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में लागू किए गए हैं। इस तरह मान्यवर, कम से कम 20 हजार लड़के जो हमारे बी०ए०, बी०एड०, एल०टी० आदि ट्रेनिंग लेकर बेकारी की समस्या काट रहे हैं, कहीं दूसरे दरवाजों पर, प्राइवेट नौकरी के लिए भटकते हैं, कहीं सरकारी अन्य संस्थाओं में छोटे से छोटे मासिक के रूप में जो सुविधाएं मिलती हैं वहां भी हाथ पसारते हैं, तो हमारी सरकार इस तरफ कुछ ध्यान दे। अगर इस तरफ कदम उठता है तो इतने गरीब लड़कों का विश्वास, उन गरीब वर्ग का विश्वास हमारी इस सरकार को प्राप्त होगा।

मान्यवर, एक सुझाव मेरा यह था लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में कि अभी तक तो महिलाओं के पास डिग्री कालेज सम्बन्धित हैं, लेकिन अधिकांश जिलों में डिग्री कालेज का प्रबन्ध लड़कियों के लिए नहीं है। तो मैं कहूंगी कि हमारी सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए और इन सुविधाओं को देखते हुए यदि उचित समझे तो वह जिले जो कमिश्नरी स्तर के हैं उनमें एक-एक डिग्री कालेज लड़कियों के लिए अवश्य खोल दे। इस तरह से उन लड़कियों को पूरी-पूरी सुविधा मिलेगी और वे अपने कार्य में विकास करेंगी।

श्री अध्यक्ष--

अब भाषण समाप्त करें रामरति जी ।

श्रीमती रामरति देवी--

मैं बजट का समर्थन करती हूं ।

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । एक-एक अनुदान पर आपसे निवेदन है कि किसी जिले के 2-3 माननीय सदस्य उस विषय पर बोल जाते हैं और मेरे जिले का कोई भी शिक्षा पर नहीं बोल सका । तो मैं चाहूंगा कि कम से कम ध्यान रखें कि कम से कम दो एक सदस्य अपने जिले की समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कर सकें, ऐसा अवसर मिलना ही चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इस बात की कोशिश की है कि जिनको एक बार भी अवसर नहीं मिला उनको अवसर मिलना चाहिए और कल के लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिनको बिलकुल अवसर नहीं मिला, कल प्रथम वह लोग अपनी सूची दे दें, उनको बोलने का अवसर मिलेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मैं शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मेरे हाथ में यह शिक्षा की प्रगति की पुस्तिका है जो शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित कराई गई है । इसके पहले पृष्ठ पर लिखा है—'आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनर्गठन के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है ।" मैं उससे भी आगे चलकर कहने की अनुमति चाहूंगा कि अगर सहकारिता समाजवादी आन्दोलन की रीढ़ है तो शिक्षा लोकतन्त्र की आत्मा होती है । इसलिए अगर इस देश में लोकतन्त्र को सफल बनाना है तो शिक्षा प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा । शिक्षा के ऊपर जो आज हमारा अनुदान है इससे कहीं कई गुना खर्चा करना पड़ेगा ।

इस प्रदेश की आज जो स्थिति है, जैसा मेरे पहले के बोलने वाले भाइयों ने कहा, 29.45 प्रतिशत साक्षरता का औसत है पूरे देश का जहां, वहां इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि केवल तीन प्रदेशों से ऊपर है। बाकी सारे देश के जितने भी प्रदेश हैं, साक्षरता के मामले में उनसे हमारा प्रदेश नीचे है । मैं आपकी अनुमति से, मान्यवर, कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा कि जहां साक्षरता के मामले में केरल में 60.24 प्रतिशत, तामिलनाडु में 39.46 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 39.18 प्रतिशत, गुजरात में 35.79 प्रतिशत, मनीपुर और मेघालय जैसे छोटे और पिछड़े कहे जाने वाले प्रदेश में क्रमशः 32.91 प्रतिशत, और 29.49 प्रतिशत औसत है, वहीं हमारे प्रदेश का औसत 21.70 प्रतिशत है । जहां तक स्त्री शिक्षा की बात माननीय सदस्यों ने कही, उसमें तो और भी दुर्दशा है इस प्रदेश की । केरल में जहां स्त्री-शिक्षा का औसत 54.3 प्रतिशत, तामिलनाडु में 36.86 प्रतिशत, इसी प्रकार दूसरे प्रदेश में जहां इस तरह का औसत अधिक है, हमारे यहां केवल 10.55 प्रतिशत का औसत है । और उसमें भी मान्यवर, बहुत से अभागे जिले ऐसे हैं इस प्रदेश में, जो इस प्रदेश का औसत है साक्षरता में 21.70 प्रतिशत, उससे भी वह जिले काफी नीचे हैं जैसा कि हमारा जनपद । वह समूचा का समूचा जनपद है, जो इस औसत से नीचे पर रुका है ।

इसलिए मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस सरकार से और माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में काफी प्रयास करने की जरूरत है। इस समग्र क्रान्ति की लोक गंगा का जो इस धरती पर आई है, उसका त्रिवेणी का रूप तब तक जागरूक नहीं होगा जब तक शिक्षा रूपी सरस्वती की धारा जो सूख गई है, जो अन्तर्ध्यान हो गई है, उसको प्रयास करके अपने बजट में अनुदान की राशि को बढ़ाकर ऊपर लाना पड़ेगा, तभी यह त्रिवेणी का रूप साकार होगा, तभी इस देश के अन्दर लोकतन्त्र की नींव मजबूत होगी।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज शिक्षा में जहां अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता है, वहीं इस बात की भी आवश्यकता है कि उन जिलों के ऊपर, उन क्षेत्रों के ऊपर विशेष निगाह रखी जाय जोकि शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में बहुत पिछड़ हुए हैं। इसलिए मेरी यह मांग है इस सरकार से कि जो आज शिक्षा की पद्धति इस तरह से बिगड़ गई है कि विद्या मंदिर कल कारखाने की शक्ल ले चुके हैं। मान्यवर, शिक्षा के तीन पक्ष हैं—मैनेजमेंट (शासन), दूसरा विद्यार्थी और तीसरा अध्यापक। आज विद्यार्थी विद्या मंदिर में उस पवित्र भावना से नहीं जाता, बल्कि डिग्री हासिल करने के लिए जाता है ताकि नौकरी मिल सके। अध्यापक भी इसलिए जाता है कि उसकी रोटी और रोजी की व्यवस्था हो सके और मैनेजमेंट भी स्कूल को इसलिए चलाता है ताकि आमदनी हो सके, मुनाफाखोर बिजनेस मैन की दृष्टि से वह सारे स्कूलों का संचालन करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी पहली मांग माननीय शिक्षा मन्त्री जी और सरकार से यह है कि कम से कम माध्यमिक शिक्षा का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाय ताकि शिक्षा के तीनों पक्षों—विद्यार्थी, अध्यापक और प्रशासन में समुचित सामंजस्य स्थापित किया जा सके।

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी के अन्दर जो अन्तरात्मा होती है, उसके अन्दर जो अन्तरमानस होता है, उसको जगाना और उसको विकसित करना। अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि विद्यार्थी पर न्यूनतम अंकुश लगाते हुए वह उस लक्ष्य को हासिल कर सके और प्रशासन का कर्त्तव्य होता है कि इसमें पूरा-पूरा सहयोग दे। आज इन तीनों बातों में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए मान्यवर, दूसरा उदाहरण मैं यह देना चाहूंगा कि आज हमारे देश में ही नहीं, पूरे संसार में, यह जो एजूकेशन बोर्ड है इलाहाबाद का, शायद इससे बड़ी शिक्षा का एग्जामिनेशन लेने वाली कोई दूसरी संस्था हो। आज इसकी वजह से इतनी निरंकुशता फैल गई है कि न तो अनुशासन के नाम की कोई चीज है और न ही विद्यार्थियों के साथ न्याय हो पाता है। मुझे तो मान्यवर, यहां तक बताया गया है कि केन्द्र में परीक्षा पुस्तिकाओं को जांचने के लिए जो लोग आते हैं, उनका एक कापी को जांचने का औसत समय जो आता है वह दो-ढाई मिनट के बीच में आता है। कहां न्याय हो सकता है इतने छोटे से समय में विद्यार्थियों के साथ। आप देखें कि अंक भी वहीं तैयार की जाती है। जहां नतीजा बनाने में गलतियां होती हैं विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं हो सकता, रेजल्ट देर में आता है उसका विकेन्द्रीकरण करना होगा। मेरी तो मांग है सरकार से कि इसको भंग करके नए सिरे से इसका गठन करना चाहिए ताकि शिक्षा सुचारु रूप से चल सके,

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

विद्यार्थियों के साथ न्याय हो सके और अनुशासनहीनता जो परीक्षाओं के दौरान होती है उसका भी अन्त किया जा सके। इसी प्रकार से विद्यार्थी, अध्यापक और प्रशासन के मध्य जो एक प्रकार के नए सम्बन्ध का गठन करना है उसके लिए यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि यू0पी0 एजूकेशन बोर्ड को समाप्त करके शिक्षाविदों, प्रबन्धकों, सरकार और विद्यार्थियों को एक गोल मेज कांफ्रेन्स बुला कर कोई नई परिपाटी निकाली जाय, परीक्षाओं का संचालन करने की तभी समस्या का निराकरण हो सकेगा।

इसी तरह से सारे प्रदेश में अनिवार्य रूप से केवल एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाय। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता है कि एक तरफ आधा पेट खाना खा कर, नौ बजे तक धूप का काम करके, मीलों पैदल चल कर एक विद्यार्थी ऐसे स्कूल में जाता है जहां बैठने के लिए कोई छाया नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ता है, ऐसे स्कूल में जाता है जहां महीने में 10 दिन अध्यापक गायब रहता है और स्कूल से वापस जा कर वह विद्यार्थी शाम तक खेत में काम करता है और फिर दिए की टिमटिमाटी रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वह लड़का है जो शिशु मन्दिर, कान्वेन्ट और दून जैसे स्कूलों में जाता है, जगमगाती हुई ट्यूब लाइटस में बैठता है, अच्छा-अच्छा खाना खाता है ऊपर से ट्यूटर भी लगा हुआ है। अगर दो तरह की शिक्षा व्यवस्था चलती रही तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दो तरह का इम्तहान भी करना पड़ेगा। शिक्षा कई तरह की और इम्तहान एक तरह का यह असमानता ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं की जायगी, विद्रोह हो जायगा अगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा आपके द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री और अपनी सरकार से कि इस समस्या का भी निराकरण करने के लिए कोई कदम उठाएं ताकि जो समग्र क्रान्ति का सपना सरकार ने देखा है उसको साकार किया जा सके।

चूंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है मैं शार्ट में दो, तीन बातें और कहना चाहूंगा। आज माध्यमिक शिक्षा की कितनी बुरी हालत है। इसका बहुत से लोगों ने उदाहरण दिया है। एक प्रसार अध्यापक हैं शिक्षा प्रसार योजना के तहत। न तो उनकी कोई ग्रेडेशन लिस्ट है, न उनका इनक्रीमेंट का कोई चान्स है और जहां वह 10-12 साल पहले नियुक्त हुए थे उसी स्तर पर आज भी पड़े हुए हैं। तो समान काम के लिए समान वेतन का नारा देने वाली हमारी सरकार को इस दिशा में भी कुछ सोचना पड़ेगा।

अब मैं प्रदेश में उच्च शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इसमें भी आए दिन छात्र अशान्ति होती रहती है। मेरे यहां का मामला अभी प्रस्ताव होगा इसलिए मैं नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए शिक्षाविदों का सम्मेलन बुला कर कोई नया स्वरूप बनाना पड़ेगा। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि हायर एजूकेशन को दो स्तरों में विभाजित कर दिया जाय, एक तो जो साधारण विद्यार्थियों के लिए हो जिसमें एडमिशन में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए और दूसरा आनर्स कोर्स जैसा कोई कोर्स होना चाहिए जिसमें आप पाबन्दी लगाइए कि 60 परसेंट से ऊपर के जो छात्र हों उनको ही एडमिशन दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, आपका समय हो गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं सिर्फ इतना कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आज हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है उससे ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि खेल का अच्छा खिलाड़ी भी अच्छा शिक्षक भी, अच्छा साइन्टिस्ट भी, सभी कुछ हमको एक माध्यम से मिल जाय । यह नहीं हो सकता। इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ केवल इतना कहना चाहूंगा· · ·

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठिए ।

*श्री जागेश्वर (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने विधेयक पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके साथ ही मैं फतेहपुर जिले के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। फतेहपुर जिला कानपुर, इलाहाबाद के बीच में है। मैं तो आप से निवेदन करूंगा कि फतेहपुर जिला जिसके विषय में आप इन्क्वायरी कर सकते हैं कि वह कितना पिछड़ा हुआ है। मैं तो यह प्रमाण दे सकता हूं कि हमारे प्रदेश में फतेहपुर जिले के मुकाबिले में कोई जिला पिछड़ा हुआ नहीं होगा। हर एक मामले में, यातायात के मामले में, अस्पताल के मामले में, सारी चीजों के मामले में। मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री जी को याद दिलाऊं कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जो सरकार थी, जो हमारे क्षेत्र में एक स्थान गढ़ा है, वह जमुना के किनारे पर है, वहां पर नदियां पड़ती हैं। वहां पर 20 किलो मीटर तक कोई यातायात के साधन नहीं हैं, वहां पर जाने के लिए नदियों के मारे कोई साधन नहीं है। वहां की आबादी कम से कम 20 हजार है। एक प्रस्ताव पहले हाई स्कूल वहां पर खोलने के बारे में रखा गया था और वह पास भी हो गया था, इसकी इन्क्वायरी शिक्षा निदेशक से कर लीजिए, प्रस्ताव पास हो गया, वहां पर आज तक स्कूल नहीं बना। वहां पर गढ़ाकोट में बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है ।

मैंने शिक्षा मन्त्री जी को लिखकर दिया कि वहां पर स्कूल बनना बहुत जरूरी है। एक बार वहाँ की जनता ने बिलकुल सलाह कर ली थी कि हम वोट नहीं देंगे, एक वोट केवल पड़ा था। गढ़ाकोट में और उसमें वहां पर बड़ी लड़ाई हुई थी कि यहां जमुना का किनारा है, यहां न तो शिक्षा के विषय में, न यातायात के विषय में, न सिंचाई के विषय में सरकार ने अभी तक कोई व्यवस्था की। मेरा आपके द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि मेरा जो जमुना के किनारे क्षेत्र है, जो हाई स्कूल के बारे में पहले प्रस्ताव हुआ था, वहां पर अवश्य स्कूल बनाना चाहिए। वहां पर जमुना का किनारा है, वहां पर यातयात का कोई साधन नहीं है, वहां पर जो हमारे पिछड़ी जाति के भाई हैं, हरिजन हैं और कुछ मोहम्मडन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जागेश्वर[

हैं, गरीब हैं, अपनी तरफ से स्कूल नहीं बनवा सकते हैं, वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां पर चना तक तो होता नहीं है, सूख जाता है। मैं केवल अपने जिले की ही बात नहीं कहता, जिस जिले में आज तक तरक्की नहीं की गयी, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे सिंचाई के मामले, में हो चाहे यातायात के बारे में हो, मेरा आप से निवेदन है कि वहां की अवश्य तरक्की की जाय। जिस प्रकार से अन्य स्थानों पर लड़कों के डिग्री कालेज खोले गए हैं, उसी प्रकार से हमारे जिले फतेहपुर में भी लड़कों की शिक्षा के लिए डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय खोला जाय।

हमारा फतेहपुर जिला जो है वह बैकवर्ड एरिया है, वहां पर कुर्मी, पासी आदि बसते हैं, वहां पर उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं है, वहां पर न कोई अस्पताल ही है, मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र गड़ाकोट में चाहे जूनियर हाई स्कूल ही खोला जाय, लेकिन वहां पर स्कूल अवश्य खोला जाय। वहां पर एक तेंदुआ गांव है, वहां के किसान भाई बहुत गरीब हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने वहां पर स्कूल बनवा सकें। वहां पर बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। तो मेरा शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि वहां तेंदुआ में स्कूल अवश्य बनवाया जाय। वहां पर एक अढ़ैया गांव है, उसकी आबादी 10–15 हजार की है, वहां के लोग बहुत खराब हालत में हैं। इतने गरीब हैं कि बिल्कुल फकीर की तरह रहते हैं। संख्या में काफी हैं लेकिन आज तक वहां उनके लिए स्कूल नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि हमारे फतेहपुर जिले की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय। साथ ही एक बात और कहूंगा, ज्यादा मैं भाषण नहीं देता हूं। जनता पार्टी ने गरीबों से वादा किया है तो मैं कहूंगा कि बी0 टी0 सी0 या पढ़ लिख कर बच्चे मारे-मारे फिरते हैं तो इसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। जिनके पास साधन हैं, जमीन है अगर उनके बच्चे पढ़ लिखकर बैठे हैं और दूसरी तरफ वह लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं, जो गरीब हैं, चाहे वह पिछड़े वर्ग के हों या चाहे सवर्ण जाति के हों तो उस लिस्ट में ऐसे लोगों को पहले स्थान देना चाहिए और जिनके पास साधन हैं उनके बच्चों का लिस्ट में नाम बाद में आना चाहिए। तो लिस्ट बननी चाहिए, चाहे कोई भी नौकरी हो। इन साधनहीन लोगों को पहले नौकरी देनी चाहिए यह मेरा निवेदन है।

(श्री गंगा सहाय यादव के खड़े होने पर तथा माइक बन्द होने पर)

श्री अध्यक्ष––

आप बोलना शुरू कीजिए। आप दूसरे से बोलें।

श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)––

मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की गयी है उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मैनपुरी जनपद उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। शायद बुन्देलखण्ड ही

एक ऐसा जिला हो सकता है जो मैनपुरी से अधिक पिछड़ा हुआ न हो। इसलिए मैं कहूंगा कि जिला मैनपुरी के सम्बन्ध में शिक्षा के लिहाज से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मैनपुरी जिले में मेरा क्षेत्र शिकोहाबाद है। जो एक किनारे से जमुना से घिरा हुआ है। वहां पर सड़कें नहीं हैं। यहां तक कि आने-जाने की सुविधा नहीं है। मेरे क्षेत्र में कम से कम 260 गांव हैं जिनके अन्दर केवल एक भी डिग्री कालेज नहीं है। शहर शिकोहाबाद में कालेज जो भी है 15—15, 16—16 मील के फासले पर पड़ता है। लिहाजा मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस पिछड़े क्षेत्र की देहात में कम से कम 2 महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाय। कम से कम इस पिछड़े क्षेत्र में एक सरकारी हाई स्कूल एवं एक इण्टर मीडिएट कालेज की व्यवस्था करना जरूरी है। क्योंकि जिले में केवल एक इण्टरमीडिएट कालेज है जो मैनपुरी प्रापर में है। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि इस क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। कम से कम 15—16 जूनियर हाई स्कूल हों तो शिक्षा की समस्या यहां हल होगी।

मान्यवर, कन्या पाठशालाएं नहीं हैं। कम से कम जूनियर कन्या पाठशालाएं होनी चाहिए। इसी सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि जितने भी बेसिक प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल हैं उनकी इमारतों एवं बिल्डिंग की दशा बहुत खराब है। लड़कों को पढ़ने में खासतौर से बरसात में बहुत असुविधायें होती हैं। लड़के बरसात में स्कूल छोड़-छोड़ कर घर भाग जाते हैं। मैंने बहुत सी पाठशालाएं ऐसी देखी हैं, जहां थोड़ी सी बरसात होती है, मास्टर लोग चाहते भी हैं, मास्टर छुट्टी करके अपने-अपने घरों को चले जाते हैं। मान्यवर, एक स्कूल ऐसा है जिसे हाई स्कूल कन्या पाठशाला बनाने के लिए मन्जूरी दे दी गयी है। यह जूनियर हाई स्कूल है। इसके लिए पौने चार लाख रुपए का प्राविधान हुआ।

इस बिल्डिंग के लिए लगभग एक-डेढ़ लाख खर्च हुआ है लेकिन उसके बाद बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। दो साल से काम बन्द है। इसलिए यदि काम न हुआ तो जो डेढ़ लाख खर्च हुआ है वह बेकार हो जाएगा। इसलिए मन्त्री जी से निवेदन है कि गुढ़ा म जो पौने चार लाख रुपए की व्यवस्था थी उसमें डेढ़ लाख खर्च करके काम क्यों बन्द कर दिया गया और उसके बाद मन्त्री जी काम वहाँ जल्दी से होना चाहिए जिससे कन्यायों की समस्या सुलझ सके।

मान्यवर, यह भी निवेदन है कि हमारे वहाँ देहाती क्षेत्रों में डी0 आई0, एस0 डी0 आई0 से लेकर शिक्षा अधिकारी तक कोई भी निरीक्षण स्कूलों का करने नहीं जाता है। वह मास्टरों से हेड क्वार्टर पर रजिस्टर मंगा कर देख लेते हैं और भत्ता इस तरह से कमाते हैं। इसलिए मन्त्री जी से निवेदन है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि डी0 आई0 और एस0 डी0 आई0 लोग स्कूलों में जायें और वहाँ देखें कि मास्टर आते हैं कि नहीं। मास्टरों की हालत यह है कि वह कभी 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आते हैं। इसलिए मन्त्री जी से निवेदन है कि निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी गाँवों में जायें और स्कूलों का निरीक्षण करें ऐसी व्यवस्था करें।

[श्री गंगा सहाय यादव]

मान्यवर, कुछ अधिकारीगण ट्रान्सफर में पैसा लेते हैं और तब ट्रान्सफर करते हैं। मैं चाहता हूं कि अच्छे टीचरों को अच्छी जगह भेजा जाय। एक जगह पर जिसको 12 साल हो गए हैं उनका दूसरी जगह ट्रान्सफर किया जाय।

मान्यवर, हमारे वहाँ आदर्श कृष्णा कालेज, शिकोहाबाद है जहाँ बी0एड0 की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पहले यह व्यवस्था थी लेकिन बाद में उसका तोड़ दिया गया है। इसलिए निवेदन है कि वहाँ फिर बी0एड0 की कक्षायें चालू की जाने की व्यवस्था मन्त्री जी करें।

श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा अनुदान पर बोलने का मौका दिया और शिक्षा मन्त्री का भी मैं आभारी हूं कि उन्होंने शिक्षा नीति में परिवर्तन की दिशा में सोचा है। मान्यवर, जहाँ तक प्रयास करने का ताल्लुक है तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक हमारी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। आज भी वही घिसी-पिटी शिक्षा पद्धति हमारे प्रदेश में चालू है। पढ़ने के पश्चात् चाहे वह डिग्री कालेजों का प्रश्न हो या हाई स्कूल या इन्टर की बात हो, विद्यालय से निकलने के बाद नवजवान अपने को एक ऐसी विषम स्थिति में पाता है कि न तो उसे नौकरी ही मिलती है और न वह अपने भविष्य को उज्ज्वल देखता है। फलस्वरूप उनके माता-पिता की आशाओं एवं आकाँक्षाओं पर कुठाराघात होता है। शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहली और दूसरी श्रेणी के विद्यार्थियों को फेल न किया जाय जिससे प्रदेश में साक्षरता बढ़े। मैं कहना चाहूंगा कि 30 साल बाद भी यदि प्रदेश तथा देश की शिक्षा प्रगति यही है तो यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। मैं विशेष रूप से अपने जनपद देहरादून के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज स्थिति यह है कि यदि विद्यार्थी है तो भवन नहीं हैं। यदि विद्यार्थी और भवन हैं तो साज-सज्जा का कोई सामान नहीं है। यदि यह भी है तो कहीं-कहीं व्यवस्था न होने से अध्यापक नदारत हैं। मैं शिक्षा मन्त्री जी का आभारी हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए हैं। मैं जनपद देहरादून और पर्वतीय अंचल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जहाँ आज भी 15-20 मील की दूरी तय करके छात्रों को हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। जहां तक डिग्री कालेजेज तक की शिक्षा का प्रश्न है, 80 और 100 मील तक की दूरी शिक्षा प्राप्त करने हेतु तय करनी पड़ती है।

मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचलों मे इसकी व्यवस्था करें। कहने को तो देहरादून और मंसूरी में इंग्लिश पैटर्न पर शिक्षा देने वाले बड़े-बड़े स्कूल हैं लेकिन ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की दशा बड़ी शोचनीय है। मैंने एक महीने पहले तार देकर शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया था कि भवनों की दशा बड़ी जीर्ण-शीर्ण है और कभी भी वे गिर सकते हैं। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि उनकी रिपेयर के लिए भी रुपये की व्यवस्था की जाय। आज युवक दिशाहीन होकर इधर-उधर भटकता है तो इसके लिए मैं शिक्षा नीति को ही दोषी मानता हूं। आज प्रदेश

में दोहरी शिक्षा नीति चल रही है। जो कर्णधार हैं और बड़े लोग हैं अथवा साधन सम्पन्न हैं वे तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजते हैं इसीलिए शिक्षा का इन्तजाम ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि इस दोहरी नीति को समाप्त कर एक जैसी शिक्षा पद्धति लागू करने की कोशिश करें। जिससे कि गरीब और साधनहीन लोगों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके।

जहाँ तक भवन निर्माण का विषय है इस सम्बन्ध में यह निवेदन है कि हमारे देहरादून जनपद में भवन अनुसन्धान संस्थान रुड़की के माध्यम से भवनों का निर्माण कराया गया लेकिन वह इतनी बुरी हालत में है कि बरसात के महीने में उनके अन्दर बच्चों व अध्यापकों को बैठते हुए डर लगता है क्योंकि जितना पानी ऊपर बरसता है उतना ही उनके अन्दर बरसता है। इस तरह के संस्थान को भवन निर्माण के सम्बन्ध में अनुसन्धान के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

एक अन्तिम बात समायोजन से सम्बन्धित कहनी है। 1 और 40 के समायोजन की जो नीति है उसके स्थान पर हमारे पर्वतीय अंचल में 1 और 25 की समायोजन नीति रखें जिससे कि विद्यार्थियों को सभी विषयों की शिक्षा सुलभ हो सके।

एक बात मैं अपने क्षेत्र की और कहना चाहता हूं। मेरी कॉस्टीटुएन्सी में एक मंसूरी म्युनिसिपल डिग्री कालेज है। वहाँ दो महीने से अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पाया है। प्रदेश के और स्थानों पर आपने कोषागार वेतन भुगतान प्रणाली की व्यवस्था की है वही व्यवस्था मंसूरी म्युनिसिपल डिग्री कालेज में भी लागू करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा के बजट का समर्थन करता हूं।

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 45 मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय 45 मिनट बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 28—शिक्षा तथा अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम—शिक्षा (क्रमागत)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पहले अध्यापक सदस्यों को हमें प्राथमिकता देनी है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, मुझे केवल एक-दो सुझाव देने हैं। बाद में दे दूंगा।

ठाकुर मूलचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, इस प्रदेश में 30 वर्ष तक कांग्रेस की हुकूमत रही। जिसमें शिक्षा के प्रसार के साथ शिक्षा का स्तर गिरा तथा देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुई।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। इस वक्त कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

ठाकुर मूलचन्द—

मान्यवर, विद्यालयों, अध्यापकों और छात्रों की वृद्धि के यदि आँकड़े देखें तो पता चलता है कि—

वर्ष		विद्यालयों की संख्या	अध्यापकों की संख्या	छात्रों की संख्या
				(लाख में)
1946–47	..	20,048	42,319	18.72
1951–52	..	32,491	80,633	24.57
1960–61	..	40,083	99,054	32.25
1973–74	..	63,695	2 40,748	74.57
1976–77	..	67,662	2,43,408	76.50

इन आँकड़ों को देखते हुए, मान्यवर, छात्रों की संख्या बढ़ी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शिक्षा का प्रसार तो हुआ लेकिन शिक्षा की जो क्वालिटी थी वह गिरती चली गयी। शिक्षा की तरफ जो अधिकारी वर्ग था, उसने सुचारु रूप से ध्यान नहीं दिया। मैं सबसे पहले विद्यालयों के भवनों की बात रखना चाहता हूं।

मान्यवर, आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के अन्दर जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें से 70 प्रतिशत ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग गिरी हुयी है। यदि गिरी नहीं हैं, तो वे ऐसी हालत में हैं कि वहां पर बैठकर शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं बेसिक शिक्षा के अन्दर यह कहना चाहता हूं कि यदि प्राइमरी स्कूल के विद्यालयों के भवनों की व्यवस्था ठीक नहीं करायी गयी, तो शिक्षा का जो प्रसार किया जा रहा है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में पैसा पहले जिला परिषदों से मांगा जाता था, लेकिन अब बेसिक शिक्षा होने की वजह से जिला परिषद् अलग हो गए हैं। बेसिक शिक्षा उनसे अलग हो जाने के कारण जिला परिषद् धन नहीं देता। इसलिए शिक्षा मन्त्री जी से आग्रह है कि इसके लिए अलग से अनुदान दें विशेषकर यदि नए भवन नहीं बनाए जाते हैं, तो कम से कम उनकी मरम्मत होनी जरूरी है वरना शिक्षा का महत्व नहीं रह जाएगा।

दूसरी बात, मान्यवर, साज-सज्जा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अगर प्राइमरी स्कूलों में देखा जाय, तो मिलेगा कि वहां बच्चे टाट-पट्टी घर से लाते हैं अपने बैठने के लिए। स्कूलों में फर्श तक नहीं है। इस प्रकार से बच्चों की शिक्षा सुचारु-रूप से कतई नहीं चल सकती। इसके अलावा अध्यापकों के लिए जो साज-सज्जा है, उसमें हालत यह है कि अध्यापकों को प्राइमरी स्कूलों में चारपाई घर से मंगानी पड़ती है जिस पर बैठकर वे शिक्षा देते हैं। स्पष्ट है, इन हालात में शिक्षक किस प्रकार समुचित शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं।

इसके अलावा, मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज विद्यालयों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे ज्ञात हुआ है कि सेन्टर की तरफ से एक स्वास्थ्य विभाग की स्कीम चलाई जा रही है। जिसके अनुसार प्रत्येक गांव के अन्दर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक आदमी रखा जाएगा जो वहां की स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों को देखेगा और छोटे-मोटे इलाज भी करेगा। तो उस सम्बन्ध में मान्यवर, शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि उसका कनेक्शन प्राइमरी स्कूलों से भी किया जाय। यदि उसमें उसका कनेक्शन हो जाएगा तो बच्चों की सफाई और स्वास्थ्य आदि के बारे में समुचित ध्यान दिया जा सकेगा और उसका एक या दो दिन विद्यालयों के लिए लिया जा सकेगा। इसके अलावा जब यह व्यवस्था हो जाएगी तो मैं देख रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर भी ऐसे बहुत से बच्चे रह जाते हैं जिनको शिक्षा नहीं दी जा रही है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा अनिवार्य की जाय और अनिवार्य करके सारे प्रदेश के अन्दर इसकी व्यवस्था ठीक की जाय।

इसके अलावा बच्चों के ऊपर शिक्षा का एक भारी बोझ पड़ा हुआ है। बच्चों के लिए प्राइमरी में इतने सब्जेक्ट्स कर दिए गए हैं कि उनकी स्टेडी अच्छी प्रकार से नहीं हो सकती है और वे चक्र व्यूह में फंस जाते हैं। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि केवल तीन सब्जेक्ट्स प्राइमरी स्टेडी में रखे जायें। गणित, लैंग्वेज और सोशल स्टेडीज इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें वहां से एबोलिस किए जायं ताकि शिक्षा सुचारु रूप से चल सके।

एक व्यवस्था चल रही है चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर हाई स्कूल हो। उन स्कूलों में अगली क्लास (अनधिकृत कक्षा) के बच्चे वहां पर रखे जाते हैं जैसे प्राइमरी स्कूल है वहां पर 6-7 व 8 कक्षा के बच्चे अध्यापक रख लेते हैं और उनको ट्यूशन देते हैं। इस वक्त ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जहां पर प्राइमरी कक्षायें चल रही हैं लेकिन वहां पर 6-7 व 8 कक्षा के बच्चे भी पढ़ाए जाते हैं। मैं एक उदाहरण केवल आप को देना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर में ब्लाक बुढ़ाने के ग्राम परोसोली में एक और नया प्राइमरी स्कूल खुला है और वहां पर कक्षा छः सात और आठ तक के बच्चे जाते हैं। आप देखेंगे कि अध्यापक जो प्रइमरी स्कूल को पढ़ाता है और 6-7 या आठ के बच्चों को रखकर ट्यूशन पढ़ाता है तो वहां शिक्षा कैसे चल सकती है। इसके अलावा मैं यह देख रहा हूं कि वहां पर परीक्षा की जो हालत है, वह

[ठाकुर मूलचन्द]

बहुत खराब है। ज्यादातर एस0 डी0 आई0 और डी0 आई0 के माध्यम से परीक्षा रखी जाती है लेकिन होता क्या है कि एस0 डी0 आई0 स्कूल के अन्दर पहुंच जाता है और अध्यापक परीक्षा लेतें हैं। वहां पर एक कोटा तय हो जाता है जिस को कहते हैं कि दस रूपए प्रति छात्र या पन्द्रह रुपए प्रति छात्र ए0 डी0 आई0 या हेड मास्टर लेगा और वे बच्चे पास हो जायेंगे।

इस तरह से सारे बच्चे पास कर दिये जाते हैं। वहां पर परीक्षा की व्यवस्था कोई नहीं रहती है। इसलिए मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि जिला स्तर पर एक बोर्ड कायम किया जाय तथा पांचवीं कक्षा से लेकर आठवीं तक सारे जिले की एक स्तर से परीक्षा ली जाय ताकि यूनिफोर्मिलिटी (समानता) आए और जो अनियमितता, भ्रष्टाचार विद्यालयों में फैल रहा है वह रुक जाए।

अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं शिक्षा मन्त्री से यह भी कहना चाहूंगा कि जो अधिकारी वर्ग है वह सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहा है। जो निरीक्षक है वह बच्चों का निरीक्षण केवल अपने ब्लाक स्तर पर करते हैं। विद्यालय में निरीक्षक नहीं जाते हैं। वहां पर रिपोर्ट बनाई जाती है और फील्ड में जा कर कोई बात नहीं देखी जाती है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तबादले जो तमाम साल पैसे ले कर किए जाते हैं वे बन्द किए जायं। यदि अध्यापकों का तबादला केवल जून में कर दिया जाय तो शिक्षा सुचारू रूप से चल सकती है। तमाम साल तो तबादले चलते हैं उससे सारी बात शिक्षा की खत्म हो जाती है और अध्यापक केवल इस बात में रहता है कि उसे कब अपना बोरिया बिस्तर एक स्कूल से दूसरे स्कूल के लिए उठाना पड़े।

इसके अलावा मैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में एक बात कह देना चाहता हूं विद्यालयों में इतने झगड़े चल रहे हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक श्री चन्दन लाल नेशनल इन्टर कालेज, कान्धला है जहां झगड़ा कई साल से चल रहा है और डाइरेक्टर महोदय कहते हैं कि मैं देख रहा हूं। कांग्रेस के शासन में वह कहा करते थे कि शासन से दबाया जा रहा है अत: इन्तजाम नहीं कर पा रहा हूं लेकिन आज जनता सरकार में भी उसका इन्तजाम नहीं हो रहा है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इसमें व्यवस्था नहीं की गयी और अध्यापकों को दबाया गया तो बड़ी अव्यवस्था वहां फैल जायगी। इसलिए शिक्षा मन्त्री से मेरा कहना है कि इसमें ऐडमिनिस्ट्रटर कायम किया जाए क्योंकि मैनेजमेंट बिलकुल इल्लीगल है और एजूकेशन कोड की जितनी धारायें हैं उनके विरुद्ध वहां काम हो रहा है। इस ओर सरकार ध्यान दे कर उस विद्यालय की प्राब्लम्स को सोल्व किया जाए।

एक समस्या जो माध्यमिक विद्यालयों में है वहां पर अध्यापकों का समायोजन नहीं हो रहा है और इस समय जो डायरेक्टर साहब ने एक योजना निकाली है कि एक-एक सेक्शन में 70, 80 लड़के भर दिए जाते हैं जो उसकी क्षमता के बाहर है, वह किसी प्रकार से व्यावहारिक नहीं है। फिर अगर विद्यालय का कोई लेक्चरर चला गया तो उसकी

व्यवस्था नहीं की जाती है। मेरा सुझाव है कि क्वालिटी के हिसाब से स्टूडेन्ट्स को कक्षाओं में रखा जाय न कि क्वांटिटी के हिसाब से और अगर अध्यापक न हो तो उसकी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा एक प्वाइन्ट और है। अभी शिक्षा मन्त्री ने ऐलान किया था कि विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में इन्स्पेक्टर्स की रिपोर्ट पर पुन: विचार किया जायगा और 19, 20 तारीख को इलाहाबाद में मान्यता समिति की एक मीटिंग भी हुई लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि जिनकी रिपोर्ट्स मंगाई गयी और जिनकी रिपोर्ट ठीक है उनको तुरन्त मान्यता प्रदान की जाए। इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा बजट का अनुमोदन करता हूं।

श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कुछ बातों की ओर उनका विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहाँ तक बुनियादी शिक्षा का प्रश्न है माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि बहुत कुछ ध्यान प्राइमरी एजूकेशन पर दिया जायगा। आज कल हमारे प्राइमरी स्कूलों में जो पुस्तकें चल रही हैं उनमें अधिकाँश में भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के चरित्र का भी वर्णन है और छात्रों में जो असन्तोष फैला हुआ है उसका एक मूल कारण है कि हमारे यहाँ नैतिक शिक्षा का अभाव है। मेरी यह माँग है कि प्राइमरी शिक्षा में जो पुस्तकें चल रही हैं उनमें अविलम्ब मारेल एजूकेशन का समावेश किया जाय और ऐसे लोगों की जीवनी को निकाल देना चाहिए जिनकी जीवनी पढ़ कर छात्र भ्रष्ट आचरण को अपनायें। अकबर इलाहाबादी ने लगभग 50 वर्ष पहले यह कहा था :

हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं,
कि पढ़ कर जिनको लड़के बाप को खपती समझते हैं।

इसलिए जब तक किताबों से ऐसी चीजें हटाई नहीं जायंगी तब तक छात्रों में असन्तोष का वातावरण दूर नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द और महात्मा गाँधी ऐसे महापुरुषों का चरित्र वर्णन होना चाहिए जिससे राष्ट्र की चरित्रहीनता दूर हो। अत: महात्मा गाँधी ने जो शिक्षा की नीव रखी थी उसे ध्यान में रखा जाय और अमल में लाया जाय। इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद् का जो गठन हुआ था उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं कि बेसिक शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया और स्त्री अध्यापकों का स्थानान्तरण 50, 60 मील दूर कर दिया गया। मैं बनारस का उदाहरण दूं। मेरे क्षेत्र घानापुर से एक अध्यापिका का स्थानान्तरण चम्बल घाटी जैसे बीहड़ डीथ ब्लाक के क्षेत्र में कर दिया गया जहाँ शाम के वक्त पुरुष का रहना दूभर है, महिला तो निवास ही क्या कर सकेगी? मैं शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे अध्यापक और अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण ऐसे स्थानों पर कर दिया गया है जहाँ पर जीना दूभर है। अत: ऐसे समायोजनों को रद्द कर देना चाहिए।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेज 5 पर और जो मन्त्री जी ने भाषण दिया था उसमें कहा गया कि हमारी सरकार कोठारी कमीशन की संस्तुतियों

[श्री कैलाश नाथ सिंह]

को लागू करेगी। हमे दुख है कि आज शिक्षा मन्त्री जी के भाषण में इस ओर कोई इशारा नहीं किया गया है। हमारे देश में अनेक कमीशन बैठे डा0 जाकिर हुसैन कमीशन बना, डा0 राधाकृष्णन कमीशन बना और मुदालियर कमीशन बना इसी तरह यह कोठारी कमीशन बना। जो सरकार कमीशन बैठाती है वही उसकी सिफारिशों को लागू करने में पीछे रह जाती है। किन कारणों से वह लागू नहीं होते यह नहीं जानता लेकिन लागू नहीं किए जाते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का जिक्र आया था। मैं निवदन करूंगा कि कोठारी कमीशन की संस्तुतियों को अविलम्ब लागू करने की व्यवस्था सरकार करे। मुख्य रूप से जो पोलिटिकल राइट्स शिक्षकों को दिए गए हैं उनको दूर करना चाहिए। जिस समय कोठारी कमीशन बना था उस समय देश और विदेश के शिक्षाविदों की भी सम्मतियों को उसमें प्रविष्ट किया गया था। जो वेतनमान कमीशन ने प्रस्तावित किये थे उनको डिग्री कालेज में लागू कर दिया गया लेकिन माध्यमिक शिक्षकों का उसमें ध्यान नहीं दिया गया।

इस सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षकों ने एक जुलूस निकाला था। और पूरे प्रदेश में तीस हजार शिक्षक जेल के सीखचों में बन्द हो गए थे। जिस जुलूस के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि इतना बड़ा जुलूस 1942 के बाद पहली बार निकला था और तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने भी कहा था कि इतना बड़ा प्रदर्शन 1942 के बाद कभी नहीं हुआ। शिक्षक माँग आन्दोलन पूर्णतया अहिंसात्मक था। मैं कहना चाहूंगा कि जब 80 प्रतिशत शुल्क शिक्षा विभाग के अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जमा कर दिया जाता है और केवल 20 प्रतिशत ही प्रबन्ध समिति खर्च करती है तथा अध्यापकों के वेतन चेक द्वारा दिया जाता है तो गैर सरकारी विद्यालयों को सरकार अपने हाथ में लेने में क्या कठिनाई है लेकिन हम माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने में पिछड़े जा रहे हैं। मैंने शिक्षा मन्त्री जी का भाषण सुना और जो उन्होंने बाहर भाषण दिए, अखबारों में भी देखने का मौका मिला उससे स्पष्ट है कि उनकी राय राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध है। श्रीमन् मैं निहायत अदब के साथ आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण अविलम्ब होना चाहिए। जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होता तब तक अध्यापकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मैं बनारस के डी0 ए0 बी0 कालेज का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें पी0 यू0 सी0 (प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स) भी चलता है अर्थात् 11वीं कक्षा जो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है पी0 यू0 सी0 या ऊपर पढ़ाने वालों का ग्रेड 700 से 1600 है और यू0 पी0 बोर्ड से सम्बद्ध इन्टर कालेज में 12वीं तक पढ़ाने वालों का ग्रेड 750 तक है। यानी इन्टर कालेज का लेक्चरर जहाँ ग्रेड खत्म करता है वहाँ से डिग्री वाले का शुरू होता है यह कितना बड़ा अन्तर है, मैं निवेदन करूंगा कि इस अव्यवस्था को दूर करना चाहिए।

अब मैं नई शिक्षा पद्धति के बारे में कहना चाहता हूं जो हमने 10+2+3 की शिक्षा पद्धति चलाई है। जिस शिक्षा पद्धति का मैकाले ने हमारे लिए आविष्कार किया था और कहा था कि हम हिन्दुस्तानियों को भाषा और वेशभूषा से अंग्रेज बनाना चाहते हैं उस मंसूबे पर महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने जो एक महान् अन्तर्दृष्टा थे गुरुकुल प्रणाली की स्थापना करके पानी फेर दिया। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जब महामना

मालवीय जी ने अंग्रेजी में भाषण किया था तो महात्मा गांधी जी ने कहा था भाई महामना पवित्र गंगा नदी के तट पर बैठकर टेम्स नदी का पानी पी रहे हो यह उचित नहीं है। स्वामी श्रद्धानन्द ने ऐसे समय में गुरूकुल कांगड़ी की स्थापना कर हिन्दी की श्री वृद्धि म महान योगदान दिया। हमारे शिक्षा विभाग द्वारा जो टेक्निकल शब्दों की हिन्दी वर्तनी बनाई गई है उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं एक शब्द 'एक्सलरेशन' है जिसका हिन्दी में अनुवाद 'वेगवृद्धि' होना चाहिए लेकिन उसके लिए 'त्वरण' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह जो 'त्वरण' शब्द दिया हुआ है इसे एक साधारण आदमी समझ नहीं सकता। मुसलमान और ईसाई लोग उसको बिलकुल नहीं समझ सकते हैं। इसलिए विज्ञान की पुस्तकों में सदैव प्रचलित और सरलीकृत शब्दों का उपयोग होना चाहिए। तमाम ऐसे शब्द पुस्तकों में दिए हुए हैं जो हिन्दी के हैं और सर्वसाधारण की समझ में आने वाले हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी का रेडियो एक्टिवता, इन्टरिम का अन्तरिम ऐसे शब्दों का प्रचार हमारे बीच में होना चाहिए।

अब मैं अपनी अन्तिम बात कह कर अपना स्थन ग्रहण करूंगा। वह बात यह है कि शिक्षा को श्रम से जोड़ना चाहिए। इसके बिना आपकी नई शिक्षा पद्धति का विकास नहीं हो पाएगा। इसके सम्बन्ध में जो कार्य-विवरण दिया हुआ है, वह 25-26 विषयों के बराबर है (कार्य अनुभव तथा आन्तरिक मूल्यांकन के साथ)। अभी एक सेमिनार सारनाथ में हुआ था। अध्यापकों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं हुआ था। इसलिए सरकार की ओर से इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि शिक्षकों के माध्यम से उनकी सम्मति लेकर टेन प्लस टू प्लस थ्री शिक्षा पद्धति को लागू किया जाए। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह अध्यापकों को गोष्ठियों के माध्यम से बुलाकर भी उनके सामने, उनके साथ इस पर विचार कर लें; तदुपरान्त इसे लागू करें तभी यह सफल हो सकेगा।

भारत सरकार ने एक स्कीम (विज्ञान शिक्षण की नई पद्धति) अमेरिकन गवर्नमेन्ट की मदद से चलाई थी—पी0 एस0 एस0 सी0 फिजिक्स, केमिस्ट्री, वायलोजी। उसके लिए 10 रुपया रोज़ तथा फर्स्ट क्लास का किराया देकर 40 दिन के लिए समर इंस्टीट्यूट में अध्यापकों को बुलाया गया था। किन्तु उसके बाद भारत सरकार ने विपरीत निर्णय ले लिया और 10 करोड़ रुपए की वह स्कीम खत्म हो गयी। इसके चलते जिसे लागू करने में बोर्ड आफ राइटर्स के लगभग 400 अध्यापकों का योग था, भारतीय परिवेश में अनुपयुक्त होने से वह स्कीम समाप्त हो गयी। इससे आप शिक्षा लें और किसी नई शिक्षा पद्धति को चलाने और लागू करने के पहले आप यह अवश्य देखें कि यह भारत की धरती में पनपने वाली है या नहीं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप है या नहीं? यदि नहीं है तो उसमें आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाकर ही उसे यहाँ लागू करना चाहिए। शिक्षा को समवर्ती सूची से हटाना नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

अब आप खत्म कीजिए, काफी समय ले चुके हैं।

श्री कैलाशनाथ सिंह--

अब मैं अपने क्षेत्र की कुछ बात कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र ऐसा है--इस पार वह है और उस पार मैं हूं...

श्री अध्यक्ष--

तब तो और आसान है, आप अपनी बात कर लीजिए। लेकिन अब आप बैठ जायें, इस तरह से नहीं। (व्यवधान)।

श्री कैलाश नाथ सिंह--

गंगा बीच से बहती है। मेरा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां 30 मील के इलाके में कोई डिग्री कालेज नहीं है। माननीय मन्त्री जी इस पर ध्यान दें। इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर विवाद समाप्त। मुझे सदन को एक सूचना देनी है।

श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला अधिकारी/ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ द्वारा दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को भेजे गए वायरलेस मैसेज, जो इस सचिवालय में दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुआ है, के अनुसार श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्य, विधान सभा मेरठ, श्रीमती इन्दिरा गांधी की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन करते हुए गैर कानूनी मजमे में शामिल होने के कारण दिनांक 4 अक्तूबर, 1977 को पूर्वाह्न 10.00 बजे इंडियन क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट तथा आई0 पी0 सी0 की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए।

1977-78 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 28--शिक्षा तथा अनुदान संख्या 90--ऋण और अग्रिम-शिक्षा (क्रमागत)

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृतज्ञ हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव इस शिक्षा व्यवस्था को चलाने के सम्बन्ध में दिए हैं और अपने सुझावों से हमारा मार्ग दर्शन किया है। मुझे यह भी विश्वास है कि इसमें सक्रिय सुधार में जो भी सम्भव सहयोग होगा, वह सहयोग हमको माननीय सदस्यों से मिलेगा। श्रीमन्, जितनी बातें कही गयीं, सारे मुद्दों का इस थोड़े से समय में उत्तर देना सम्भव तो नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि जो खास-खास बातें यहां आयीं हैं, उनका उत्तर दे सकूं। सबसे पहले माननीय श्री ग्रहम की कुछ शंकाओं के बारे में यहां प्रकट कर देना चाहता हूं। शुरू-शुरू में उन्होंने एक बात कही, मातृ भाषा, अंग्रेजी भाषा की। एक उदाहरण पर्याप्त होगा इसके लिए द्वितीय महायुद्ध में का। द्वितीय महायुद्ध में जब ब्रिटेन ने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया और उसका विनाश हो गया। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाय तो जापान कटे-पिटे टापुओं के बीच में देश है, जहां पर रोज ज्वालामुखी भूचाल आया करते हैं। वह देश भी जितनी जल्दी अपने परिश्रम और

स्वावलम्बन से इतनी जल्दी आगे बढ़ा कि दुनिया के तीसरे नम्बर का धनी देश है। उसने अपनी मातृ भाषा के माध्यम से अपने को बढ़ाया है। यह एक उदाहरण पर्याप्त होगा। वैसे बड़े उदाहरण हैं। किसी भी बालक की आन्तरिक क्षमता का विकास मातृ भाषा के माध्यम से ही किया जा सकता है। यह बिल्कुल निर्विवाद है। इसमें बहस में नहीं जाना चाहता।

दूसरी बात उन्होंने बतायी उर्दू शिक्षा के बारे में। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट कर दूं कि उर्दू शिक्षा को हर तरह का प्रोत्साहन देने की नीति इस शासन की है। लखनऊ आगरा, मेरठ में मवाना, और वाराणसी में सकलडीहा, ये चार इकाइयां हैं जहां पर उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधा दी गयी है। दूसरे कक्षा आठ तक जो राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हैं वह उर्दू में सब लिखवा दी गयी हैं। और वह छप गयी हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। तीसरी चीज मकतबों का अनुदान दुगना कर दिया गया है और शासकीय डिग्री कालेजों में जहां उर्दू शिक्षा की व्यवस्था है, उर्दू विषय को प्रथम वर्ष से अनुदान सूची पर लाया जाता है। राजकीय संस्थाओं में अगर एक भी छात्र उर्दू पढ़ना चाहे तो वहां उर्दू अध्यापक उपलब्ध करा दिया जाता है। इस तरह से उर्दू शिक्षा की हर तरह से व्यवस्था है। जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें दस लड़के अगर मिल जांय, तो उनको मान्यता प्रदान की जाती है। मुझे स्मरण है कि माननीय सदस्यों ने जब कहीं भी यह बात उठायी, उनकी समस्याओं का समाधान भी हो गया।

तीसरी बात उन्होंने कही छात्र संघों के बारे में। उन्होंने कहा कि माननीय चरण सिंह ने इसे बन्द कर दिया था। वह इसके बन्द करने के पक्ष में नहीं थे। बल्कि उनका सुझाव था कि छात्र संघ स्वेच्छिक हो, अनिवार्य न हो। वह बिल्कुल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। वह इस पक्ष में थे कि जो छात्र जिस संघ में रहना चाहे रहे। उनके लिए अनिवार्य न किया जाय। इन छात्र संघों का छात्रों के जीवन के विकास में बड़ा महत्व है। यह जरूर है कि इसमें कुछ दोष भी आ गए हैं। जैसे कभी-कभी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। इन दोषों को ध्यान में रख कर उनको समाप्त कर दें, यह उचित नहीं होता। बल्कि प्रयास करना चाहिए कि जहां दोष हो इन दोषों को किस तरह से दूर कर सकते हैं। उन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रख कर आपातकालीन स्थिति में सारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र संघों को बिल्कुल बन्द कर दिया गया था। इस समय जो पहले स्थिति थी उसी स्थिति के लिए आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं।

एक बात यह कही जाती है कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेजों में भी जिस तरह के डिग्री कालेज और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ हैं उसी तरह के खोले जायें। डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालय के छात्र प्रौढ़ हो जाते हैं, लेकिन हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के लड़के इतनी सूझबूझ के नहीं होते हैं। इसलिए इनको स्थापित करना उचित नहीं होगा। यहां पर छात्रों के विकास के लिए यह प्राविधान किया गया है कि वहां पर साहित्य परिषद् और सांस्कृतिक परिषदों की स्थापना की जाए, इससे उनके चरित्र का निर्माण

[श्री काली चरण]

होगा। छोटे लड़कों के छात्र संघ इनके लिए उपयुक्त नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो खास-खास बातें कही गयी हैं उनमें एक यह है कि स्कूलों में प्रबन्ध समितियों को समाप्त कर दिया जाए और शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही जब सरकार अध्यापकों को वेतन देती है तो उसको राष्ट्रीकरण में क्या दिक्कत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं को चलाने के लिए केवल वेतन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि जितने आवश्यक उपकरण हैं, भवन हैं, और सारी चीजे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ता है।

मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न विचाराधीन है, लेकिन तत्काल लागू करने की स्थिति में सरकार नहीं है। इसलिए यह कठिनाई है सरकार के सामने जिसे हम तत्काल लागू नहीं कर सकते हैं। प्रबन्ध समितियों के बारे में कहा गया कि ये अध्यापकों का शोषण करती हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के नियम बना रखे हैं और अगर कोई समिति उनके अनुसार कार्य नहीं करती है तो उसे ऐक्ट की धारा 16(डी) के अन्तर्गत सरकार अपने हाथ में लेती है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा समितियों की शिकायत आने पर तत्काल सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए इस सम्बन्ध में मान्यवर हमारी कठिनाई है। पहले हमें उसे नोटिस देना होता है और फिर उनको जवाब देने का अवसर भी दिया जाता है। अगर वह अपनी अनियमितताओं को दूर कर लेती है तो उनको भंग नहीं किया जाता है। अगर वह दूर नहीं करती है तो सरकार वहां पर कन्ट्रोलर नियुक्त कर देती है।

एक बात माननीय सदस्यों ने शारीरिक शिक्षा के बारे में कही। मैं कहना भूल गया था। सरकार यह मानती है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर पाने के लिए केवल पौष्टिक भोजन की ही आवश्यकता नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार के खेलकूदों और व्यायाम की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक स्काउट्स और गाइडस की शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी है। पुराने ढंग के, भारतीय ढंग के जो व्यायाम हैं और योगासन हैं, अब चिकित्सा विज्ञान भी यह मानने लगे हैं कि हम बहुत बड़े-बड़े रोगों का चिकित्सीय दवाइयों के माध्यम से जिनका निदान नहीं कर सकते हैं, उनकी भी चिकित्सा योगासनों के माध्यम से की जा सकती है। प्राचीन भारतीय ढंग से जिसमें पैसा भी खर्च नहीं होता है, यह विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है। लड़कों को माध्यमिक स्तर पर, डिग्री स्तर पर विभिन्न प्रकार की खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। युवक समारोहों का आयोजन जिला स्तर पर, मन्डलीय स्तर पर तथा प्रदेशीय स्तर पर किया जाता है। प्रदेश के लड़के बाहर भी जाते हैं।

इस सिलसिले में मैं एक निवेदन कर दूं कि इस वर्ष दिसम्बर, माह में आगरा में एशियन फुटबाल टूर्नामेंट प्रारम्भ होने जा रहा है जिसमें विभिन्न देशों की दस टीमें भाग लेंगी। पिछले वर्ष यह प्रतियोगिता सिंगापुर में हुई थी। इस प्रकार आगरा में होने वाली इस प्रतियोगिता की जिम्मेदारी प्रदेश के शिक्षा विभाग की है। उसको पूरी

तरह से निर्वाह करने से प्रदेश के बच्चों को इन समारोहों से एक प्रेरणा मिलेगी। अपने देश की भी टीम खेलेगी और विदेशी टीमें भी खेलेंगी। उनके खेल को देख कर प्रेरित हो उसमें स्फूर्ति का संचार होगा। इस तरह से शारीरिक शिक्षा की दिशा में यह व्यवस्था की गई है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों का अभाव है। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं है। मैं आप से निवेदन कर दूं कि एक परीक्षा होती है एकीकृत परीक्षा छात्रवृत्ति। यह ब्लाक स्तर पर होती है जिसमें प्रत्येक ब्लाक में से दो बालक चुने जाते हैं जो गाँवों के ही होते हैं और इससे ग्रामीण बालकों इस समय 875 ब्लाक हैं और इस तरह से 875×2 बालकों को चुना जाता है। इन चुने हुए बालकों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। उनमें उन्हें रखा जाता है। उनकी ट्यूटोरियल क्लासेज लगती हैं। उनके खाने पीने की व्यवस्था में सरकार मदद देती है इस तरह से उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाती है जिससे वह अपनी प्रतिभा को विकसित कर सकें। अब तक यह प्रतियोगिता नवम् एवं दशम् स्तर पर ही होती थी। परन्तु इसे अब ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा में भी प्रारम्भ करने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इस तरह के गाँवों के बच्चों के लिए अच्छे-अच्छे विद्यालय खोलकर, पैसा खर्च करके उन्हें चला रही है।

निर्बल वर्गों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा भी विद्यालय चलाए जाते हैं, जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लड़के रहते हैं, वहाँ उनके पढ़ने की व्यवस्था की गई है उन्हें पाठ्य पुस्तकों की सहायता दी जाती है तथा छात्रवृत्ति भी दी जाती है तो इस तरह से उनकी पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जो भी विद्यालय खुले हैं या खोले जायेंगे उनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे। हमने पहले ही बता दिया कि 20 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया गया है, उन गाँवों में जहाँ निर्बल वर्ग के लोग निवास करते हैं। इस प्रकार से सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम गांवों के विकास पर विशेष ध्यान देंगे। गांवों के अन्य विकासों के साथ साथ शिक्षा के विकास के लिए सरकार विशेष ध्यान देना चाहती है।

जहाँ तक यह बताया गया कि बहुत सी अनियमिततायें हैं किसी विद्यालय, महाविद्यालय या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो भी अनियमितताओं की शिकायत मेरे पास आई है मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि उसमें बिना किसी विलम्ब के हमने विभाग को लिखा और विभाग इस सम्बन्ध में तुरन्त जांच पड़ताल प्रारम्भ कर दी और जांच करने के बाद उनसे आख्या लेने के बाद ही कोई कार्यवाही हो सकती है। इस सिलसिले में कुछ विश्वविद्यालयों की बात आई। माननीय भगवती सिंह जी ने अवध विश्वविद्यालय के कुलपति के सम्बन्ध में कहा। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कुलपति ही नहीं वरन् कुल सचिव के विरुद्ध भी शासन के सम्मुख शिकायतें आयी हैं और शिक्षा विभाग के विशेष सचिव, श्री मुकर्जी, को आदेश दिए गए हैं कि वे विश्वविद्यालय के सारे सम्बन्धित कागजों को सील करके अपने पास रखकर जाँच करें। उनकी जाँच पूरी

[श्री काली चरण]

हो गई है, रिपोर्ट आनी है, जो भी कुलपति रजिस्ट्रार आदि लोगों की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन सबकी जाँच हुई है।

पालीवाल जी ने आगरा के कुलपति के बारे में कहा है। इस मामले में श्री एम0 सी0 चन्द्र शर्मा को जाँच का कार्य दिया गया था और वहाँ के कुलपति को निलम्बित भी कर दिया गया था लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर ले लिया है।

बुन्देलखंड के कुलपति के बारें में कमिश्नर झांसी को नियुक्त किया गया था। उनकी जांच चल रही है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो सम्भव होगा वह सब कुछ करेगी। यह सही है कि कुलपतियों की नियुक्तियाँ राजनीतिक कारणों से हुई है। लेकिन जो सचिवों की नियुक्तियाँ हुई हैं वे सरकार के हाथ मे हैं। उनके खिलाफ जो भी शिकायतें आयेंगी उन पर अवश्य कार्यवाही होगी। शिक्षा विभाग में किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव की बात नहीं जमती। सरकार के हाथ में कोई ऐसी चीज नहीं है कि शिकायत आने पर हम उन्हें तुरन्त हटा दें लेकिन अगर माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो दोषी होने पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के विरुद्ध भी कायवाही होगी। चाहे कानूनों में हमें किसी प्रकार के संशोधन करने पड़े। विश्वविद्यालयों को अच्छी तरह से चलाने के लिए और अच्छे कुलपतियों को नियुक्त करने के लिए सरकार तनिक भी नहीं हिचकेगी।

एक बात यहाँ पर समायोजन की भी उठायी गयी। माध्यमिक हायर सेकेन्डरी स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में भी यह सही है कि चूंकि पिछली सरकार ने नियुक्तियाँ बन्द कर दी थी जो अध्यापक रिटायर हो जाते थे या किसी कारण किसी का असामयिक निधन हो जाता था, और कहीं-कहीं पर तो किसी-किसी विद्यालय में कोई अध्यापक ही नहीं रहा और नये अध्यापक की नियुक्ति उनको चलाने के लिए नहीं हुई। यह जो समायोजना चालू की गई थी, इसका उद्देश्य अच्छा था लेकिन यह जरूर है कि अधिकारियों के विवेक से काम न लेने पर कुछ गड़बड़ियां भी आई होंगी। हमने तो 2 सितम्बर, 1977 को यह आदेश निर्गत कर दिए हैं कि समायोजना बिल्कुल बन्द कर दी जाय और जब से यह घोषणा हो गई है कि हम 10 हजार 900 बी0 टी0 सी0 को नियुक्त करने जा रहे हैं तो इस समस्या का निदान हो जायगा। अगर कुछ लोगों की नियुक्तियाँ दूर हो गई हैं उनके बारे में समायोजना से प्रभावित होने के कारण जो अध्यापक या अध्यापिकायें घर से दूर हो गई हैं उनको उचित स्थान पर रख दिया जाय और नयी नियुक्तियों वाले दूर वाले स्थान पर रख दिए जायं। तो इस प्रकार से समस्या का समाधान निकल आएगा। अगर कहीं किसी माननीय सदस्य को खास दिक्कत हो तो वह दे देंगे मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि उनकी कठिनाइयों का निवारण यह शासन करेगा।

माध्यमिक स्तर पर समायोजन। विधान परिषद् में यह बात आयी थी। पिछली सरकार ने कुछ मानक निर्धारित किए थे उनके आधार पर हायर सेकेन्डरी और इन्टरमिडिएट कालेजों में समायोजन होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि जो विधान परिषद् में है उन्होंने कहा कि कई हजार अध्यापकों की छटनी होने

जा रही है, उन्हें बकारी का शिकार होना पड़ेगा, तो उनके इस अनुरोध को स्वीकार करके मैंने तत्काल यह आदेश दे दिया कि इस समायोजन को तुरन्त स्थगित कर दिया जाय जब तक अगला कोई निर्णय न हो जाय, कोई अध्यापक सड़क पर न जाने पाए समायोजन के कारण। अब कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यह होना चाहिए। तो मैं किसी दिन जिनकी शिक्षा में रुचि है ऐसे माननीय सदस्यों से सम्पर्क करके निवदन करूंगा और जो भी सुझाव वह देंगे अगर व्यावहारिक होगा और किया जा सकता है शिक्षा के उन्नयन की दृष्टि से तो किया जायगा।

कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में फैजाबाद, कानपुर आदि कुछ विश्वविद्यालयों की बात कही गयी है। मैंने शुरू में बता दिया कि हमारे कुछ विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में जो कृषि की शिक्षा दी जाती है उसका सम्बन्ध हमारे विभाग से है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय चलते हैं उनके चलाने का पूरा-पूरा उत्तरदायित्व कृषि विभाग का है, उसका सारा रख-रखाव, देख-रेख, व्यवस्था कृषि विभाग के अन्तर्गत आती है। कृषि की शिक्षा और प्रशिक्षण यह शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है। माननीय सदस्य उस सम्बन्ध में माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करें, उनकी कठिनाइयों का निवारण वह कर सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

आपका भाषण पहले समाप्त हो जाने दीजिए, बीच में नहीं। स्थान ग्रहण करें। स्पष्टीकरण माँगना हो तो बाद को माँगें।

श्री कालीचरण—

श्रीमन्, एक और खास मुद्दा उठाया गया है पब्लिक स्कूल, फैंसी स्कूल, खर्चीले स्कूल का। उसके तरह-तरह के नाम हैं। यह जरूर है कि इस देश में 30 साल की आजादी के बाद भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पायी कि प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे को एक तरह की शिक्षा मिल सकें। लेकिन कुछ दिक्कतें और मजबूरियां हैं। सरकार जितने विद्यालय चलाती है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे को एक तरह की ही शिक्षा दी जाती है, लेकिन यह जो फैंसी पब्लिक स्कूल चलते हैं इन्हें मान्यता हम दें या न दें, सहायता देने का सवाल ही नहीं आता, उनका एक अखिल भारतीय बोर्ड है। उससे वे मान्यता लेते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं है कि हमारी सरकार से मान्यता लें। उनको मान्यता स्वयं सारे देश भर के लिए केन्द्रीय सरकार ने दे रखी है। हम चाहें भी अगर, किसी को अगर कोई अनुदान मिलता होगा तो हम कह सकते हैं कि अनुदान नहीं देंगे। बहुत से फैंसी स्कूल कहते हैं कि मान्यता मत दीजिए। हम पढ़ायेंगे, न आपसे पैसा लेते हैं न कुछ चाहते हैं। इस सम्बन्ध में शासन ने एक नियम बनाया है कि ऐसे स्कूल बच्चों से अधिक से अधिक 15 रुपया तक का शुल्क ले सकते हैं। वह इसलिए कि इन विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं को वे वही वेतन देंगे जो इस स्तर के हमारे यहां विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद् के द्वारा वेतन दिया जाता है। अगर कोई इसका पालन नहीं

[श्री काली चरण]

करता है तो फिर शासन ने जो मान्यता दी है, उसको वह वापस ले सकता है। इसलिए मान्यवर, हम मान्यता दें या न दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए मैं केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री को इस सम्बन्ध में लिखूंगा और यह सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि सारे देश में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था एक जैसी हो।

विभिन्न जिलों में विभिन्न सदस्यों ने अपनी विभिन्न कठिनाइयां कही हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं कि यह उन्हीं की कठिनाइयां नहीं हैं, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, सारे प्रदेश की शिक्षा जगत की कठिनाइयां हैं। सीमित धन में, सीमित दायरे में सीमित खर्च के अन्तर्गत रह कर यह सारी व्यवस्था करनी है, फिर भी इस सरकार ने प्रारम्भ से ही यह घोषणा कर रखी है कि इस शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने की दिशा में हमारा प्रयास होगा। बुन्देलखंड से आने वाले माननीय सदस्यों की भावना का मैं बहुत अधिक आदर करता हूं। जिस तरह की वह बीहड़ इलाका है वह पिछड़े पन के कारण ही सम्भव है। बुन्देलखंड ने बड़ी भयंकर भयंकर विभूतियों को उत्पन्न किया है। इस असन्तुलन को समाप्त करने की दृष्टि से उनके क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने की दृष्टि से शिक्षा में जो भी सम्भव हो सकेगा उससे उनकी सहायता की जाएगी।

श्रीमन्, एक बात जो मैं सबसे पहले कहना चाहता था, लेकिन भूल गया। माननीया सदस्या श्रीमती रामरति जी ने आपसे कहा था कि आप महिलाओं की ओर ध्यान नहीं देते, मैं भी भूल गया कि क्योंकि मैं भी चाहता था कि सबसे पहले उनकी बातों का उत्तर दे दूं। मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था सबसे कम है। समाज के विकास के लिए बालकों के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था उतनी ही अनिवार्य और आवश्यक है जितनी लड़कों के लिए। तो इस शिक्षा व्यवस्था में वृद्धि की ओर सरकार का विशेष ध्यान है।

जहां तक प्राइमरी स्तर की बात है, वैसे तो हमने यह निश्चय किया है कि बालकों और बालिकाओं---दोनों को साथ-साथ शिक्षा देंगे। अगर कोई अध्यापिका चाहेगी कि जहाँ पुरुष अध्यापक हैं, वहां कोई अध्यापिका काम कर सकें, तो उसकी नियुक्ति वहाँ कर दी जाएगी। यदि नहीं तो यदि सम्भव होगा तो किन्हीं किन्हीं विद्यालय में केवल अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन एक से पांचवीं कक्षा तक के स्तर तक लड़के और लड़कियों के साथ साथ हम कर रहे हैं क्योंकि तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं। कहीं स्कूल नहीं है, कहीं दूर स्कूल है, नजदीक न होने से कोई अध्यापिका नहीं जा सकती और अगर दूसरी अध्यापिका जाएंगी तो कितने समय तक जाएगी और कितने दिन स्कूल जाएगी, कितने दिन नहीं जाएगी, यह सारी दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं की मिश्रित पढ़ाई की व्यवस्था हो बनिस्बत इसके कि लड़की और लड़कों की पढ़ाई की अलग-अलग व्यवस्था हो। जहां तक जूनियर हाई स्कूल की कमी का प्रश्न है, उसकी पूर्ति के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह बातें बताई गई हैं कि कहीं कहीं डिग्री कालेज नहीं हैं, कहीं पर हाई स्कूल और इन्टर कालेज नहीं है, तो यह सब बातें सही हैं मैं पुन: निवेदन कर दूं कि सीमित साधनों के अन्तर्गत रहकर ही जो कुछ भी किया जा

सकता है, वह किया जाएगा। श्रीमन, मैं समझता हूं कि शिक्षा के सुधार में राजनीति में भाग लेने वाले लोगों का, अभिभावकों का, समाज सुधार में भाग लेने वाले लोगों का निरन्तर सहयोग मिलना चाहिए। शिकायत यह सबकी सही है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक विद्यालयों में कम जाते हैं। इसके मूल कारणों में जायें तो इसका निदान भी हो सकता है। शासन स्तर पर इसका कोई निदान नहीं है। इसके पीछे सामाजिक कारण हैं। इन कारणों का परिणाम यह है कि अब उनमें उत्तरदायित्व की भावनाओं में कुछ न्यूनतायें आयी हैं। यह सौभाग्य है कि शिक्षा में काम करने वाले बहुत से अध्यापक भी इस माननीय सदन के सदस्य हो कर आए हैं। वह अपनी क्षमता का, अपने स्थान और अपने पद का सदुपयोग करेंगे और इन अध्यापकों को प्रेरित करेंगे कि वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। शासन से भी जो कुछ सम्भव होगा हम राय कर लेंगे कि क्या कर सकते हैं। इस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। मेरी अपील है अध्यापकों से भी चाहे वह प्राथमिक स्तर पर काम करने वाले हों, चाहे माध्यमिक स्तर पर काम करने वाले हों, चाहे विश्वविद्यालय या डिग्री कालेजों में काम करने वाले हों कि प्रदेश और देश के हित में, आने वाली भावी सन्तानों के हित में उनकी यह राय में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपने कर्त्तव्य का भली भांति पालन करें। और अगर अध्यापक अपने कर्त्तव्य का पालन अच्छी तरह से कर सकें तो जो बार-बार यह कहा जाता है कि छात्र आक्रोश हैं, छात्रों में अनुशासनहीनता है यह कुछ सुनने को न मिले। इस सम्बन्ध में जो बहुत कुछ सुनने को मिलता है बात ऐसी है नहीं। केवल फर्क इतना ही है कि पुरानी सरकार ने दो साल तक सबकी जबानें बन्द कर दी थीं, नयी सरकार ने सबको अवसर दे दिया है। मैं आपको बताऊं, हमारे मन्त्रि-परिषद के जितने सदस्य हैं सब के दरवाजे खुले हुए हैं एक आम आदमी के लिए। अपनी कठिनाइयों को वह कह सकता है जो आज तक इसके पहले कभी सम्भव नहीं था। वह कह सकता है और उसके तत्काल बाद जो सम्भव कार्यवाही हो सकती है वह होती भी है।

तो जो बहुत दिनों से सताए हुए लोग थे, और जो बहुत दिनों से अपनी आकांक्षाओं को प्रकट नहीं कर सकते थे उनकी आकांक्षायें जगी हैं कि जनता पार्टी हमारी कठिनाइयों को हल करेगी। इसीलिए माननीय सदस्य, श्री भगवती प्रसाद सिंह ने बताया कि आपके कार्यालय में बड़ी भीड़ रहती है। यह समस्याओं वाला विभाग है। सब के सामने समस्या है। लोग आकांक्षा ले कर आते हैं कि हम चलेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिये भीड़ होना स्वाभाविक है। इससे हम इन्कार नहीं कर सकते और न उस भीड़ को हम नकार ही सकते हैं। सामान्य लोग जो कभी कहीं पहुंच नहीं सकते थे वे आज हमारे मुख्य मन्त्री के यहां जब चाहते हैं पहुंच जाते हैं, उनकी बातें सनी भी जाती हैं। तो जन साधारण की समस्यायें नयी नहीं हैं। उनके जीवन के बारे में जो प्रश्न चिन्ह है वह आज नहीं लगा है वह लगातार पिछले 30 सालों से जो शासन चला आ रहा था उसने लगा दिया है। आज उनको यह अवसर मिला है कि आज हम अपने उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ़ निकालें। थोड़ी बहुत कलह भी स्वाभाविक है। अगर इसको हम अनुशासनहीनता में ले लेंगे तो उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। उनकी दिक्कतों को हमको सनना होगा और उन पर विचार करना होगा और जो कर सकते हैं उसको करना होगा।

[श्री काली चरण]

श्रीमन्, एक बात कही गयी थी सरस्वती शिशु मन्दिरों के बारे में। बड़ा अन्याय किया था पिछली सरकार ने। ईमानदारी और निष्ठा से बच्चों को देखने का ये अध्यापक कार्य करते हैं। उस सारी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। शासन वैधानिक ढंग से जिसे अनुदान देता है, उसकी सारी जिम्मेदारी शासन की है। चूंकि इन संस्थाओं को हम अनुदान नहीं देते, इसलिए हमारी वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी पीड़ित किए गए अध्यापक हैं, उनकी जो भी सहायता सरकार कर सकती है करे। यह पत्र मेरे पास आ चुका है, इस पर विभाग विचार कर रहा है और नैतिकता की दृष्टि से मैं भी इस जिम्मेदारी से इन्कार नहीं कर सकता हूं। मैं श्री राजेन्द्र कुमार जी को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी सम्भव होगा, उस अन्याय का प्रतिकार तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन आंसू पोछने के लिये जो भी व्यवस्था हो सकती है, इनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। श्रीमन् इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के प्रति पुनः अपना आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करते हुए इस आशा के साथ बैठ रहा हूं कि हमारे इस दुरूह कार्य में वह सदैव हमारा सहयोग करते रहेंगे और जो मांग, यह बजट हमने प्रस्तुत किया है, इसको सर्व सम्मति से पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

सदन का समय 15 मिनट और बढ़ाया जाता है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय, कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जो कृषि कालेज हैं, वे अन्य विश्वविद्यालय में आते हैं और इस प्रकार से शिक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत आते हैं। यह दोहरी नीति है। कृषि विश्वविद्यालय के बारे में समिति बैठी थी, जिसके बारे में यह कहा गया था कि इसको अलग रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष--

यह पालीवाल जी, आप अपना भाषण दे चुके हैं। माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया। यह स्पष्टीरण नहीं है। आप दूसरा भाषण कर रहे हैं।

डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह देखते हुए कि शहरी अंचलों में और ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार में कुछ विभेद रहा है या ग्रामीण अंचलों को मान्यता नहीं दी जायगी? क्या ऐसी कोई नीति महिला विद्यालयों को मान्यता देने के सम्बन्ध में बनी है?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, मान्यता बिलकुल न दी जायगी, ऐसी कोई नीति नहीं है। मान्यतायें दी जायेंगी, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जैसे असेवित क्षेत्र हैं, जहां पर पढ़ने की सुविधायें न होंगी, ऐसे क्षेत्रों में सरकार मान्यता देने के लिए विचार करेगी।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि आपने कहा कि कुछ विश्वविद्यालय जातियों के विरुद्ध पत्र आए हैं, क्या मेरठ विश्वविद्यालय के बारे में 25 विधायकों अक्षर सहित कोई प्रतिवेदन आया और उस पर कोई कार्यवाही की ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। मैं इसको देख लूंगा।

सदस्य—

मान्यवर, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,03,54,9 6,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1978 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम—शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,33,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में मुझको 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन किसी को मैंने ग्राह्य नहीं समझा है।

आगरा जनपद के टीकम चन्द फर्म पर छापा मारकर दस लाख रुपए का अवैध रेपसीड जब्त किए जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

आगरा जनपद के टीकम चन्द फर्म पर छापा मारकर 10 लाख रुपये का अवैध रेपसीड आयल जब्त किए जाने के विषय में जो प्रश्न था, तो प्रश्नकर्ता माननीय शम्भू नाथ चौधरी के अनुरोध पर इसको स्थगित कर दिया गया है।

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति तथा कुलसचिव के बीच चल रही गुटबन्दी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कुलपति तथा कुलसचिव में चल रही गुटबन्दी से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा जो नियम 52 में प्रश्न उठाया गया था, तो उसको मैंने स्वीकार किया था। माननीय शिक्षा मन्त्री जी के अनुरोध पर, चूंकि वह आज शिक्षा पर अत्यन्त व्यस्त रहे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा है इसलिए मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार करके इसको स्थगित किया है। यह फिर, 18 अक्तूबर को यह प्रश्न लिया जायगा।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
4 अक्तूबर, 1977

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

मत्थी 'क'

(देखिए ताराँकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1158 पर।)

तालिका

राज्य योजना आयोग के आय-व्ययक से राज्य योजना आयोग/नियोजन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों को कन्टेन्जेन्सी एवं मानदेय के रूप में दी गयी धनराशि

वर्ष	मद	धनराशि (रुपयों में)	कारण
1974–75	कन्टेंजेंसी	205.00	अवकाश के दिनों में शासकीय कार्य हेतु कार्यालय आने पर, कार्यालय के दिनों में दूरस्थ कार्यालयों में शासकीय कार्यवश जाने पर अथवा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर शासकीय दौरे पर वाहन एवं कुली आदि पर व्यय की जाने वाली धनराशि।
1975–76	..	683.00	
1976–77	..	1,011.00	
1-4-77 से 31-7-77 तक	..	588.00	
		मानदेय	
1974–75	..	2,525.00	वार्षिक योजना एवं पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य राज्य योजना आयोग के सम्बन्धित कार्यों को नित्य प्रति ही घोर परिश्रम से राउन्ड दि क्लाक कार्य कर अवकाश के दिनों में भी कार्यरत रह कर और लम्बी अवधि तक रात-रात भर राजकीय प्रेस में विशिष्ट सेवाएं सम्पादित करने के फलस्वरूप। इसमें वर्ष 1975–76 एवं 1976–77 की धनराशि में डाक्टर कामता प्रसाद अर्थशास्त्री को दी गयी क्रमशः 3,690.00 एवं 1,925.00 रुपए की धनराशि तथा माननीय भूतपूर्व अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के स्टाफ को एक मास का वेतन मानदेय के रूप में स्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप दी गयी धनराशि क्रमशः 2,532.00 एवं 2,965.00 रुपया भी सम्मिलित हैं।
1975–76	..	7,510.00	
1976–77	..	13,447.00	
1-4-77 से 31-7-77 तक	..	250.00	

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1187 पर)

नकल चिकद नं0 453 मु0 आ0 स0 525 धारा 147/148/452/332/323/506 आई0 पी0 सी0, थाना रेलवे रोड, मेरठ नकल तहरीरी हिन्दी वादी ।

सेवा में श्रीमान् थाना अध्यक्ष महोदय, थाना रेलवे रोड, मेरठ ।

महोदय, आज दोपहर करीब 11.30 बजे सुबह वेद प्रकाश गुप्ता, भतीजा श्री कैलाश प्रकाश हमीर बिजली के दफ्तर में उनके अपने मामले में सहायक अभियन्ता से गर्मा-गर्मी हो गयी थी मैं तथा कुछ लोगों ने उनका बीच बचाव कर दिया था उसके बाद करीब 2 बजे वेद प्रकाश सुभाष तथा अपने 80,90 आदमी लेकर आए और दफ्तर में घुसकर मार-पीट कर दी टेलीफोन फेंका अधिशासी अभियन्ता के कमरे में घुस कर उनको, अधिशासी अभियन्ता को लात घूसों से मारा । मेरे को कुर्सी से उठाकर मारपीट शुरू की इस पर कार्यालय में उपस्थित बहुत से आदमी मुझे बचाने दौड़े जिसमें श्री हरिश चन्द शर्मा, श्री पी0 एस0 जैन, श्री राम औतार शर्मा व श्री अतार सिंह को भी चोटें आयीं । हमलावरों में एक व्यक्ति के पास पिस्तौल थी इन्होंने इसको निकाल कर गोली मारने की धमकी दी यदि मौके पर फलाईंग-स्क्वाड नहीं आता तो यह मुझे जान से मार देते । जाते-जाते भी इस गिरोह ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है । मुझे तथा दूसरे कर्मचारियों को अपनी जान माल का खतरा है रपट लिख कर उचित कार्यवाही की जावे ।

सुरेश चन्द्र रस्तोगी पुत्र ब्रजवासी लाल कारीक विद्युत् वितरण खण्ड 111 उ0 प्र0 रा0 वि0 परिषद् मेरठ दिनाँक 17-8-77 ।

नोट—मैं उपनिरीक्षक प्रमाणित करता हूं कि नकल तहरीरी वादी चिक हाजा पर शब्द व शब्द अंकित की गयी ।

ह0 बीरसेन,
एस0 आई0,
17-8-77 ।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1189 पर।)

मेरठ जनपद में 1-3-77 से 15-8-77 तक विभिन्न थानों में रजिस्टर किये गये हत्या व डकैती के मामलों का विवरण

क्रम-संख्या	थाने का नाम	हत्या के मामलों की संख्या	डकैती के मामलों की संख्या
1	कोतवाली	1	3
2	देहली गेट	1	..
3	रेलवे रोड	1	1
4	सदर बाजार	3	1
5	लालकुर्ती	1	1
6	सिविल लाइन्स	5	8
7	मवाना	2	2
8	हस्तिनापुर	3	2
9	परीक्षतगढ़	1	2
10	किठौर	4	5
11	खरखोदा	2	4
12	परतापुर	4	3
13	जानी	4	2
14	इंचौली	2	6
15	दौराला	2	8
16	सरधना	3	4
17	सरूरपुर	1	6
18	बिनौली	2	5
19	दौघट	2	1
20	बागपत	4	2
21	बड़ौत	3	3
22	छपरौली	4	6
23	खेकड़ा	..	1
24	पिलाना	3	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1202 पर)

प्रश्न	उत्तर
*3—क्या मुख्य मन्त्री को विदित है कि उर्दू गजट के प्रकाशन से सम्बन्धित 1973 व 1975 में तत्कालीन शासन द्वारा लिए गए निर्णय पर पूरे तौर से अमल दरामद न होने की स्थिति में भूतपूर्व सरकार ने उक्त निर्णयों पर पूर्णरूपेण कार्यान्वयन हेतु राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में एक उर्दू यूनिट स्थापित किए जाने का अन्तिम रूप से जो निर्णय लिया था उसके अनुसार क्या मुख्य मन्त्री जी कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में उक्त उर्दू यूनिट स्थापित हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?	*3—कुछ समय से यह प्रश्न शासन के विचाराधीन था कि ऐसे विभागाध्यक्षों आदि के कार्यालयों से, जहां उर्दू अनुवाद की व्यवस्था नहीं है गजट के उर्दू तर्जुमें में छपने के लिए भेजी जाने वाली सामग्री का उर्दू अनुवाद राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में करने की व्यवस्था कर दी जाय ताकि पूरा गजट उर्दू में भी शीघ्र छप सके। इस प्रश्न पर हाल ही में अन्तिम रूप से निर्णय लेकर राजकीय प्रेस, इलाहाबाद में तात्कालिक रूप से एक उर्दू अनुवाद यूनिट स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22-8-77 को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
क्या अब उक्त गजट छापा जायगा ?	गजट का उर्दू तर्जुमा नियमित रूप से सितम्बर, 1968 से ही छापा जा रहा है।

राम नरेश यादव,
मुख्य मन्त्री।

पी०एस०यू०पी०—एल० 346 वि० सभा (771)—1978—843।